आवास भारती

वर्ष 23 | अंक 89 | अक्टूबर–दिसम्बर, 2023

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023–विशेषांक

भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 – तीन माह अभियान के अंतर्गत आयोजित आवास वित्त कंपनियों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों की बैठक

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के दौरान आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट हेतु पुरस्कृत अधिकारीगण

आवास भारती

राष्ट्रीय आवास बैंक की राजभाषा पत्रिका
(केवल आंतरिक परिचालन हेतु)

पंजी. संख्या, दिल्ली इन / 2001 / 6138

वर्ष 23, अंक 89, अक्टूबर-दिसंबर, 2023

प्रधान संरक्षक
शारदा कुमार होता
प्रबंध निदेशक

संरक्षक
सुशील कुमार
मुख्य सतर्कता अधिकारी

संपादक
सुनील रसानिया
उप महाप्रबंधक

सहायक संपादक
शोभित त्रिपाठी
उप प्रबंधक

संपादक मंडल
प्रशांत कुमार राय, सहायक महाप्रबंधक
राधिका मूना, क्षेत्रीय प्रबंधक
प्रभात रंजन, प्रबंधक
विष्णु गुप्त अग्रवाल, उप प्रबंधक
राहुल कुमार, सहायक प्रबंधक

पत्रिका में प्रकाशित रचनाओं में अभिव्यक्त विचार, मौलिकता एवं तथ्य आदि लेखकों के अपने हैं। संपादक या बैंक का इनके लिए ज़िम्मेदार अथवा सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK
(भारत सरकार के अंतर्गत सांविधिक निकाय)

कोर–5 ए,
इंडिया हैबीटेट सेन्टर,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
1.	परिवर्तन के लिए पारदर्शिता	7
2.	निवारक सतर्कता	11
3.	ऋण लेनदेन में उचित दस्तावेजीकरण का महत्व	15
4.	आवास वित्त क्षेत्र में कपट की निगरानी और निवारक उपाय	18
5.	सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने की रणनीति में निवारक सतर्कता की भूमिका और उसके तहत राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर किए गए उपाय	22
6.	पिडपी – लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प	26
7.	निवारक सतर्कता – संगठनात्मक उत्कृष्ठता के लिए अखंडता, पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना	32
8.	वैध बंधक का निर्माण	36
9.	परिवर्तन हेतु पारदर्शिता	39
10.	निवारक सतर्कता	42
11.	भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें	44
12.	परिवर्तन हेतु पारदर्शिता	48
13.	भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें	51
14.	भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें	53
15.	भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें	56

सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग का संदेश ...

प्रिय पाठकगण,

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी हिन्दी पत्रिका "आवास भारती" का विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। पत्रिका में प्रकाशित लेख सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए निर्धारित थीम "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" से सम्बंधित हैं एवं लेखकों द्वारा अपने लेखों में सतर्कता से सम्बंधित विभिन्न विचारोत्तेजक विषयों का चयन कर ज्ञानवर्धक जानकारियों का संकलन किया गया है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग को सरकार द्वारा फरवरी, 1964 में के. संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर स्थापित किया गया था। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष सरदार वल्लभभाई पटेल जी के जन्मदिवस के अवसर पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। इस सप्ताह का उद्देश्य आम जनमानस के साथ – साथ विभिन्न संस्थानों में कार्यरत अधिकारियों को सतर्कता के सम्बन्ध में जागरूक करना है। यह हम सभी को अवगत है कि भ्रष्ट आचरण देश के विकास कार्यों में बाधक है और यह हमारे लोकतंत्र की मूल भावना के भी विपरीत है अतः हम सभी का यह कर्तव्य है कि ऐसी गतिविधियों का बहिष्कार कर एक भ्रष्टाचार मुक्त देश की परिकल्पना को साकार करने में अपना अहम योगदान दें। देश के आम नागरिकों को उनके अधिकारों, कर्तव्यों, नियमों के विषय में जानकारी हो इस उद्देश्य के साथ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रत्येक वर्ष एक प्रभावशाली थीम का चयन किया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" थीम का चयन किया गया है जो हम सभी को देश के प्रति समर्पण के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट होने का भी सन्देश देती है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की इस सकारात्मक पहल में आप सभी का समर्थन प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर अधिकारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इसके साथ ही बैंक के पर्यवेक्षण क्षेत्र में आने वाली आवास वित्त कंपनियों के कर्मियों के लिए भी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जो कि एक प्रशंसनीय प्रयास है। इस अवसर पर मेरा आप सभी पाठकों से अनुरोध है कि आप सभी अपने कार्यस्थल पर सतर्क रहें एवं ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के अनुरूप कार्य करें।

(पी. डेनियल)
सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग

प्रबंध निदेशक का संदेश ...

प्रिय पाठकगण,

मुझे प्रसन्नता है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी हिन्दी पत्रिका "आवास भारती" का विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। पत्रिका के इस अंक में प्रकाशित लेख इस वर्ष हेतु सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए निर्धारित थीम "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" पर केंद्रित हैं। बैंक अपनी पत्रिका के माध्यम से विभिन्न समसामयिक विषयों पर उत्कृष्ट लेख प्रकाशित करने का प्रयास करता है जिससे कि पाठकों को नवीन जानकारियां प्राप्त होती रहें। इसी क्रम में बैंक इस वर्ष सतर्कता पर केंद्रित एक विशेष अंक का प्रकाशन कर रहा है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह हम सबको एक भ्रष्टाचार मुक्त समाज का निर्माण करने के लिए स्वयं को समर्पित करने का अवसर प्रदान करता है। कर्मियों और संस्थानों की कार्यशैली में नैतिकतापूर्ण आचरण करना ही एक सतर्क कर्मी एवं संस्थान की पहचान है। अपने कार्यस्थल के साथ व्यक्तिगत जीवन में भी नैतिकतापूर्ण आचरण के उच्च मानदंडों के साथ सामंजस्य में कार्य करने से हम न केवल अपने संस्थान की गरिमा की रक्षा करते हैं बल्कि देश की स्वस्थ्य प्रगति में भी योगदान करते हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा अपने व्यवसायिक लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ – साथ इस दिशा में भी अथक प्रयास किये जा रहे हैं कि प्रत्येक अधिकारी सजगता एवं सतर्कता के साथ कार्य करें। बैंक का यह प्रयास रहता है कि एक सतर्क संस्थान के साथ हम स्वयं भी देश के एक सतर्क नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए देश के सर्वांगीण विकास में योगदान दें। एक संगठन के रूप में कार्य करते हुए हम सभी की यह प्राथमिकता होनी चाहिए कि अपने दैनिक कार्यों में नैतिकतापूर्ण व्यवहार करें।

एक अभिनव प्रयास के रूप में बैंक द्वारा अधिकारियों को सतर्कता के विषय में जागरूक करने के उद्देश्य से बैडमिंटन टूर्नामेंट के साथ विभिन्न कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। अंततः, मैं सभी रचनाकारों को उनके ज्ञानवर्धक लेखों हेतु धन्यवाद करता हूँ एवं आशा करता हूँ पाठकगण के लिए पत्रिका में प्रकाशित लेख लाभदायक सिद्ध होंगें।

(एस.के.होता)
प्रबंध निदेशक

संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय का संदेश ...

प्रिय पाठकगण,

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अवसर पर राष्ट्रीय आवास बैंक अपनी हिन्दी पत्रिका "आवास भारती" का विशेषांक प्रकाशित कर रहा है जो कि एक प्रशंसनीय प्रयास है। पत्रिका में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए निर्धारित थीम "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" को अंगीकृत करते हुए लेखों का प्रकाशन किया गया है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सतर्कता की बढ़ती हुई प्रासंगिकता ने हम सभी को विभिन्न क्षेत्रों में सतर्क रहते हुए कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस सम्बन्ध में हमें जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यालयों द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। हम सभी का प्रयास होना चाहिए कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान ही नहीं अपितु पूरे वर्ष सतर्कता के साथ कार्य करें।

राष्ट्रीय आवास बैंक सतर्कता पर विशेषांक प्रकाशित करने हेतु बधाई के पात्र है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक सतर्क देश के निर्माण में आप सभी पाठकों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।

(पंकज शर्मा)
संयुक्त सचिव
वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
भारत सरकार

मुख्य सतर्कता अधिकारी का संदेश ...

प्रिय पाठकगण,

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अवसर पर बैंक अपनी हिन्दी पत्रिका "आवास भारती" का विशेषांक प्रकाशित कर रहा है। पत्रिका का यह अंक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए निर्धारित थीम "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" पर केंद्रित हैं। पत्रिका में बैंक के अधिकारियों के साथ–साथ आवास वित्त कंपनियों के अधिकारियों के भी आलेख शामिल किये गए हैं जो कि विशेषतः सतर्कता सम्बन्धी विषयों पर केंद्रित हैं।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के लिए निर्धारित थीम "भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें" वर्तमान परिदृश्य में पूर्णतया प्रासंगिक है चूँकि वैश्विक स्तर पर देश की छवि एक पथप्रदर्शक के रूप में उभरी है अतः हमारा यह समेकित प्रयास होना चाहिए कि हम भ्रष्ट आचरण का विरोध करें और समर्पण भाव के साथ देश की सतत विकास यात्रा में सहभागी बने। सतर्कता का मुख्य उद्देश्य संगठन को सुदृढ़ प्रणालियों, संरचनाओं और प्रक्रियाओं से जुड़े रहने में मदद करना है जिससे व्यावसायिक प्रथाओं के निरंतर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। राष्ट्रीय आवास बैंक का सतर्कता विभाग बैंक की सभी प्रक्रियाओं के साथ कार्य को संरेखित करने और आंतरिक प्रक्रिया सुधार में सतर्कता कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका पर अधिकारियों की समझ को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।

किसी भी सतर्क कार्यालय में ईमानदारी, अखंडता और पारदर्शिता कार्य प्रणाली का मुख्य आधार हैं। सतर्कता एक व्यवहार है जो संगठन में हममें से प्रत्येक को अपने व्यवहार को बदलने और दैनिक कामकाज के लिए बेहतर प्रथाओं को अपनाने में सक्षम बना सकता है। एक सतर्क कार्यबल सकारात्मक परिवर्तन में मदद कर सकता है और कार्यस्थल पर पारदर्शिता सुनिश्चित कर सकता है। अतः इन मूल्यों को अपने व्यवहार में अपनाने और उन्हें अपने व्यवहार में प्रदर्शित करने की जिम्मेदारी हममें से प्रत्येक की है।

अंत में, मैं सभी लेखकों को उनके लेखों हेतु धन्यवाद करता हूँ एवं मुझे यह आशा है कि पाठकगण के लिए पत्रिका में प्रकाशित लेखों के माध्यम से दी गयी जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी।

सुशील कुमार

(सुशील कुमार)
मुख्य सतर्कता अधिकारी

राष्ट्रीय आवास बैंक की व्यवसायिक व अन्य गतिविधियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह – बैडमिंटन टूर्नामेंट

राष्ट्रीय आवास बैंक ने 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्ल्यू) मनाया। इस वर्ष के वीएडब्ल्यू का विषय है – ''Say No to Corruption; Commit to the Nation'' /**"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"**।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह की पूर्व संध्या पर, बैंक ने सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को उजागर करने के लिए कई कई कार्यक्रम आयोजित किए। सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता और अखंडता की आवश्यकता पर कर्मचारियों, क्षेत्रीय हितधारकों और जनता को जागरूक बनाने के लिए अखिल भारत में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा लोकसंपर्क कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

राष्ट्रीय आवास बैंक ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के साथ संयुक्त रूप से 4 और 5 नवंबर 2023 को एम्स जिमखाना, एम्स परिसर, नई दिल्ली में "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" गतिविधियों के एक भाग के रूप में एक बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया। कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता, सत्यनिष्ठा और टीम भावना के प्रति जागरूक बनाने के लिए खेल का उपयोग एक माध्यम के रूप में किया गया। दोनों संस्थानों के 120 से अधिक अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप सहभागिता दर्ज की। इस अवसर पर श्री एस. के. होता प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय आवास बैंक, श्री दीपक मोहंती, अध्यक्ष, पीएफआरडीए, श्री ए. के. कनौजिया, अतिरिक्त सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा श्री श्रीकांत नामदेव, निदेशक, वित्तीय सेवाएं विभाग ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। श्री राहुल भावे, कार्यपालक निदेशक एवं राष्ट्रीय आवास बैंक और पीएफआरडीए के मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री सुशील कुमार ने इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इस अवसर पर एम्स की अपर निदेशक सुश्री मनीषा सक्सेना भी उपस्थित रहीं।

परिवर्तन के लिए पारदर्शिता

– रंजन कुमार बरुन, उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, लखनऊ

"हो गयी पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिये
इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिये
मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही
हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिये"

1. प्रस्तावना

यह पंक्तिया हम विद्यालय में पढ़ा करते थे एवं आज मेरे मन में विचार उत्पन्न होता है कि देश को सशक्त व समृद्ध करने में मेरा क्या योगदान है। क्या जीवन गुजर ऐसे ही जायेगा और देश के प्रति जो मेरा कर्तव्य है उसका क्या होगा।

आज हर दूसरे भारतीय का संभवतः यही मानना है कि देश को समृद्ध करने की जिम्मेदारी संस्थानों/सरकारों की है व हमें तो अपना जीवन चलाना है। मेरा अंतरमन यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक सतर्क भारत से समृद्ध भारत कैसे बन सकता है और कैसे इस बदलाव के लिए पारदर्शिता जरूरी है। क्योंकि यह आपको भी मालूम है कि अगर हम पारदर्शिता के पल्लू को पकड़े रहें तो वह हमें खुद–ब–खुद परिवर्तन के पथ पर आगे बढ़ना सीखा देती है। फिर चाहे बात सरकारी कार्यों की हो या हमारे अपने जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं की, पारदर्शिता की हर जगह सख्त जरूरत है।

2. प्रासंगिक विवेचना

आपने कई जगह लिखा देखा होगा और कई लोगों को कहते भी सुना होगा कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। हम अपनी निजी चीजों में तो कई बार पारदर्शिता को ध्यान में रखते हैं लेकिन जैसे ही बात देश या समाज की आती है तो यहां हम अलग तरह से बर्ताव करते नजर आते हैं। फिर चाहे ऑफिस में कोई काम कर रहे हों या फिर कभी किसी से काम करवाना हो। छोटी–छोटी अनदेखी का असर आज यह हुआ है कि इंसान के जन्म लेने से लेकर उसके मरने तक में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है और इसका सबसे बड़ा कारण कहीं न कार्यों में पारदर्शिता में अभाव है और हम इसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। मैं आंकड़ों के खेल में नहीं पड़ना चाहूंगा क्योंकि वहां तो हमारी स्थिति हमारे सारे प्रयासों के बाद भी नहीं सुधरी है। आपने कभी सोचा है कि भारत इतने संसाधन होने के बाद भी उस तेजी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा जिस गति से उसे बढ़ना चाहिए था। क्या कारण है कि आज भी हम विकास की वो गति नहीं पकड़ पा रहे जिसकी हमें जरूरत है। क्या कारण है कि आज भी किसी परियोजना को पूरा होने में दशकों लग जाते हैं। जिस पुल को कुछ लाख रूपए में बन जाना चाहिए वो करोड़ों खर्च करने पर भी तैयार नहीं हो पाते और अगर हो भी जाते हैं तो कुछ दिन के बाद ही ढह जाते हैं। सीएजी की रिपोर्ट में ऐसे कई वाक्यात सामने आते हैं जिसमें संगठनों द्वारा सही प्रकार से राशि व्यय नहीं करने के मामले रिपोर्ट किए जाते हैं। क्यों लाखों–करोड़ों खर्च कर भी हमारी नदियां साफ नहीं हो पा रहीं और क्यों इतने सारे सरकारी और निजी प्रयासों के बाद भी आज भी हमारे कई गांवों और शहरों के बच्चों को सही शिक्षा व चिकित्सा सुविधाएं नसीब नहीं हो रही। क्यों हम आज भी 24 घंटे बिजली, एक बेहतर सड़क और पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि इसका एक बड़ा कारण है कि हम सतर्क नहीं हैं और कई बार गोपनीयता तो कई बार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए हम उस अहम पहलू को भूल जाते हैं जो है कार्यों के भीतर पारदर्शिता का समावेश। अगर आपके घर के पास सड़क बन रही है तो वो ठीक से बन रही है या नहीं इसे देखना हम अपना काम नहीं मानते। हम हर चीज के लिए भ्रष्टाचार को दोष तो दे देते हैं लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि यह इतना कैसे फैल गया। इन सबके के मूल में है हमारा सतर्क न होना और पारदर्शिता की कमी। इसलिए अब भी समय है कि हम सतर्क हो जाएं और हर छोटी से छोटी चीज को करने की प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन करें। जैसे ही हम सतर्क

होंगे और पारदर्शिता को अपने आदत में डाल लेंगे वैसे ही हम भ्रष्टाचार रूपी पेड़ को उगने से पहले उखाड़ फेकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि घोटाले, स्कैम, आदि के कारण होने वाली पैसे की बर्बादी समाप्त हो जाएगी और हम समय पर अपने कार्य पूरे कर पाएंगे और पैसे की बर्बादी पर भी लगाम लगेगी और इस तरह से हमारा भारत समृद्ध बना जाएगा और बदलाव की यह बयार इतनी सुखद होगी कि अभी आप शायद इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अगर समृद्ध भारत का अपना सपना पूरा करना है तो हमें सतर्क और पारदर्शी होना ही होगा।

हमारी पारदर्शिता समाज को बेहतर बनाने में एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी की जिम्मेदारी को पुनः प्रतिस्थापित करने में मदद करेगी।

3. सतर्क भारत – समृद्ध भारत की जिम्मेदारी

मेरा मानना है कि एक सतर्क नागरिक ही देश के विकास में अपना अहम योगदान देता है। देश के विकास की नींव में एक नागरिक की सतर्कता अंतरनिहित है। देश विभिन्न घटकों से मिलकर बनता है।

विधानपालिका **कार्यपालिका**

नागरिक

न्यायपालिका

उक्त सभी से मिलकर देश बनता है व हर उपांग की अपनी जिम्मेदारी है जो देश की समृद्धता को दृष्टित करती है।

जब हम सतर्क भारत की बात करें तो केवल नागरिक को ही नहीं सतर्क रहना है, सतर्क रहने की जिम्मेदारी समाज में सभी स्तंभों की है। सभी स्तंभ मिलकर ही एक बेहतर देश का निर्माण करने में मदद कर सकते हैं क्योंकि सामाजिक तानाबना इनके आसपास ही घूमता है।

❖ विधानपालिका की सतर्कता

विधानपालिकाओं को सतर्क रहकर देश की समृद्धता में अपना योगदान देना है क्योंकि देश का हर नागरिक अपने जन–प्रतिनिधियों से एक समृद्ध भारत बनाने में अपने और उनके योगदान की अपेक्षा करता है। निम्न सुझाव विधानपालिका की सतर्कता के लिये प्रार्थनीय हैः

- पुराने कानूनों में उपयुक्त संशोधन या उनका निरस्तीकरण व नये कानूनों का निर्माण जिससे पारदर्शिता आए व नागरिकों को कम समय में व्यावहारिक ढांचे के साथ न्याय मिल सके व समस्याओं का समाधान हो। यह कदम भ्रष्टाचार को रोकेगा व विधानपालिकाओं को मजबूत कर सबका विश्वास पैदा करेगा।
- जन सामान्य के जीवन पर प्रभाव डालने वाले घटकों पर अपनी कार्यवाही में विचार–विमर्श कर संबंधित मंत्रालयों को उचित दिशानिर्देश पारित करना जिससे देश के संसाधनों का सही प्रकार से उपयोग हो और असमान बंटवारा ना हो।
- देश के नागरिकों से नागरिक प्रतिनिधियों के माध्यम से एवं सीधे भी संपर्क बनाते हुए उन्हें सतर्क रहने का संदेश देते हुए सशक्त भारत की नींव के लिये वर्तमान कानूनों में फेर–बदल के लिये सुझाव आमंत्रित करना।
- एक नागरिक के मूलभूत कर्तव्यों की समय–समय पर समीक्षा व संशोधन व प्रतिक्रिया आमंत्रण।
- कार्यकारी शक्तियों का उपयोग करते हुए विभिन्न समितियों/प्रश्न काल आदि के माध्यम से कार्यपालिकाओं के कार्यों का सतर्कता से पर्यवेक्षण व जनता से सीधे सरोकार रखने वाली प्रक्रियाओं पर नजर।
- वित्तीय समितियों के माध्यम से कार्यपालिकाओं के निधियों के उपयोग को ईमानदारी से सुनिश्चित करवाना जिससे देश का विकास हो सके।
- बजट पास करते समय सतर्कता से उसकी समग्र विवेचना व देश विकास व जन विकास को प्राथमिकता व संसाधनों का सही प्रयोग।
- जहां तक संभव हो सके विधायी कार्यों में और अधिक पारदर्शिता लाई जानी चाहिए।
- सरकार जन सरोकार से संबंधी कार्य प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता लाती है तो इससे सरकार और लोगों के बीच का विश्वास और बढ़ेगा और जनता भी यह समझ पाएगी कि आखिर जन सरोकार से जुड़े कार्यों में कहां पर रुकावट आ रही है और वो अपनी सहभागिता से इसमें किस प्रकार से मदद कर सकती है।
- योजनाओं संबंधी अधिक से अधिक आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए यह भी पारदर्शिता को बेहतर कर सकती

है और यह योजनाओं को तेजी से लागू करने में भी मदद करेगी।

सतर्क और पारदर्शी कार्यपालिका/विकास का आधार

एक सतर्क और पारदर्शी कार्यपालिका एक देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि कानूनों व योजनाओं का कार्यान्वयन जन मानस से सीधे जुड़ा होता है व देश के विकास को सीधे प्रभावित करते हुए एक आम आदमी के अवचेतन को सकारात्मक व नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए देश के प्रति उसकी विचारधारा का भी निर्माण करता है।

एक सतर्क कार्यपालिका से अपेक्षाः

- संविधान की रक्षा करते हुए असंवैधानिक प्रावधानों पर संज्ञान लेते हुए देश की प्रभुता व अक्षुणता के साथ–साथ जन मानस की रक्षा।
- सतर्कता के साथ कानूनों की व्याख्या करते हुए एक ईमानदार नागरिक को न्याय दिलाना जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो व देश मजबूत हो।
- किसी विधान में जो देश की विकासधारा को रोके व जन मानस को प्रतिकूल प्रभावित करे, के संशोधन के लिये पुरजोर कोशिश करना एवं समाज से प्रतिक्रिया प्राप्त कर कार्यवाही करना
- नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा के लिये सदैव तत्पर रहना व आवश्यक कदम उठाना।
- कार्यपालिका में पारदर्शिता को लागू कर आम जन में सरकार के प्रति विश्वास को और बेहतर करना।
- किसी भी प्रकार के कानून संसद से पास कराने से पहले उसमें आम लोगों से सुझाव लिए जाने चाहिए और जनता के पटल में संभावित विधेयक या कानून से संबंधित ड्राफ्ट को रखना चाहिए ताकि अगर उसमें कुछ कमी है या उसमें कुछ चीज जोड़े जाने की जरूरत है तो जनता के सुझाव को समाविष्ट कर उसे और उपयोगी बनाया जाए।

❖ न्यायपालिका की सतर्कता एवं उसमें पारदर्शिता

एक सतर्क और पारदर्शी न्यायपालिका देश के विकास का प्रमुख आधार स्तंभ है। भारत की न्यायपालिका विशेषकर सर्वोच्च न्यायालयों के निर्णय को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाता रहा है व देश के कई न्यायाधीश अंतरराष्ट्रीय न्यायालयों में विशेष पहचान बनाई है।

बहुधा देखा गया है कि नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा व देश के विकास के लिये न्यायपालिका द्वारा स्वतः संज्ञान लेते हुए दिये गये निदेश/आदेश प्रभावी कार्य करते हैं। एक सतर्क न्यायपालिका कानून तोड़ने वाले देश की प्रगति में बाधा बनने वालों व भ्रष्टाचारियों को एक सख्त संकेत देती है। न्यायपालिका व जनता का संबंध ऐसा होना चाहिये कि एक संतुष्ट व सतर्क नागरिक स्वेच्छा व सरलता से न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सके।

एक सतर्क न्यायपालिका से निम्न अपेक्षा हैः

- कानूनों के कार्यान्वयन की प्रक्रिया को इतना सरल व पारदर्शी बनाना जिससे ईमानदारी से प्रावधानों का पालन हो सके।
- ई–गवर्नेंस का और मजबूती से कार्यान्वयन जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश ही न रहे।
- जन मानस को जमीनी स्तर पर प्रभावित करने वाले कानूनों की सरल व्याख्या व प्रचार जिससे आम आदमी अपने अधिकारों के प्रति सतर्क हो सके।
- विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत से लेकर अंत तक की प्रक्रियाओं का ईमानदारी से नियमन, पर्यवेक्षण, निगरानी व कार्यान्वयन स्तर पर एक सतर्क नागरिक का सहयोग जिससे योजना की सफलता सुनिश्चित हो सके।
- प्रत्येक योजना, विकास के प्रक्रियात्मक चरणों की पूरी जानकारी सबको सुलभ कराना जिससे जन सामान्य की भागीदारी कार्यान्वयन में सुनिश्चित हो सके।
- सर्वोच्च न्यायालय से लेकर जिला स्तर तक की सुनवाईयों का लाइव प्रसारण किया जाना चाहिए जो अभी कुछ हद तक शुरू की गई है जिससे लोगों को न्यायालयों की कार्य प्रणाली की जानकारी भी प्राप्त होगी और उनका कार्यपालिका के प्रति भरोसा बढ़े।
- अधिक से अधिक फैसले संबंधित क्षेत्रों की स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराना ताकि वहां कि जनता समझ सके कि आखिर इससे उनका क्या लाभ होने वाला है और यह कहीं न कहीं पारदर्शिता को बेहतर करती है।
- तकनीकी भाषा में उलझे न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को जन सामान्य की भाषा में पूरा करना इससे अधिक से अधिक लोग

संबंधित फैसलों को समझ सकेंगे और अपने–अपने स्तर पर उसके बारे में और लोगों का बता पाएंगे।

यह देखा गया है कि जहाँ सरकार ने योजना के कार्यान्वयन में सतर्क नागरिकों का सहयोग दिया है वहाँ–वहां योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन से समृद्ध भारत की नींव मजबूत हुई है।

देश कानूनों की सरलीकरण व्याख्या व सही जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध करना व जन सामान्य को दी जाने वाली सुविधाओं के संबंध में व शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया में नागरिक व अधिकारी का प्रत्यक्ष संपर्क समाप्त करना।

एक सतर्क नागरिक से अपेक्षाः

देश नागरिकों से बनता है व प्रत्येक देश के विकास की नींव उसके नागरिक है। जिस देश के नागरिक जितने सतर्क व ईमानदार होते है उतना ही उस देश का विकास होता है।

देश के लिए अपने मूलभूत कर्तव्यों को पहचानें व अपने परिवार में अच्छे सिद्वान्तों को अपनाने के लिए जोर दें।

- प्रण लें कि न भ्रष्टाचार प्रणाली के घटक बनेंगे न और किसी को ऐसा करने देंगे।
- कोई भी काम क्यों न हो उसमें पारदर्शिता बनाए रखेंगे।
- अपनी कॉलोनी या समुदाय को उनके अधिकारों कर्तव्यों के बारे में जागरुक करना व विभिन्न सरकारी योजनाओं व प्रक्रियाओं आदि के बारे में अपने साथ–साथ उनकों भी परिचित कराना।
- एक सतर्क नागरिक के रूप में स्वयं या समुदाय/संगठन बनाकर गरीबों को जागरुक करना जिससे वे भ्रष्टाचारियों के जाल में ना फस सकें।
- सरकार द्वारा चलाए जा रहे भ्रष्टाचार निवारक प्रक्रियाओं/अभियानों के साथ जन भागीदारी करना व समाज में अपने स्तर पर सबको जागरुक करने का प्रयास करना चाहे छोटा ही क्यों ना हो।
- अगर आपको किसी चीज की जानकारी चाहिए तो बिचौलियों से उसकी जानकारी लेने से अच्छा है कि संबंधित विभाग या मंत्रालय के शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किया जाए। इससे आप दिग्भ्रमित होने से बच सकते हैं।
- आज सरकारें ऑनलाइन लेनदेन पर बहुत जोर दे रही हैं लेकिन यहां भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सरकार द्वारा बताए गए विधि से ही ये लेन–देन करें।
- यदि आप अपने लिए घर खरीदना चाहते हैं या किसी संपत्ति में निवेश करना चाहते हैं तो हमेशा इस बात को लेकर सतर्क रहें कि आवासीय परियोजना रेरा में पंजीकृत है या नहीं। अगर आपको थोड़ा भी संदेह हो तो तुरंत उस योजना के बारे में संबंधित विभाग से जानकारी प्राप्त करें।
- किसी भी काम के लिए बिचौलियों के झांसे में न आएं।
- आपके घर के आसपास यदि सड़क, नाले या बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का काम चल रहा है तो इस बात पर ध्यान दें कि उच्च कोटि का कार्य हो रहा है या नहीं। और अगर आपको थोड़ी भी गड़बड़ी लगे तो आपको तुरंत इसकी शिकायत करनी चाहिए।
- अगर आपके बच्चे पढ़ते हैं तो हमें यह जानकारी रखनी चाहिए कि सरकार की तरफ से उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं और क्या स्कूल वो सुविधा आपके बच्चे को दे रहा है या नहीं।
- यदि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर किसी नई योजना, लाभ का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो पहले तो हमें यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि किसी थर्ड पार्टी पोर्टल से ये न करें जबतक कि वह उस कार्य के लिए सरकार द्वारा अधिकृत न हो। और इसका लाभ यह होगा कि जो भी फायदा है वो सीधे आप तक पहुंचेगा और वो भी कम से कम समय में।

उपसंहार

आज अगर हमें देश के विकास में योगदान देना है तो सर्वप्रथम अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी एवं हम सभी ईमानदारी व न्यायोचित व्यवहार के साथ–साथ सतर्कता और पारदर्शिता के साथ देश के विकास में भागीदार बनें तो आज देश को विश्व के विकास पटल पर प्रमुखता से दृष्टित किया जा सकता है।

अंत में मैं यही कहना चाहूंगा –

कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता,
एक पत्थर तो तबियत से उछालों यारों...

निवारक सतर्कता

– विनीत सिंघल, महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, चेन्नई

"भ्रष्टाचार को तब तक समाप्त या काफी हद तक कम नहीं किया जा सकता जब तक कि निवारक उपायों की योजना नहीं बनाई जाती है और उन्हें निरंतर व प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जाता है। निवारक कार्रवाई में प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और शिक्षाप्रद उपाय शामिल होने चाहिए।"

– संथानम समिति रिपोर्ट, 1964

निवारक सतर्कता किसी भी संगठन में सतर्कता प्रशासन का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह किसी संगठन की आंतरिक जांच और नियंत्रण को मजबूत करता है और प्रारंभिक चरणों में ही होने वाली गिरावट को रोकता है। हाल ही में, एमटेक ऑटो प्रमोटर्स सहित कई कॉर्पोरेट कपट का शिकार हुए, जिसमें मई, 2022 में एक मुखबिर की शिकायत ने कथित 12,000 करोड़ रुपये के कपट का पर्दाफाश कर दिया, जिससे बचा जा सकता था, यदि ऐसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों के खिलाफ उचित आंतरिक जांच और संतुलन किया जाता।

निवारक सतर्कता का महत्व

निवारक सतर्कता ऐसी परिस्थितियों में अत्यधिक महत्व रखती है जैसे (क) बड़ी विवेकाधीन शक्तियों वाले अधिकारियों: जब अधिकारियों को विवेकाधीन अधिकार प्राप्त होते हैं तो व्यक्तिगत लाभ के लिए पक्षपात करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। निवारक सतर्कता विवेकाधिकार को कम करके, ऐसे अधिकारियों की शक्ति और अधिकार को परिभाषित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली स्थापित करके महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, (ख) जटिल नियम और प्रक्रियाएं निवारक सतर्कता के परिणामस्वरूप नियमों और प्रक्रियाओं का सरलीकरण और मानकीकरण होता है। न केवल किसी प्रक्रिया को मानकीकृत किया जाना चाहिए बल्कि इसे समझना आसान होना चाहिए। भ्रष्टाचार या हेरफेर की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है यदि किसी कार्य का निष्पादन स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया गया है, और (ग) कम जवाबदेही के साथ कठिन निर्णय लेना. निर्णय लेने में देरी किसी संगठन के हित में नहीं होता है। हालांकि, किसी संगठन के लिए यह समान रूप से हानिकारक होगा यदि उसके ईमानदार अधिकारी किसी प्रकार का निर्णय लेने से डरते हैं। सभी निर्णय जिनके परिणामस्वरूप लाभ नहीं होता है, उन्हें गुप्त उद्देश्यों से लिए गए निर्णयों के रूप में नहीं देखा जा सकता है, इसलिए किसी संगठन में लिए गए वास्तविक निर्णयों की पहचान करने की आवश्यकता है। निवारक सतर्कता प्रत्येक निर्णय के गुणों का मूल्यांकन करने में मदद कर सकती है ताकि गुप्त उद्देश्यों से लिए गए निर्णयों और निर्धारित प्रक्रियाओं के अपालन से की गई कार्रवाई की पहचान की जा सके और तदनुसार उसका निपटान किया जा सके।

मलावी एसएमई का प्रकरण अध्ययन

लघु और मध्यम उद्यम (एसएमई) अधिकांश अविकसित देशों में आर्थिक विकास व रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अपने सकारात्मक योगदान के बावजूद, वे प्रमुख रूप से व्यापक भ्रष्टाचार वाले क्षेत्र में भ्रष्टाचार के शिकार भी हैं। यह स्थिति उनके विकास और संचालन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है और बदले में, आर्थिक विकास को प्रभावित करती है। हालांकि, एसएमई भ्रष्टाचार को दूर करने के राष्ट्रीय प्रयासों में पीछे नहीं हैं। मलावी एसएमई के साथ एक प्रकरण अध्ययन में उन कारकों की पहचान करने की कोशिश की गई है जो एसएमई को भ्रष्टाचार विरोधी सामूहिक प्रयासों में शामिल होने से रोकते हैं। कारकों की पहचान करने का उद्देश्य भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में भाग लेने के लिए एसएमई क्षेत्र को प्रेरित करने कि और क्या कुछ किया जा सकता है और उनके नीतिगत निहितार्थों पर प्रकाश डालना था।

आईएसीए, ऑस्ट्रिया द्वारा मलावी एसएमई पर इस प्रकरण अध्ययन के परिणामों ने यह पहचाना की व्यक्तिगत एसएमई और संघ एसएमई दोनों में भ्रष्टाचार विरोधी क्षमता की कमी, संघों को प्रभावी रूप से भ्रष्टाचार विरोधी सामूहिक प्रयासों का समन्वय करने के लिए अपर्याप्त संसाधन, कुछ एसएमई भ्रष्टाचार के लाभार्थी हैं, इस प्रकार इसके खिलाफ प्रयासों को कमजोर करना, सार्वजनिक अधिकारियों और एजेंसियों से संभावित प्रतिशोध का डर, एसएमई और विभिन्न संघों के बीच एकता और सहयोग की कमी, प्रमुख हितधारकों विशेष रूप से भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों से जुड़ाव और बाहरी सुविधा की कमी, एसएमई और उनके संघों की मान्यता की कमी और एसएमई के बीच सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों के बीच सहयोग की कमी, आदि ये ऐसे कारक है जो एसएमई को भ्रष्टाचार को दूर रहने से व सामूहिक रूप से कार्य करने से रोक रहे हैं।

अध्ययन में निष्कर्ष निकाला गया है कि मलावी एसएमई में एसएमई भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए सामूहिक कार्रवाई में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनके सामूहिक कार्रवाई प्रयासों को आरंभ करने और बनाए रखने के लिए अन्य हितधारकों मुख्य रूप से सरकार, विकास भागीदारों, नागरिक समाज संगठन और भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों से अवरोधक कारकों की सीमा को पहचानने व उनसे समर्थन की आवश्यकता होती है।

स्रोत – आईएसीए

निवारक सतर्कता का उद्देश्य है – (क) सार्वजनिक सेवा में नैतिकता/तर्कसंगतता का उच्च स्तर लाना (ख)सतर्कता (ग) इलाज से बेहतर रोकथाम और (घ) भ्रष्टाचार को कम करना।

भ्रष्टाचार और निवारक सतर्कता की भूमिका

संथानम समिति ने भ्रष्टाचार के चार प्रमुख कारणों की पहचान की थी:

(i) प्रशासनिक देरी;

(ii) सरकार विनियामक कार्यों को स्वयं से जितना प्रबंधित कर सकती है, उससे अधिक ले रही है;

(iii) सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में निहित शक्तियों के प्रयोग में व्यक्तिगत विवेकाधिकार के लिए गुंजाइश; तथा

(iv) विभिन्न मामलों से निपटने की बोझिल प्रक्रियाएं जो नागरिकों के लिए उनके दैनिक मामलों में महत्वपूर्ण हैं।

निवारक सतर्कता की भूमिका ऊपर उल्लिखित भ्रष्टाचार के कारणों को समाप्त करना है।

एक अमेरिकी अर्थशास्त्री – रॉबर्ट क्लिटीगार्ड ने कहा है:

एकाधिकार + विवेकाधिकार – जवाबदेही = भ्रष्टाचार

यह अनिवार्य है कि एकाधिकार चाहे किसी संगठन में निहित हो या व्यक्ति में, कम से कम अल्पाधिकार द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए, यदि एकाधिकारवादी प्रतिस्पर्धी महौल न हो। एकाधिकार को समाप्त करने का एक अच्छा तरीका पीपीपी मॉडल है जिसमें सार्वजनिक और निजी उद्यमी मिलकर काम कर सकते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण यह है जहां पूर्व डीईएसयू को बिजली के प्रावधान के लिए दिल्ली में बीएसईएस द्वारा बदल दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप बिजली विभाग में भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है।

इसी प्रकार, अधिकारियों की विवेकाधीन शक्तियों को, चाहे वे लाइसेंस या परमिट प्रदान करते हों, भी कम किया जाना चाहिए। दिल्ली के परिवहन विभाग द्वारा बहुत अच्छी पहल की गई है जहां वाहनों से संबंधित सभी लाइसेंस और अन्य सेवाओं को ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से संपर्क रहित बनाया गया है। इस क्षेत्र में पहले बहुत सक्रिय एजेंट थे, अब लगभग न के बराबर हैं।

अधिकारियों की जवाबदेही में वृद्धि स्वाभाविक रूप से व्यक्तियों में स्व–नियामक तंत्र को उत्प्रेरित करेगी जिससे भ्रष्टाचार कम होगा। दुनिया भर में, यह पाया गया है कि जवाबदेही को मजबूत करना सार्वजनिक सेवाओं के प्रभावी वितरण का एक अनिवार्य तत्व है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक उत्तरदायी और प्रभावी होने के लिए सरकार पर प्रभावी रूप से दबाव डालने में सक्षम हैं। ठीक से कार्य करने पर, ये तंत्र हमारे संस्थानों को अपने लक्ष्यों को निष्पादित करने में अधिक प्रभावी बनने के लिए फिर से ध्यान केंद्रित करने में मदद कर सकते हैं।

निवारक सतर्कता कार्य को सुदृढ़ करना

निवारक सतर्कता कार्य को मजबूत करने के लिए, संगठन में उनकी स्थिति पर ध्यान दिए बिना सभी हितधारकों की भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुखबिर की अवधारणा अन्य बातों के साथ–साथ निवारक सतर्कता के लिए भी प्रभावी उपकरण है जो कर्मचारियों को कपटपूर्ण गतिविधियों में स्वयं को शामिल करने से रोकता है। भ्रष्ट गतिविधियों का ज्ञान रखने वाला मुखबिर अपराधी अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता साक्ष्य प्रदान कर सकता है। लोकप्रिय रैनबैक्सी मामले में, हमने पाया है कि कैसे श्री दिनेश ठाकुर, एक पूर्व रैनबैक्सी कार्यकारी ने अमेरिकी अधिकारियों को कंपनी के दवा डेटा को गलत ठहराने और अच्छे प्रबंधन प्रथाओं का उल्लंघन करने के बारे में सबूत दिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर जांच को आरंभ की गई जिसके परिणामस्वरूप दवा निर्माता को कुछ मिलावटी दवाओं के निर्माण और वितरण से संबंधित आरोपों का दोषी पाया गया था।

प्रभावी निवारक सतर्कता के लिए, चार पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, एक अनुकूल कार्य वातावरण बनाना जिससे भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति को कम हो, भारत सरकार ने सरकारी अधिकारियों के लिए अनुकूल कार्य वातावरण बनाने और उनके वास्तविक वाणिज्यिक रक्षा के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले अधिकारियों या वरिष्ठ अधिकारियों को किसी भी अनुचित कठिनाई के डर को कम करने का निर्णय। इनमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी अधिनियम), 1988 में संशोधन, जिसमें किसी लोक सेवक के खिलाफ जांच आरंभ करने से पहले पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के संदिग्ध कपट की जांच के प्रथम स्तर के लिए बैंकिंग और वित्तीय कपट (एबीबीएफएफ) के लिए सलाहकार बोर्ड की स्थापना और 50 करोड़ रुपये से अधिक और समेकित कर्मचारी जवाबदेही ढांचे को अंतिम रूप, देना शामिल है।

क. जनता और अधिकारियों के बीच बातचीत के बिंदुओं को कम करने के लिए

जनता और अधिकारियों के बीच संपर्क को कम करने और विवेकाधीन शक्तियों को कम करने के लिए, आयकर विभाग ने करदाता और कर अधिकारियों के बीच व्यक्तिगत संपर्क को खत्म करने के लिए फेसलेस ई–मूल्यांकन योजना शुरू की थी। यह योजना मूल्यांकन प्रक्रिया में "आदर्श बदलाव" है जो कर मूल्यांकन के दौरान मानवीय संपर्क को पूरी तरह से समाप्त कर देती है। कर नोटिस के उत्तर तैयार किए जा सकते हैं और कर कार्यालय में आए बिना ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। यह कदम निश्चित रूप से आयकर अधिकारियों के साथ संपर्क को कम करता है और करदाता की आसानी और सुविधा में भी सुधार करता है।

ख. लोक प्राधिकरणों की विवेकाधीन शक्तियों को कम करने की सुविधा हेतु मौजूदा वैधानिक प्रावधानों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं को संशोधित करना

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आधार और मोबाइल जैसी सभी आधुनिक प्रणालियों के उपयोग से सार्वजनिक प्राधिकरणों की विवेकाधीन शक्तियों में कटौती हुई है। इसके अतिरिक्त, उन गांवों में स्व–स्थायी उद्यमिता मॉडल के आधार पर 4 लाख सामान्य सेवा केंद्र विकसित किए जा रहे हैं जिनका प्रबंधन उस गांव के युवाओं द्वारा किया जा रहा है। इसने कम विवेकाधीन शक्तियों में सहायता करते हुए डिजिटल इंडिया के लक्ष्य की दिशा में ग्रामीण जनता की भागीदारी को गति दी है। ग्रामीण युवाओं की भागीदारी जितनी अधिक होगी, ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता और सामाजिक जागरूकता उतनी ही अधिक होगी और अर्थव्यवस्था की गहरी पैठ में भ्रष्टाचार विरोधी रणनीतियों की सफलता उतनी ही अधिक होगी।

ग. यह सुनिश्चित करने के लिए कि शक्ति एवं अधिकार के दुरुपयोग को समाप्त कर दिया गया है, प्रशासनिक तंत्र को निरंतर जांच के दायरे में रखना

प्रशासनिक तंत्र को निरंतर जांच के दायरे में रखने के लिए, सीवीसी, (केंद्रीय सतर्कता आयोग) ने कई पहल किए हैं, जिनमें से एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा के दौरान निकास साक्षात्कार के समय मुख्य सतर्कता अधिकारी की भागीदारी के संबंध में है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा/निरीक्षण के स्थापित नियमों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार, संबंधित इकाई की लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले, सभी लेखापरीक्षा निष्कर्षों, और सिफारिशों पर संबंधित इकाई के प्रमुख के साथ चर्चा की जाए और जहां तक संभव हो लेखापरीक्षित

इकाई की प्रत्यक्ष प्रतिक्रियाओं को 'निकास सम्मेलन' या 'निकास साक्षात्कार' नामक बैठक में मांगा और दर्ज किया जाना है। यह जहां तक संभव हो लेखापरीक्षा निष्कर्षों और सिफारिशों के सम्बंध में लेखापरीक्षित इकाई के साथ समझौते पर पहुंचने का एक माध्यम है। निकास साक्षात्कार के समय मुख्य सतर्कता अधिकारी की भागीदारी सतर्कता शाखा और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निरीक्षण/लेखा परीक्षा परिणाम के बीच सीधा संबंध बनाता है और सतर्कता विभाग द्वारा मामले की सतर्कता जांच में जल्दी शुरुआत कर सकती है।

आगे की राह

निवारक सतर्कता को मजबूत करने में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की भूमिका को कम नहीं समझा जा सकता है। सरकार द्वारा की गई विभिन्न आईटी पहलों जैसे जेम पोर्टल, रिवर्स नीलामी के साथ ई–निविदा, ई–खरीद, ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग प्रणाली, ई–भुगतान, ई–रिफंड के परिणामस्वरूप अधिक पारदर्शिता आई है।

प्रौद्योगिकी को आगे रखते हुए और भारत को डिजिटल भारत बनाने के लिए, बहुत जल्द ई–गवर्नेंस, एम–गवर्नेंस में बदलने जा रहा है, जिसका अर्थ है मोबाइल गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया अपने उद्देश्यों में व्यापक और महत्वाकांक्षी होगा। अधिकांश सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से निश्चित रूप से सरकारी सेवाओं में भ्रष्टाचार को कम करने में मदद मिलेगी।

किसी संगठन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जागरूकता एक बुनियादी आवश्यकता है। सतर्कता के प्रति जागरूकता हमें कई मायनों में मदद करती है – सर्वप्रथम, यह संगठन के नियमों एवं विनियमों के प्रति आत्मीयता बढ़ाकर दैनिक गतिविधियों में लोक सेवकों को अनुशासित करता है। दूसरा कि यह हमारी भ्रष्ट अधिकारियों का साथ न देने की भावना को प्रगाढ़ करने में मदद करता है। तीसरा, यह निधि के कपटपूर्ण दुरुपयोग को रोकने में मदद करता है। यह प्रणालियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार करने में भी मदद करता है।

सार्वजनिक धनराशि से जुड़ी परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सुशासन मानकों और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए निवारक सतर्कता अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसके परिणामस्वरूप प्रणालीगत सुधार होते हैं जिससे भ्रष्टाचार के अवसरों पर अंकुश लगता है और भ्रष्टमुक्त व्यापारिक लेनदेन, व्यावसायिकता और नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है। सुशासन का अर्थ है अच्छे निर्णय लेने की प्रक्रिया और उनका प्रभावी कार्यान्वयन। शासन शब्द का उपयोग कॉर्पोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन जैसे कई संदर्भों में किया जाता है। यह स्पष्ट है कि सुशासन और निवारक सतर्कता में कई सामान्य विशेषताएं हैं। इसलिए, निवारक सतर्कता को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण माना जाता है और सुशासन प्राप्त करने की दिशा में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है।

सतर्क रहना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। परंतु फिर भी, किसी भी सतर्क कार्य को हमेशा परिणामोन्मुख होना चाहिए। परिणामोन्मुख 'सतर्कता कार्य' के सही अर्थ की खोज 'सतर्कता' शब्द के विभिन्न अक्षरों में ही की जा सकती है:

V - Value Based Goals (मूल्य आधारित लक्ष्य)

I - Impersonal Goals (अवैयक्तिक लक्ष्य)

G - Genuine Goals (वास्तविक लक्ष्य)

I - Impartial Acts (निष्पक्ष कार्य)

L - Legitimate Acts (वैध कार्य)

A - Accountability Fixing (जवाबदेही निर्धारण)

N - NepotismAnd Nexus to be Negated (भाई–भतीजावाद और नेक्सस को नकार दिया जाए)

C - Campaign and Awareness (अभियान और जागरूकता)

E - Enforceable result and Encouragement (लागू करने योग्य परिणाम और प्रोत्साहन)

निष्कर्ष : यह कहा जा सकता है कि ये सभी प्रक्रियाएं तभी अच्छी तरह से काम कर सकती हैं जब पूर्ण प्रतिबद्धता और ईमानदारी का वातावरण हो। इसलिए हमें अपने संगठनों को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए सतर्क प्रक्रियाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्वयं को समर्पित करना चाहिए ताकि यह देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त कर सकें।

"यदि आप सच कहते हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं रखना होगा।" – मार्क ट्वेन

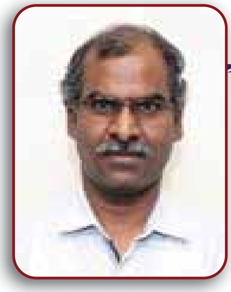

ऋण लेनदेन में उचित दस्तावेजीकरण का महत्व

– पी वी नायडू, उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

परिचयः

विधिक शब्दावली में, दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत परिभाषित किया गया है, "... किसी भी पदार्थ पर अक्षरों, आंकड़ों या चिह्नों के माध्यम से, या उन साधनों में से एक से अधिक द्वारा व्यक्त या वर्णित कोई भी मामला, जिसका उपयोग किया जाना है, या जिसका उपयोग उस मामले को रिकॉर्ड करने के उद्देश्य से किया जा सकता है। इस तरह की रिकॉर्डिंग के पीछे मंशा यह है कि जहां भी आवश्यक हो, उसी का उपयोग साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है।"

सामान्य भाषा में, दस्तावेज तथ्यों का लिखित विवरण है जो इसमें शामिल पक्षों के बीच लेनदेन से संबंधित या उसके संबंध में कुछ अधिकारों, दायित्वों, जिम्मेदारियों और देनदारियों के अस्तित्व की जानकारी, प्रमाण या साक्ष्य देता है। आमतौर पर, यह दस्तावेज लिखित रूप में होते है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी हो सकते है।

ऋण देने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग ऋण दस्तावेज है। दस्तावेजीकरण दो पक्षों के बीच विधिक संबंध स्थापित करता है अर्थात एक तरफ ऋणदाता और दूसरी तरफ उधारकर्ता/गारंटर; और दोनो पक्षों के बीच सहमति के अनुसार ऋण के नियमों एवं शर्तों की रूपरेखा तैयार करता है। इसलिए, किसी भी मुकदमेबाजी की कार्यवाही में पक्षकारों के अधिकारों एवं दायित्वों को स्थापित करने के लिए दस्तावेजों का प्राथमिक महत्व है। ऋण दस्तावेजीकरण का प्रमुख उद्देश्य न्यायालय के माध्यम से अंतिम सहारे के रूप में अनुबंधित ऋण पुनर्प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के अधिकारों को लागू करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य प्रदान करना है।

उचित ऋण दस्तावेजीकरण की आवश्यकता और महत्वः

ऋण दस्तावेजों का बहुत महत्व है क्योंकि वे भुगतान में चूक की स्थिति में उधारकर्ता के खिलाफ किसी भी विधिक कार्यवाही में ऋणदाता और उधारकर्ता/गारंटर के बीच तथ्य के साक्ष्य या लेनदेन के रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार्य हैं। इसके अतिरिक्त, किसी भी मुकदमेबाजी में, उचित रूप से निष्पादित दस्तावेज यह सुनिश्चित करते हैं कि उधारकर्ता तकनीकी आधार पर ऋण के नियमों एवं शर्तों जैसे अवधि, ब्याज दर, पुनर्भुगतान शर्तों आदि का विरोध नहीं कर सकते हैं।

दस्तावेजों के प्रकारः

ऋण लेनदेन के संबंध में, दस्तावेजों को मोटे तौर पर निम्नलिखित दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता हैः

(i) **वित्तीय दस्तावेजः** ये ऐसे दस्तावेज होते हैं जो अधिकारों और देनदारियों का निर्माण करते हैं और विभिन्न ऋण/सुविधा समझौतों की तरह उधारकर्ता और ऋणदाता(ओं) के बीच वित्तपोषण व्यवस्था की शर्तों का गठन करते हैं।

(ii) **सुरक्षा दस्तावेजः** ये ऐसे दस्तावेज होते हैं जो दिए गए ऋण को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षा पर शुल्क लगाते हैं जैसे दृष्टिबंधक विलेख, बंधक विलेख आदि।

ऋण दस्तावेजीकरण की प्रक्रियाः

दस्तावेजीकरण की प्रक्रिया में उन दस्तावेजों के सेट के चयन से लेकर विभिन्न चरण शामिल हैं जिन्हें सुविधा की प्रकृति, सुरक्षा के प्रकार और दस्तावेजों को निष्पादित करने वाली इकाई के गठन के आधार पर ऋण लेनदेन के लिए निष्पादित किया जाना आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेजों का पता लगाने के बाद, अगले चरण में दस्तावेजों का मसौदा तैयार करना होता है, जिसमें शर्तें निर्धारित करना, पार्टियों और लेनदेन के संबंध में आवश्यक विवरण भरना शामिल है। एक बार दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के बाद, अगला चरण दस्तावेज का निष्पादन और स्टाम्प के साथ–साथ उन दस्तावेजों का पंजीकरण है जिन्हें पंजीकरण अधिनियम, 1908 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत करना आवश्यक है।

ऋण दस्तावेजों के निष्पादन में निहित जोखिम और बरती जाने वाली सावधानियां:

दस्तावेजीकरण ऋण देने की प्रक्रिया में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल ऋण लेनदेन के लिए आधार प्रदान करता है बल्कि ऋण की वसूली और सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए की जाने वाली कार्रवाई का आधार भी प्रदान करता है। इस प्रकार, उचित दस्तावेज सुनिश्चित करना जो वैध, विधिक रूप से बाध्यकारी और विधि द्वारा लागू करने योग्य हो, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है और प्रत्येक स्तर पर आवश्यक सावधानियों को सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है।

प्रारूपण:

दस्तावेजों का मसौदा तैयार करते समय, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए, कि यह भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के प्रावधानों के अनुरूप हो। मसौदा तैयार करने की प्रकिया के दौरान, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण लेनदेन के सभी नियम एवं शर्तें जिनमें सुरक्षा खंड, पुनर्भुगतान की शर्तें, डिफॉल्ट प्रावधान, विधि का चुनाव आदि शामिल हैं, ठीक से देख लिया गया है और भाषा में कोई विसंगति या अस्पष्टता नहीं है, जिससे बाद में भ्रम उत्पन्न हो सके या ऋणदाता के खिलाफ विवाद/व्याख्या की जा सके। इसके अतिरिक्त, ऋण दस्तावेजों में उल्लिखित तथ्यात्मक विवरणों की शुद्धता जैसे पक्षों के नाम और पता, ऋण राशि, ब्याज दर, सुरक्षा विवरण, समझौते की तिथि को सत्यापित और सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

दस्तावेजीकरण में कोई भी विसंगति न्यायालय के समक्ष पक्षों के अधिकारों और देनदारियों को स्थापित करने के लिए प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

निष्पादन:

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 2 (12) के अनुसार, उपकरणों के संदर्भ में प्रयुक्त "निष्पादित" और "निष्पादन" का अर्थ है "हस्ताक्षरित" और "हस्ताक्षर"। "निष्पादन" शब्द का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने हस्ताक्षर या चिह्न लगाकर दस्तावेज में उल्लिखित सामग्री पर अपनी सहमति का व्यक्त की है। यदि किसी दस्तावेज को किसी विधि के तहत सत्यापित करने की आवश्यकता है, तो निष्पादन को पूरा करने के लिए कम से कम दो गवाहों के हस्ताक्षर होने चाहिए। दस्तावेजों के उचित निष्पादन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है क्योंकि जिन दस्तावेजों को अनुचित रूप से निष्पादित किया जाता है, वे विधि द्वारा लागू नहीं होते हैं और इस प्रकार यह दस्तावेज न होने के समान होते हैं।

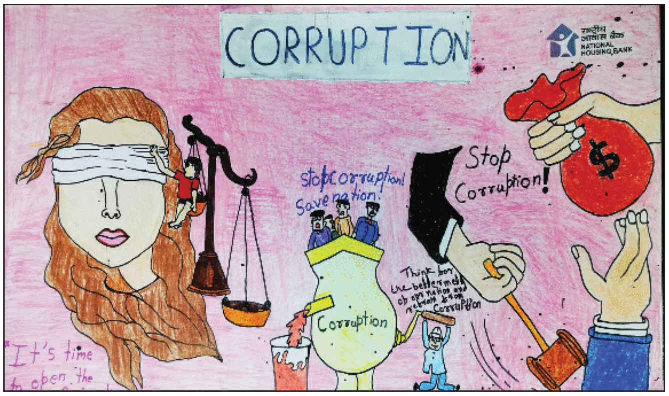

- दस्तावेजों के निष्पादन में आमतौर पर पाए जाने वाले दोष/ विसंगतियां निम्नलिखित हैं:
  - क. दस्तावेजों में लेन–देन और पक्षों के मन्तव्य को पूरी तरह से रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक खंड शामिल नहीं हैं।
  - ख. दस्तावेज ठीक से नहीं भरे गए और आंशिक रूप से खाली छोड़ दिए गए।
  - ग. अधिलेखन/मिटाना/सम्मिलन जो उधारकर्ता द्वारा ठीक से प्रमाणित नहीं है।
  - घ. स्टाम्प न लगाना/अंडर स्टाम्प दस्तावेज।
  - ङ. सभी पक्ष निष्पादन में शामिल नहीं हुए हैं।
  - च. दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले व्यक्ति के पास निष्पादित करने का उचित प्राधिकार नहीं है।
- दस्तावेजों के उचित निष्पादन के लिए निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं का पालन किया जाना चाहिए:
  - दस्तावेज पर हस्ताक्षर और प्रमाणीकरण: हस्ताक्षर करते समय पहली बात यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि दस्तावेजों को निष्पादित करने वाले पक्ष भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के तहत प्रदान किए गए अनुबंध के अनुसार सक्षम हैं।
  - दस्तावेजों और अनुसूचियों में सभी रिक्त स्थान को स्पष्ट

और सुपाठ्य रूप से भरा जाना चाहिए और दोनों पक्षों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। सभी प्रकार के परिवर्धन, विलोपन, परिवर्तन, कटिंग, अधिलेखन आदि को पक्षों द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।

- ऐसे मामलों में, जहां दस्तावेजों को पावर ऑफ अटॉर्नी धारक द्वारा निष्पादित किया जाना है, पक्षों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अटॉर्नी धारक की शक्ति विशेष रूप से मूलधन मालिक की ओर से दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए अधिकृत है ताकि मूलधन मालिक को अपरिवर्तनीय रूप से बाध्य करने और प्रतिभूतियों आदि पर शुल्क लगाने और यह कि ऋण दस्तावेजों के निष्पादन की तिथि तक पावर ऑफ अटॉर्नी लागू है। यदि विदेश में निष्पादित किया जाता है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी को या तो नोटरीकृत किया जाना चाहिए या भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों के समक्ष निष्पादित किया जाना चाहिए, जैसा कि लागू हो, और फिर भारत में इसकी प्राप्ति की तिथि से तीन महीने के भीतर विधिवत निर्णय लिया जाना चाहिए।

- दस्तावेजों का सत्यापन/साक्ष्य केवल ऐसे दस्तावेजों पर किया जाना चाहिए जिन्हें अनिवार्य सत्यापन की आवश्यकता होती है। दस्तावेज, जिसे सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, यदि सत्यापित किया जाता है, तो यथामूल्य स्टांप शुल्क लगता है।

स्टाम्पिंग:

स्टाम्प अधिनियम के अनुसार, भारत में स्टाम्प शुल्क के साथ प्रभार्य सभी लिखतों पर निष्पादन से पहले या निष्पादन के समय स्टाम्प लगाई जाएगी। दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाने के संबंध में सबसे अधिक पाया गया दोष दस्तावेजों पर स्टाम्प न लगाना/निष्पादन के बाद स्टाम्प लगाना और अंडर स्टाम्प लगाना है। कोई भी दस्तावेज जिस पर विधिवत स्टाम्प नहीं लगी है, साक्ष्य में अस्वीकार्य है और भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1889 की धारा 35 के तहत जब्ती के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि, निष्पादन के समय या उससे पहले राज्य में लागू पर्याप्त स्टाम्प शुल्क के साथ, जिसमें ऐसे दस्तावेजों को निष्पादित किया जाता है, दस्तावेजों पर स्टाम्प लगाई गई है। यदि कोई दस्तावेज कई अलग–अलग मामलों जैसे समझौते, क्षतिपूर्ति, पावर ऑफ अटॉर्नी आदि से संबंधित है, तो देय स्टाम्प शुल्क उन अलग–अलग मामलों पर देय स्टाम्प शुल्क की कुल राशि है।

पंजीकरण:

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 उन दस्तावेजों को निर्धारित करती है जिन्हें अनिवार्य रूप से पंजीकरण की आवश्यकता होती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, सभी गैर–वसीयतनामा दस्तावेज शामिल हैं जो अचल संपत्ति में किसी भी अधिकार को बनाते है, घोषित करते है, देते है, सीमित या समाप्त करते हैं। इसलिए, स्वामित्व विलेखों को जमा करके बंधक को छोड़कर, अन्य बंधको के लिए पंजीकरण की आवश्यकता होती है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि कुछ राज्यों में, स्वामित्व विलेखों को जमा करके बंधक को भी पंजीकरण की आवश्यकता होती है।

यदि पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के तहत पंजीकृत करने के लिए आवश्यक कोई दस्तावेज उक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत निर्धारित अवधि के भीतर पंजीकृत नहीं है, तो वह दस्तावेज अधिकारों को लागू करने के लिए किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में यह स्वीकार्य नहीं होगा। इसलिए, लागू विधि के अनुसार ऐसे दस्तावेजों को पंजीकृत करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

ऋण लेनदेन की प्रक्रिया में ऋणदाता के हितों की रक्षा के लिए उचित और पूर्ण ऋण दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होती है। उचित दस्तावेजों का चुनाव, दस्तावेजों के निष्पादन के लिए पक्षों की क्षमता व पात्रता और दस्तावेजों की उचित स्टाम्प यह निर्धारित करती है कि क्या दस्तावेज विधिक रूप से वैध है और विधि के तहत लागू करने योग्य है।

उचित दस्तावेजीकरण ऋण और विधिक जोखिम के विरुद्ध ऋणदाताओं के हितों की रक्षा करेगा। साथ ही, ऋण राशि की वसूली के लिए ऋणदाताओं का अधिकार ऋण दस्तावेजों की सटीकता और पूर्णता पर निर्भर करता है, क्योंकि ऋण दस्तावेजीकरण न्यायालय के माध्यम से अंतिम सहारे के रूप में अनुबंधित ऋण पुनर्प्राप्त करने के लिए ऋणदाता के अधिकारों को लागू करने के लिए प्राथमिक साक्ष्य प्रदान करते है। इसलिए, ऋणदाताओं को ऋण दस्तावेजों का उचित निष्पादन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

आवास वित्त क्षेत्र में कपट की निगरानी और निवारक उपाय

– रीजा के., उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

I. प्रस्तावना

वित्तीय क्षेत्र में कपट कोई भी ऐसा कार्य या चूक है जिसका उद्देश्य वित्तीय क्षति पहुंचाना है। यह वित्तीय संस्थानों एवं अन्य निर्दोष पक्षों के साथ कपट करने के इरादे से एक या अधिक पक्षों को शामिल करते हुए ऋण आवेदन या "अधिक परिष्कृत योजनाओं" में गलत जानकारी देने का आसान–सा कार्य हो सकता है।

कपट अवसर पाने का अपराध है जिसमें प्रणाली की कमजोरियों का शोषण किया जाता है, बंधक कपट, कोई अपवाद नहीं है। अचल संपत्ति और बंधक लेनदेन में कई पक्ष शामिल हैं जैसे कि स्थावर संपदा एजेंट, वकील, दलाल, मूल्यांकक, ऋणदाता और उधारकर्ता। बंधक लेनदेन में शामिल इतने पक्षों के शामिल होने के कारण कपटी कपट करने के लिए प्रणाली के किसी भी हिस्से की कमजोरियों का फायदा उठा सकते हैं।

पिछले दशकों के अंत तक, आवास ऋण को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए अपेक्षाकृत सुरक्षित ऋण विकल्प माना जाता था। ऐतिहासिक रूप से, एक प्रतिशत से भी कम की डिफॉल्ट दर (कोई भी अपने सिर से छत नहीं खोना चाहता है), को इस व्यवसाय में स्वस्थ परिसंपत्ति गुणवत्ता का कारण माना जाता था।

बड़ी मात्रा में व्यवसाय हासिल करने के लिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ब्याज दरों में अत्यधिक गिरावट के साथ आवास ऋण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा गंभीर स्तर पर पहुंच गई। हालांकि, धीरे–धीरे, आवास ऋण की गुणवत्ता, कपट की घटनाएँ और इस क्षेत्र में गैर–निष्पादित परिसंपत्तियों में वृद्धि के बारे में गंभीर चिंताएं भी सामने आई हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय संस्थानों और गैर–वित्तीय ऋणदाताओं द्वारा तृतीय पक्ष के दलालों की बढ़ती मांग ने संगठित कपट समूहों, विशेष रूप से बंधक उद्योग पेशेवरों से जुड़े लोगों के लिए अवसर प्रदान कर दिए है।

यह पाया गया है कि कपट बेईमान उधारकर्ताओं द्वारा विभिन्न तरीकों से की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ, उपकरणों की कपटपूर्ण छूट, गिरवी रखी गई संपत्तियों का कपटपूर्ण निपटान, निधि अपयोजन, जाली उपकरण, कई बैंकिंग व्यवस्थाओं का शोषण, और ऋण स्वीकृति/संवितरण में भूमिका में तृतीय पक्ष की ओर से कमियां शामिल है।

आवास ऋण कपट अत्यधिक बढ़ रहा है। यह आवास वित्त बाजार में – वकीलों, ऋणदाताओं और स्थावर संपदा दलालों से लेकर उधारकर्ताओं, सरकारी एजेंसियों और नियामक निकायों से लेकर वित्तीय संस्थानों और बैंकों तक, सभी हितधारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। चूंकि बंधक कपट करने के लिए समूह की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे खत्म करने के लिए हितधारकों द्वारा ही ठोस प्रयास करने की जरूरत है।

II. आवास वित्त क्षेत्रों में कपट के प्रकार

क. उधारकर्ता द्वारा किया गया कपट

- उधारकर्ता जाली दस्तावेज/विक्रय विलेख और बिल्डरों के जाली हस्ताक्षर जमा करके आवास ऋण प्राप्त कर लेते है। अनेक मामलों में, एक ही संपत्ति को विभिन्न ऋणदाताओं/बैंकों को जाली स्वामित्व विलेख प्रस्तुत करके प्रतिभूती के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।
- बिल्डर के पक्ष में जारी किए गए ऋण संवितरण चेक विश्वास के साथ उधारकर्ता को सौंप दिए जाते हैं।
- उधारकर्ताओं द्वारा जाली दस्तावेज जमा करके एक ही संपत्ति पर कई वित्तपोषण प्राप्त कर लिया जाता है।
- ऋण के अंतिम उपयोग का गलत विवरण प्रस्तुत किया जात है।

ख. उधारकर्ता और बिल्डर/विकासक के बीच कपटसंधि के कारण हुआ कपट

- संपत्ति विकासक के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाला उधारकर्ता

मूल शेयर प्रमाण पत्र/एनओसी प्रस्तुत करके विभिन्न ऋणदाताओं से आवास ऋण प्राप्त कर लेते है।

- वे संपत्ति जिसके लिए उधारकर्ता द्वारा आवास ऋण लिया गया है, विकासक/बिल्डर द्वारा किसी अन्य पक्ष को बेच दिया जाता है।
- बिल्डरों द्वारा विभिन्न ऋणदाताओं से प्राप्त परियोजना वित्तपोषण ऋण को समाशोधन/पुनर्भुगतान किए बिना संपत्ति का विक्रय कर दिया जाता है।

III. प्रणालीगत कमियों के कारण होने वाला कपट

- बंधक रखी गई संपत्ति गैर–मौजूद पाई जाती है।
- व्यक्तियों को बिना पूर्ववर्ती/साख के ऋण दिए जाते हैं और परिणामस्वरूप वे बाद में जाली पाए जाते हैं।
- चार्टर्ड एकाउंटेंट जिन्होंने दस्तावेजों को कथित रूप से जारी/सत्यापित किया था, वे स्वयं मौजूद नहीं पाए जाते हैं।

IV. कपट की कार्यप्रणाली

कपट की कार्यप्रणाली निम्नानुसार पाई गई है:

- इनमें से अधिकांश कपट आम तौर पर उधारकर्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष विक्रय एजेंट/दलालों/बिल्डरों के साथ कपटसंधि से की जाती है।
- ऋण लेने के लिए जाली बैंक विवरण/वेतन पर्ची/मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते है।
- वितरित चेक एजेंटों/तृतीय पक्षों द्वारा उधारकर्ता के बैंक/आ.वि.कं से एकत्र किए जाते हैं और इस उद्देश्य के लिए खोले गए फर्जी खाते में जमा किए जाते हैं और ऐसे फर्जी खाते से राशि निकाली जाती है।
- संपत्ति के अधिक मूल्यांकन के संबंध में, कपट बिल्डरों/मूल्यांकन कर्ताओं के साथ उधारकर्ता द्वारा कपटसंधि करके उच्च ऋण राशि निकालने के लिए किया जाता हैं।
- संपत्ति को जाली/नकली स्वामित्व विलेख के माध्यम से बेचा जाता है, भले ही विधिक स्वामित्व आ.वि.कं के पास हो।
- उधारकर्ता द्वारा कंपनी को प्रस्तुत विक्रेता के पंजीकृत संपत्ति दस्तावेजों में हेरफेर किया जाता है और इसे जाली विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
- आवासीय आवास संपत्ति के लिए लिया गया ऋण है। हालांकि, इस तरह के ऋण का लाभ उठाकर वाणिज्यिक संपत्ति खरीदी जाती है।
- जब दस्तावेजों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है, तो उसे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।
- जब भी पूर्व/बाद के दौरे किए जाते हैं, तो कपटसंधि करने वाले आयोजकों/बिल्डरों/आवेदक द्वारा आगंतुक अधिकारियों को वही फ्लैट दिखाया जाता है। ऐसे दौरे के दौरान लगभग सभी फ्लैट खाली पाए जाते हैं।

V. प्रेरक कारक

उपरोक्त प्रकार के कपट के प्रेरक कारकों को मोटे तौर पर निम्न रूप से पहचाना गया है:

- जाली दस्तावेज और प्रतिरूपण।
- विक्रेता की साख और प्रमाणिकता का सत्यापन न करना।
- मालिक से भूखण्ड के स्वामित्व की मूल श्रृंखला का सत्यापन न करना।
- ऋण के संवितरण के बाद राशि के अंतिम उपयोग का सत्यापन न करना।
- प्रेरक/विक्रेता/डीएसए और उधारकर्ता/सह–आवेदक के बीच कपटसंधि।
- उधारकर्ताओं की पहचान और रिकॉर्ड का सत्यापन न करना।
- आवास स्थल का दौरा न होना और उधारकर्ता के नियोक्ता से स्वतंत्र रूप से पूछताछ का अभाव।
- बिल्डरों/आवास समितियों/आवास विकास एजेंसियों को सीधे वितरण के बजाय उधारकर्ताओं को भुगतान आदेश सौंपने में लापरवाही।

VI. ऋणदाता की ओर से निवारक उपाय

कपट के उपरोक्त वर्गीकरण, उनके प्रेरक कारकों और कार्यप्रणाली के आधार पर, निम्नलिखित निवारक कार्रवाई/शमन कारक सुझाए गए हैं:

क. संस्वीकृति चरण में

- ऋण प्रस्तावों का उचित परिश्रम के साथ मूल्यांकन किया जाना है।
- सावधि ऋण लागत और वित्त के साधनों के विवरण के साथ संस्वीकृत किया जाना है।
- अतिरिक्त ऋण केवल वास्तविक मामलों के संबंध में बाजार की स्थितियों तथा समय और लागत में वृद्धि का कारण बनने वाले उन कारकों की उचित जांच के साथ संस्वीकृत किए जाने चाहिए।
- प्रधान कार्यालय/शाखाओं में अधिकारी संस्वीकृती देने वाले अधिकारियों को उधारकर्ताओं और आवास इकाइयों के बारे में पूर्ण तथ्य प्रदान करें।
- उधारकर्ता की किसी भी कमी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
- ऋण सुविधाओं की संस्वीकृती के समय निर्धारित नियमों एवं शर्तों का इस तरह की छूट के लिए किसी भी औचित्य के बिना राशि वितरित करते समय कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

ख. अनुवीक्षण चरण में

- ऋण और अग्रिम की संस्वीकृती के लिए प्रधान/शाखा कार्यालय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।
- उधारकर्ताओं की वित्तीय स्थिति और राशि के अंतिम उपयोग का ठीक से अनुवीक्षण किया जानी चाहिए।
- उधारकर्ताओं द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/वैल्यूअर्स सर्टिफिकेट का गहराई से अध्ययन किया जाना चाहिए और जहां भी संभव हो, यह सत्यापित करने के लिए, कि क्या समान संपत्ति को ऋण राशि देने के बाद किसी अन्य बैंक/वित्तिय संस्थान को बंधक रखा गया है या नहीं, खातों की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिए।
- किसी अन्य बैंक/आ.वि.कं से खाते लेने पर उधारकर्ता/आवास इकाइयों की वित्तीय स्थिति का उचित मूल्यांकन किया जाना है।

ग. विविध

- ऋणदाता अन्य बैंकों/एनबीएफसी से प्राप्त खातों/अन्य ऋणों का विवरण प्रस्तुत करते हुए तिमाही आधार पर उधारकर्ताओं से प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
- ऋणदाता मूल्यांकन के लिए स्वतंत्र विभागों की स्थापना पर विचार कर सकते हैं, जिसे सही विशेषज्ञता के साथ तकनीकी कर्मियों द्वारा संचालित किया जा सकता है।
- जहां भी संबंधित अधिकारियों द्वारा दुर्भावनापूर्ण लापरवाही पाई जाए है, वहां तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।
- ऋणदाताओं को चेक लिस्टिंग की प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए ताकि वे उधारकर्ताओं को राशि जारी करते समय या उनके अंतिम उपयोग का अनुवीक्षण करते समय किसी भी कमी पर ध्यान दे सकें।
- परियोजना वित्त के मामले में, प्रेरक/उधारकर्ता द्वारा अपने निर्धारित योगदान/निर्माण के चरण में आने के बाद ही संवितरण किया जाना चाहिए।
- नियोक्ता के साथ वेतन पर्चियों का सत्यापन किया जाना चाहिए।
- वेतन राशि की तुलना बैंक विवरण के साथ की मिलाई जानी चाहिए।
- बैलेंस शीट/आईटी रिटर्न का क्रॉस–सत्यापन किया जाना चाहिए।
- उधारकर्ता का व्यक्तिगत साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- बिल्डरों को बैंकरों के नाम पर बैंक खाता संख्या के साथ चेक जारी किए जाने चाहिए।
- चेक उधारकर्ता/एजेंट/विक्रेता को नहीं सौंपा जाना चाहिए। बैंक के विपणन अधिकारियों को स्वामित्व विलेखों में उल्लिखित पंजीकृत पते पर संपत्ति के बिल्डरों/विक्रेताओं को चेक की डिलीवरी के लिए भेजा जा सकता है।
- ब्लैकलिस्ट किए गए बिल्डरों और विकासकों के नाम के बारे में ऋणदाताओं और बैंकों के बीच सभी सूचनाओं को ट्रैक करने और साझा करने की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता है।
- ऋणदाताओं को संपत्तियों के मूल्यांकन के लिए इन–हाउस विशेषज्ञता विकसित करनी चाहिए।
- आ.वि.कं को उस भू–संपत्ति के मूल स्वामित्व विलेखों पर जोर देना चाहिए जिस पर संरचना बनाई गई है।
- रजिस्ट्रार के कार्यालय में स्वामित्व विलेखों जमा करके न्यायसंगत बंधक बनाए जाने चाहिए।
- डीएसए द्वारा अनुशंसित मामलों से निपटने के दौरान, ऋणदाता अत्यधिक सावधानी बरतें और यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर संस्वीकृत किया गया है, बाहरी प्रभावों पर नहीं।

VII. विनियामक संभावना और अनुपालन की आवश्यकता

- बिना किसी विलंब के कपट दर्ज करने के लिए रिपोर्टिंग प्रणाली बनाई जानी चाहिए। बैंक के साथ कपट के मामलों की सूचना देने में विलंब के संबंध में कर्मचारियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए।
- निर्धारित समय के भीतर सक्षम प्राधिकारी को कपट की सूचना देनी चाहिए।
- समय–समय पर पता लगाए गए कपट की समीक्षा और विश्लेषण किया जाना चाहिए।
- कपट की घोषणा पर सुनवाई की सूचना दी जानी चाहिए।

VIII. आगे की राह

- इसके अतिरिक्त, निवारक उपाय के रूप में, ऋणदाता ऐसी घटनाओं के प्रति उनकी भेद्यता को देखते हुए नीचे दिए गए बिंदुओं का पालन कर सकते हैं–
- समय पर पता लगाने, सूचना देने, जांच आदि के लिए रूपरेखा तैयार करें।
- सभी उच्च मूल्य के खातों की संभावित कपट के दृष्टिकोण से जांच की जाती है, और बोर्ड के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और रा.आ.बैंक को सुझाए गए उपायों पर कार्रवाई की जाती है।
- लेखा परीक्षा मानकों का प्रवर्तन और लेखा परीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- प्रणालीगत कमियों की पहचान करें, यदि कुछ हो, जिससे कपट करना सुविधाजनक बना हो और उसे दूर करने के उपाय करें।
- पता लगाने में देरी के कारणों की पहचान करें, यदि कोई हो, शीर्ष प्रबंधन को सूचित करें।
- सीबीआई/पुलिस जांच और पुनर्प्राप्ति की स्थिति की प्रगति का अनुवीक्षण करें।
- कपट की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करें, जैसे कि आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना।
- यह सुनिश्चित करें कि क्या कमजोरियों को दूर करने के लिए प्रणालियों और प्रक्रियाओं की जांच की गई है।
- कपट गतिविधियों के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने या सीमित करने के लिए अपने परिश्रम के तरीकों को बदलें।

और साथ ही कपटपूर्ण लेनदेन की घटना से बचाव के लिए आवश्यक सुरक्षा उपाय करें और अपनी प्रक्रियाओं में पर्याप्त नियंत्रण रखें।

सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार से निपटने की रणनीति में निवारक सतर्कता की भूमिका और उसके तहत राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर किए गए उपाय

– मोनिका मल्होत्रा, उप महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

परिचयः

सतर्कता का अर्थ आम तौर पर एहतियात या सावधानी है; ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इसे विशेष रूप से संभावित खतरे को पहचान लेने के लिए अधिक सावधानीपूर्वक ध्यान देने के रूप में परिभाषित करता है। अन्य समान अर्थ है – "संभावित खतरे या कठिनाइयों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने की क्रिया या अवस्था।"

लोक प्रशासन और सरकारी विभागों/संगठनों, उपक्रमों/बैंकों के कामकाजों में सतर्कता शब्द (और संबंधित शब्द सतर्कता अधिकारी और सतर्कता विभाग) का उपयोग आम तौर पर किसी कार्यालय, विभाग आदि की गतिविधियों पर सावधानीपूर्वक निगरानी रखने, ताकि भ्रष्ट आचरण (अनियमित और विधि विरुद्ध कार्रवाई करने या कर्मचारियों को सौंपे गए विभिन्न वैधानिक और प्रशासनिक कार्यों के अनुचित निर्वहन सहित) से बचने, कम करने और यहां तक कि पता लगाने और दंडित करने के लिए उचित कदम/उपाय उठाने (या एक अधिकारी/विभाग) के संदर्भ में किया जाता है।

इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए, सरकारी संगठन में यह सतर्कता समारोह आम तौर पर उस संगठन के एक अलग विभाग/विंग (जिसे सतर्कता विभाग/विंग कहा जाता है) में तैनात अधिकारियों (जिसे सतर्कता अधिकारी कहा जाता है) के एक अलग समूह को सौंपा जाता है – अध्यक्ष को मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के पदनाम पर नामित किया जाता है।

सतर्कता के प्रकारः

किसी भी संगठन की गतिविधियों पर सतर्कता कई रूपों में ली जाती है। सतर्कता के तीन मुख्य रूपों को (i) निवारक सतर्कता, (ii) जासूसी सतर्कता और (iii) दंडात्मक सतर्कता कहा जाता है।

निवारक सतर्कता का उद्देश्य त्रुटि की संभावना को कम करना है (विधि, मानदंड, या मोटे तौर पर कहें तो शासन आवश्यकता का उल्लंघन)। इसमें आगे बढ़ने से पहले मुद्दों की पहचान और समाधान करना शामिल है। निवारक सतर्कता को सुशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह सक्रिय दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर भ्रष्ट आचरण को रोकने में मदद करता है। (अधिक जानकारियों को बाद के पैरा में उल्लिखित किया गया है)।

जासूसी सतर्कता का उद्देश्य अनियमितताओं और कदाचार की पहचान करना है। इसमें गलत कार्यों को उजागर करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निगरानी, लेखा परीक्षा और जांच शामिल है।

दंडात्मक सतर्कता का उद्देश्य प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई और यहां तक कि आपराधिक अभियोजन कार्रवाई, जहां आवश्यक हो, का सहारा लेकर त्रुटि की संभावना को रोकना है। सतर्कता के इस रूप का उद्देश्य भविष्य के कदाचार को हतोत्साहित करना और प्रशासनिक व्यवस्था की अखंडता को बनाए रखना है।

निवारक सतर्कता का महत्वः

हालाँकि सतर्कता के तीनों रूप प्रभावी भ्रष्टाचार विरोधी रणनीति के महत्वपूर्ण घटक हैं, मुख्य रूप से जासूसी और दंडात्मक सतर्कता उपायों पर निर्भर रहने से जुड़ी अंतर्निहित चुनौतियां और कठिनाइयाँ हैं। ये उपाय अधिक संसाधन गहन हैं, इनमें लंबी खींची गई जांच, अर्ध–न्यायिक अनुशासनात्मक और विधिक कार्यवाही शामिल हैं ये शामिल व्यक्तियों की जवाबदेही में देरी करते हैं (जिससे भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों की प्रभावशीलता में जनता विश्वास का हो रहा है), संगठन के भीतर भय और अविश्वास की संस्कृति पैदा कर सकते हैं– यदि अधिक जोर दिया जाए। अनुसंधान से यह भी पता चला है कि भ्रष्टाचार के लिए पकड़े जाने और दंडित किए जाने की कथित संभावना अंततः कम होती है, दंडात्मक उपायों के निवारक प्रभाव को कम करती है।

दूसरी ओर, निवारक सतर्कता उपायों का उद्देश्य मूल कारणों से निपटकर भ्रष्ट आचरणों को रोकना और हतोत्साहित करना है, सकारात्मक संगठनात्मक संस्कृति को बढ़ावा देना है जो अखंडता, नैतिक व्यवहार और अनुपालन को महत्व देता है – जो यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सामान्य रूप से लोक कल्याण या विशेष रूप से कमजोर वर्गों के लिए बड़े निवेश, सरकार की विभिन्न सामाजिक आर्थिक योजनाएं/योजनाएं कुशलतापूर्वक निष्पादित की जाती है। यह सुनिश्चित करता है कि, सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न विधियों और विनियमों को निष्पक्ष रूप से प्रशासित किया जाए, और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार के लिए आवंटित संसाधनों का उपयोग ठीक से किया जाए। इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और कार्य संतुष्टि बढ़ती है।

वैचारिक और व्यवहारिक रूप से, निवारक सतर्कता उपायों को सार्वभौमिक रूप से बेहतर पाया गया है और भ्रष्टाचार को कम करने/नियंत्रित करने के लिए सभी सतर्कता उपायों के बीच इसे महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है।

विशिष्ट निवारक सतर्कता उपायः

अधिकांश सरकारी विभागों/संगठनों/बैंकों में कुछ विशिष्ट निवारक सतर्कता संबंधी उपाय यहां निम्न दर्शाया गया है;

1. **आचार संहिताः** केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए आचार संहिता है (अर्थात् सीसीएस (आचरण नियम) 1964), और बैंकों सहित प्रत्येक सरकारी संगठन/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी समान आचार संहिता या नैतिकता नीति है जो अपने कर्मचारियों के लिए अपेक्षित व्यवहार और नैतिक मानकों की रूपरेखा तैयार करती है। इस संहिता में कर्मचारियों के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में बताया गया है, इसमें उनके आधिकारिक कर्तव्यों और यहां तक कि कार्यालय के बाहर होने पर अपेक्षित व्यवहार, हितों के टकराव से बचना, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल न होना, गोपनीयता बनाए रखना, और सभी कार्यों में ईमानदारी के उच्चतम मानकों को बनाए रखना, के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देश शामिल हैं। (रा.आ.बैंक ने 1994 में रा.आ.बैंक कर्मचारी (आचरण) विनियम 1994 के तहत अपने आचार संहिता को अधिसूचित किया था।)

   उन प्रावधानों का उल्लेख किया जा सकता है जिनके लिए अधिकारी को कुछ लेनदेन (अचल संपत्ति का अधिग्रहण और वित्तीय संस्थान से ऋण लेने) के लिए पूर्व अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है अपनी चल और अचल संपत्ति की

   वार्षिक घोषणा करना, कुछ लेनदेन की रिपोर्टिंग (मौद्रिक सीमा से ऊपर चल संपत्ति का अधिग्रहण और वित्तीय संस्थानों में परिवार के सदस्यों की तैनाती) करना; और जब कर्मचारी का किसी भी आधिकारिक लेनदेन में व्यक्तिगत हित होता है जिससे वह निपट रहा है, का अग्रिम प्रकटीकरण करना शामिल हैं।

2. **संवेदनशील पदों पर कार्यरत पदाधिकारियों की रोटेशनल नीति और विशेष निगरानीः** इसमें संगठन स्तर पर, संवेदनशील पदों की पहचान, अधिकतम कार्यकाल तय करना और संवेदनशील पदों के लिए समय–समय पर रोटेशन सुनिश्चित करना, वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा औचक निरीक्षण करना और सतर्कता संवेदनशील क्षेत्रों (सीसीटीवी के माध्यम से) की कड़ी निगरानी करना शामिल है।

3. **मुखबिर तंत्रः** संगठनों/बैंकों को अपने कर्मचारियों और हितधारकों के लिए निवारक सतर्कता उपाय के रूप में एक तंत्र स्थापित करना होगा, जिससे वे संगठन में पाई गई किसी भी अनैतिक या भ्रष्ट आचरणों की रिपोर्ट कर सकें। यह व्यक्तियों को प्रतिशोध के डर के बिना जानकारी के साथ आगे आने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे उनकी पहचान की रक्षा रहती है। (रा.आ.बैंक ने सामान्य जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर अपनी मुखबिर नीति विवरण का भी प्रदान किया है)।

4. **प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमः** संगठन द्वारा अपने कर्मचारियों को सतर्कता, नैतिकता और संगठन में किसी भी

संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना है।

5. **जोखिम मूल्यांकन और प्रबंधन:** परिचालन विभागों में विशेष रूप से संवेदनशील कार्यों के साथ संगठन में संभावित कमजोरियों और जोखिमों की पहचान करने के लिए नियमित जोखिम मूल्यांकन किया जाता है, इससे इन जोखिमों को कम करने के लिए उपयुक्त निवारक उपायों और संचालन प्रक्रियाओं आदि को तैयार करने में मदद मिलती है।

6. **पारदर्शी क्रय प्रक्रियाएं:** पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना, जो वस्तुओं एवं सेवाओं के अधिग्रहण में भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरणों को रोकने में मदद करता है।

7. **आंतरिक लेखा परीक्षा:** निष्पादित कार्यों की औचित्य की समीक्षा करने के लिए संवेदनशील विभागों की नियमित आवधिक आंतरिक लेखा परीक्षा, चाहे वह शासी आंतरिक नीतियों और प्रक्रियाओं और वैधानिक/नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में हो। ये लेखा परीक्षा अनियमितताओं और गैर–अनुपालन और उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करते हैं जहां सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता होती है, जहां जोखिम मूल्यांकन प्रणाली को संशोधित करना आवश्यक हो।

8. **हितों के टकराव की नीति:** संगठन द्वारा हितों के टकराव की स्पष्ट नीति निर्धारित किए जाने की उम्मीद है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी कार्य या विशेष परियोजना को संभालने के दौरान कर्मचारियों द्वारा किसी भी संभावित टकराव का खुलासा किया जाए ताकि प्रबंधन द्वारा उन्हें कम करने के लिए उचित कार्रवाई की जा सकें।

9. **प्रौद्योगिकी का उपयोग:** डेटा विश्लेषण और निगरानी उपकरण जैसे प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों का कार्यान्वयन जो वित्तीय निहितार्थ वाले लेनदेन में संदिग्ध पैटर्न और अनियमितताओं की पहचान करने, उपयुक्त विस्तृत जांच और उल्लंघन आदि का पता लगाने में मदद कर सकता है।

10. **प्रक्रियाओं के स्वचालन और पुनर्रचना का अधिक उपयोग:** यह विभिन्न हितधारकों और संगठन के कर्मचारियों के साथ संपर्क बिंदुओं को कम करके संचालन को तेज करने और व्यापक छोटे भ्रष्टाचार (जिसे स्पीड मनी भी कहा जाता है) के आरोपों को कम करने में मदद करता है।

11. **कर्मचारी की पृष्ठभूमि की जांच:** भर्ती प्रक्रिया के दौरान पृष्ठभूमि की गहन जांच की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संदिग्ध अखंडता/पृष्ठभूमि या रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को तैनात नहीं किया गया है।

12. **शिकायत निवारण तंत्र:** संगठन द्वारा कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना, शिकायत अधिकारी – संपर्क विवरण आदि का व्यापक प्रचार करना।

13. **कुछ संगठनों द्वारा किए गए नए उपायों का प्रचार:** विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों में निवारक सतर्कता तंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी संख्या में नवीन उपाय भी किए जा रहे हैं, जिनमें प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी की मदद ली जा रही हैं। प्रक्रियाओं के स्वचालन और बाहरी हितधारकों, चाहे वह आईटी विक्रेता, ठेकेदार या ग्राहक हों, के साथ संगठनों की छवि में सुधार से संबंधित प्रक्रियाओं और कई अन्य पहलों पर प्रकाश डाला गया है। कई संगठनों ने विक्रेताओं और ठेकेदारों के लिए सुचना प्रौद्योगिकी आधारित पोर्टल विकसित किए हैं जिसमें वे बिलों की प्रक्रियाओं और भुगतान को ट्रैक कर सकते हैं। इन्हें समय–समय पर संकलित किया जाता है और अन्य सभी बैंकों को परिचालित किया जाता है।

निवारक सतर्कता–अंतरराष्ट्रीय प्रयास –

भारत में सार्वजनिक कार्यालयों/बैंकों आदि के लिए निर्धारित निवारक सतर्कता और विभिन्न निवारक सतर्कता उपायों पर जोर, वास्तव में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किए जाते हैं और विधि विरुद्ध लाभ के लिए भ्रष्टाचार और प्राधिकरण के दुरुपयोग से निपटने और रोकने के लिए अनुस्गंसित किए जाते है। इनमें से कुछ विशेष रूप से 2003 में अपनाए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएसी) में बनाए गए हैं और 2005 में उनके महत्व को पहचानते हुए लागू किए गए है (भारत के हस्ताक्षरकर्ता होने के नाते)। निम्नलिखित उल्लेख किया जा सकता है:

1. **निवारक उपाय (अनुच्छेद 5)** – यूएनसीएसी भ्रष्टाचार के रोक–थाम के लिए निवारक उपायों को लागू करने के महत्व को पहचानता है। राज्य सरकारों को व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी

नीतियों, रणनीतियों और निवारक उपायों को विकसित करने और लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में अखंडता, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं;

2. **सार्वजनिक क्रय और सार्वजनिक वित्त का प्रबंधन (अनुच्छेद 9)** – सार्वजनिक क्रय और सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन में निवारक सतर्कता आवश्यक है। यह सम्मेलन भ्रष्ट आचरणों को रोकने के लिए इन क्षेत्रों में पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता पर जोर देता है।

3. **लोक अधिकारियों के लिए आचार संहिता (अनुच्छेद 8)** – राज्य सरकारों को लोक अधिकारियों के लिए आचार संहिता स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो व्यवहार, नैतिकता और अखंडता के अपेक्षित मानकों की रूपरेखा तैयार करते हैं। निवारक सतर्कता उपायों में इन संहिताओं के अनुपालन को बढ़ावा देना और लोक अधिकारियों के लिए नैतिकता प्रशिक्षण आयोजित करना शामिल है।

4. **मुखबिर सुरक्षा (अनुच्छेद 33)** – मुखबिर सुरक्षा उपायों के माध्यम से निवारक सतर्कता को बढ़ाया जाता है। राज्य सरकारों को भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों की रिपोर्ट करने और मुखबिर को प्रतिशोध से बचाने के लिए प्रक्रियाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

5. **लोक प्रशासन में पारदर्शिता (अनुच्छेद 10)** – पारदर्शिता और सरकारी अभ्यास आवश्यक निवारक उपाय हैं। राज्य सरकारों को उन उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो सूचना और नागरिक भागीदारी तक पहुंच सहित सार्वजनिक प्रशासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं।

6. **न्यायिक और विधि प्रवर्तन अखंडता (अनुच्छेद 11)** – सम्मेलन न्यायपालिका और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के भीतर अखंडता बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। निवारक उपायों में आचार संहिताएं, नैतिकता प्रशिक्षण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए तंत्र शामिल हैं।

7. **परिसंपत्ति घोषणा (अनुच्छेद 8)** – निवारक सतर्कता में लोक अधिकारियों को अपनी संपत्ति और हितों की घोषणा करने की आवश्यकता होती है। यह अवैध संवर्धन और हितों के टकराव का पता लगाने और रोकने में मदद करता है।

8. **काले धन को वैध बनाने से रोकना (अनुच्छेद 14)** – काले धन को वैध बनाने से रोकना – भ्रष्टाचार और अवैध लाभ का सामान्य परिणाम माना जाता है, और निवारक सतर्कता का एक अभिन्न अंग है। राज्य सरकारों को काले धन का पता लगाने और उसे रोकने के लिए व्यापक उपाय स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9. **जन जागरूकता और शिक्षा (अनुच्छेद 13)** – निवारक सतर्कता में भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जनता में जागरूकता लाना भी शामिल है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं।

अंततः, निवारक सतर्कता भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अधिकांश राष्ट्रों के दृष्टिकोण में मौलिक पहलू है। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में भ्रष्ट आचरणों को रोकने, पारदर्शिता, अखंडता और जवाबदेही को बढ़ावा देने, और नैतिक व्यवहार की संस्कृति बनाने के उद्देश्य से उपायों और सिद्धांतों की अत्यंत विस्तृत श्रृंखला शामिल है। निवारक सतर्कता प्रवर्तन उपायों का पूरक है और भ्रष्टाचार के मूल कारणों को दूर करने में मदद करता है, जो दुनिया भर में भ्रष्ट आचरणों से निपटने के लिए किए जा रहे समग्र प्रयासों में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।

पिडपी - लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प

– हेमकुमार गोपालकृष्णन, सहायक महाप्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

1. परिचय

देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और उन्हें लोकतंत्र में उन्हें दी गई शक्ति का एहसास होना चाहिए। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सतर्क रहे और सुशासन में योगदान दे।

नागरिकों को सिस्टम में भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में, नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और बिना किसी झिझक या उत्पीड़न के डर के शिकायत या जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए। नागरिक किसी भी उत्पीड़न से चिंतित हुए बिना पीआईडीपीआई के रूप में शिकायत दर्ज कर सकते हैं या जानकारी प्रदान कर सकते हैं। शिकायतकर्ता और/या सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाती है। संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता को किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को मुखबिर की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने का भी अधिकार है।

2. पृष्ठभूमि

विभिन्न व्हिसलब्लोअर्स को धमकी देने, उत्पीड़न करने और यहां तक कि हत्या करने के कई मामले सामने आए हैं। नवंबर 2003 में एक इंजीनियर, सत्येन्द्र दुबे की हत्या कर दी गईय दुबे ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में भ्रष्टाचार के मामले का खुलासा किया था।

परिणामस्वरूप, 2004 में, उपरोक्त उल्लिखित घटना के बाद दायर एक रिट याचिका के जवाब में, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक अधिनियम लागू होने तक व्हिसलब्लोअर की शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए एक तंत्र बनाने का निर्देश दिया। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने एक अधिसूचना, लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पीआईडीपीआई) जारी की, जिसमें सीवीसी को नोडल एजेंसी नामित किया गया।

3. कर्मचारी के खिलाफ पीआईडीपीआई शिकायत दर्ज की जा सकती है:

- केंद्र सरकार
- केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक
- किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित निगम
- केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनियां, सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण

4. भ्रष्टाचार क्या है?

- रिश्वतखोरी (देना/लेना)
- किसी को फायदा पहुंचाने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई या निष्क्रियता
- किसी (ज्ञात या अज्ञात) को लाभ देने से इनकार करने की जानबूझकर की गई कार्रवाई या निष्क्रियता।
- पक्षपात/उत्पीड़न
- निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करने में विफलता जिससे किसी को अपेक्षित लाभ हो।
- पात्र को लाभ से वंचित करना
- जानबूझकर की गई लापरवाही
- निर्णय लेने में लापरवाही
- प्रणालियों और प्रक्रियाओं का घोर उल्लंघन
- पद/आधिकारिक संसाधनों का दुरुपयोग
- अवैध परितोषण की मांग करना/स्वीकार करना दुरूपयोग, जालसाजी, धोखाधड़ी, चोरी, धोखाधड़ी विवेक का अत्यधिक प्रयोग
- आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति

5. पीआईडीपीआई के तहत शिकायत कैसे दर्ज करें

- शिकायत एक बंद/सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।
- लिफाफे के ऊपर 'पीआईडीपीआई' या 'लोकहित हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत' लिखा होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता बताना चाहिए।
- लिफाफे पर नाम एवं पता अंकित नहीं होना चाहिए।
- शिकायतें केवल डाक के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए। डाकघरों को निर्देश दिया गया है कि वे लिफाफे में शिकायतकर्ता के पते और अन्य विवरण पर जोर न दें।
- ईमेल, सीवीसी के शिकायत प्रबंधन पोर्टल या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- शिकायत का पाठ इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि शिकायतकर्ता की पहचान का कोई विवरण या सुराग न दिया जाए।
- शिकायत का विवरण या सामग्री विशिष्ट और सत्यापन योग्य होनी चाहिए।
- यदि उपलब्ध हो तो शिकायतकर्ता सहायक दस्तावेज भी संलग्न कर सकता है।
- यदि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता है, तो शिकायत को सामान्य शिकायत की तरह माना जाएगा और शिकायतकर्ता की पहचान उजागर हो सकती है।
- भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी पीआईडीपीआई शिकायतें प्राप्त करने के लिए नामित प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हैं।

6. परहेज करने योग्य बातें

- गुमनाम/छद्मनाम शिकायतें नहीं भेजी जानी चाहिए।
- शिकायत में सामान्य सामग्री से परहेज किया जाना चाहिए। यह घटना/घटनाओं के लिए विशिष्ट होना चाहिए।
- सामान्य शिकायत का उदाहरण (बचा जाना चाहिए):
  - 'एबीसी विभाग में हो रही करोड़ों रुपये की लूट'
  - 'एबीसी अनुभाग में प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है'
- शिकायत शिकायत निवारण के लिए नहीं होनी चाहिए।
- शिकायतकर्ता को अपनी पहचान उजागर होने से बचने के लिए

इसे दर्ज नहीं करना चाहिए या किसी अन्य एजेंसी के पास शिकायत दर्ज नहीं करनी चाहिए।
- शिकायत किसी को परेशान करने के इरादे से प्रेरित या परेशान करने वाली नहीं होनी चाहिए।
- पीआईडीपीआई के तहत शिकायत कर्मचारियों के खिलाफ दर्ज नहीं की जा सकती:
  - राज्य सरकार
  - राज्य सरकारों द्वारा स्थापित निगम।
- शिकायत खुली स्थिति में या ई–मेल द्वारा प्राप्त नहीं की जानी चाहिए।
- जिन शिकायतों को अन्य/कई प्राधिकारियों को संबोधित किया गया है, उन्हें पीआईडीपीआई संकल्प के तहत शिकायत के रूप में नहीं माना जाता है और कॉन्फिडेंट द्वारा अग्रेषित किया जाता है।

7. पीआईडीपीआई के तहत शिकायतों से निपटने के लिए सीवीसी प्रक्रिया:

- पीआईडीपीआई संकल्प के तहत प्राप्त शिकायतों को गोपनीय अनुभाग में खोला जाता है और शिकायतकर्ता का नाम और पता छिपाकर प्रत्येक शिकायत के लिए अलग फाइल बनाई जाती है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अवसर पर आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट की कुछ झलकियाँ

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की कुछ झलकियाँ

- जिन शिकायतों को अन्य/कई प्राधिकारियों को संबोधित किया गया है, उन्हें पीआईडीपीआई संकल्प के तहत शिकायत के रूप में नहीं माना जाता है और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए गोपनीय अनुभाग द्वारा आयोग के संबंधित अनुभाग को भेज दिया जाता है।
- पीआईडीपीआई संकल्प के तहत प्राप्त गुमनाम और छद्म नाम की शिकायतें भी आयोग की शिकायत प्रबंधन नीति के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सीधे आयोग के संबंधित अनुभाग को भेजी जाती हैं।
- उन शिकायतों के संबंध में जिन्हें पीआईडीपीआई संकल्प के तहत प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त माना जाता है, शिकायतकर्ता को एक पत्र भेजा जाता है।
  - ➢ इस बात की पुष्टि प्राप्त करने के लिए कि क्या उसने शिकायत की है।
  - ➢ एक प्रमाण पत्र कि उसने व्हिसल ब्लोअर शिकायतकर्ता के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष भ्रष्टाचार/कार्यालय के दुरुपयोग के समान/समान आरोप नहीं लगाए हैं।
  - ➢ शिकायतकर्ता से पुष्टिकरण और प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय सीमा शिकायतकर्ता द्वारा आयोग का पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन है।
  - ➢ निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर एक अनुस्मारक जारी किया जाता है, जिसमें शिकायतकर्ता को आयोग को पुष्टि और प्रमाण पत्र भेजने के लिए अतिरिक्त दो सप्ताह का समय दिया जाता है।
  - ➢ यदि शिकायतकर्ता की ओर से फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो शिकायत को आयोग की शिकायत प्रबंधन नीति के तहत आवश्यक कार्रवाई के लिए आयोग की संबंधित शाखा को भेज दिया जाता है।
- शिकायतकर्ता से प्रमाण पत्र के साथ आवश्यक पुष्टि प्राप्त करने के बाद, शिकायत को निर्णय के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखा जाता है।
- स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष सचिव होते हैं और आयोग के अतिरिक्त सचिव सदस्य होते हैं। स्क्रीनिंग समिति सभी शिकायतों की जांच करती है और जांच और रिपोर्ट (आई एंड आर)/आवश्यक कार्रवाई (एनए) /फाइलिंग के लिए शिकायतों की सिफारिश करती है।

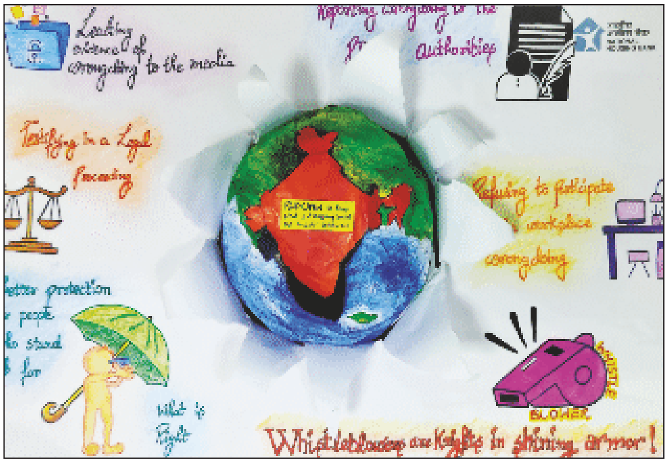

- स्क्रीनिंग कमेटी शिकायतों को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित शाखा को भेजती है। जांच और रिपोर्ट के लिए अनुशंसित शिकायतों को आयोग की मंजूरी के बाद आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित शाखा को भेजा जाता है। आयोग संबंधित शाखा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आयोग से प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि की सिफारिश करता है।

8. व्हिसिल ब्लोअर्स को संरक्षण:

पीआईडीपीआई संकल्प के अनुसार, व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

- खंड 6 – यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से व्यथित है कि उसे इस तथ्य के कारण पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत दर्ज की है या खुलासा किया है, तो वह नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी (सीवीसी) के समक्ष एक आवेदन दायर कर निवारण की मांग कर सकता है। नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, संबंधित लोक सेवक या सार्वजनिक प्राधिकरण को उचित निर्देश दे सकता है।

- खंड 7 – या तो शिकायतकर्ता के आवेदन पर, या एकत्रित जानकारी के आधार पर, यदि नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित आदेश जारी करेगा।
- खंड 11 – नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी के विपरीत निर्देशों के बावजूद मुखबिर की पहचान का खुलासा होने की स्थिति में, नामित एजेंसी ऐसे प्रकटीकरण करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है।
- सीवीसी, व्हिसिल ब्लोअर्स से उनके जीवन को खतरे के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, वास्तविक व्हिसल ब्लोअर्स को सुरक्षा कवर प्रदान करने की जिम्मेदारी लेने के लिए नोडल एजेंसी, गृह मंत्रालय के साथ मामला उठाता है। गृह मंत्रालय की सलाह पर, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और राज्य सरकारों द्वारा नामित ऐसे अधिकारियों का विवरण समय–समय पर गृह मंत्रालय द्वारा आयोग को प्रस्तुत किया जाता है।

जहां तक विभाग के भीतर उत्पीड़न या उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा का संबंध है, आयोग व्हिसल ब्लोअर्स की ऐसी शिकायतों को उचित कार्रवाई के लिए संबंधित संगठन के सीवीओ को भेजता है।

9. सारांश

- मंत्रालय/विभाग के सीवीसी और सीवीओ केंद्र सरकार या किसी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी निगम, सरकारी कंपनियों, केंद्र सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सोसायटी या स्थानीय प्राधिकरण के किसी भी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी भी आरोप पर लिखित शिकायतें प्राप्त करने या खुलासा करने के लिए नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी हैं।
- नामित एजेंसी/नामित प्राधिकारी शिकायतकर्ता की पहचान सत्यापित करेगा। यदि शिकायत गुमनाम है, तो वह मामले में कोई कार्रवाई नहीं करेगी।
- शिकायतकर्ता की पहचान तब तक उजागर नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता ने शिकायत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया हो या किसी अन्य कार्यालय को अपनी पहचान नहीं बताई हो।
- आयोग आगे की रिपोर्ट/जांच की मांग करते समय मुखबिर की पहचान का खुलासा नहीं करेगा और संगठन के संबंधित प्रमुख से अनुरोध करेगा कि यदि किसी भी कारण से यह जानकारी सामने आती है तो मुखबिर की पहचान गुप्त रखी जाए।
- आयोग आवश्यक समझे जाने पर प्राप्त शिकायत के अनुसार जांच पूरी करने के लिए सभी सहायता प्रदान करने के लिए सीबीआई या पुलिस अधिकारियों को बुलाने के लिए अधिकृत होगा।
- यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से व्यथित है कि उसे इस तथ्य के कारण पीड़ित किया जा रहा है कि उसने शिकायत दर्ज की है या खुलासा किया है, तो वह आयोग के समक्ष एक आवेदन दायर कर निवारण की मांग कर सकता है। आयोग, जैसा भी मामला हो, संबंधित व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकरण को उचित निर्देश दे सकता है। यदि आयोग की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो वह संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करेगा।
- यदि आयोग को शिकायत प्रेरित या परेशान करने वाली लगती है, तो वह उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- आयोग किसी भी ऐसे खुलासे पर विचार या पूछताछ नहीं करेगा जिसके संबंध में लोक सेवक पूछताछ अधिनियम, 1850 के तहत औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया हो, या कोई ऐसा मामला जिसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत जांच के लिए भेजा गया हो।
- आयोग के दिशा–निर्देशों के बावजूद मुखबिर की पहचान का खुलासा होने की स्थिति में, आयोग इस तरह का खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई आरम्भ करने के लिए अधिकृत है।

निवारक सतर्कता - संगठनात्मक उत्कृष्ठता के लिए अखंडता, पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना

– आशीष जैन, क्षेत्रीय प्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, लखनऊ

"हम सभी का कर्तव्य है, सतर्क रहकर अपने कर्म को संरक्षित करना"

परिचय

आज के गतिशील और अत्यधिक परस्पर जुड़े व्यावसायिक परिदृश्य में, संगठनों को कई जोखिमों, धोखाधड़ी और भ्रष्ट प्रथाओं का सामना करना पड़ता है जो उनकी स्थिरता, प्रतिष्ठा और हितधारक विश्वास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। निवारक सतर्कता इन जोखिमों की पहचान करने, रोकने और कम करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण के रूप में कार्य करती है। यह संगठनों के भीतर सुशासन, नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जोखिम प्रबंधन के एक अनिवार्य घटक के रूप में मान्यता प्राप्त, निवारक सतर्कता केवल नियमों और कानूनों के अनुपालन से परे है। इसमें अखंडता, पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति बनाना शामिल है जो पूरे संगठन में व्याप्त है। यह लेख निवारक सतर्कता के महत्व, एक पुरस्कार विजेता निवारक सतर्कता कार्यक्रम के आवश्यक तत्वों, निवारक सतर्कता को सफलतापूर्वक लागू करने वाली कंपनी का एक विस्तृत केस स्टडी और ऐसे कार्यक्रमों के बहुआयामी प्रभाव और परिणामों की गहन खोज प्रदान करता है।

I. निवारक सतर्कता का महत्व

निवारक सतर्कता संगठनों के लिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि यह एक मजबूत नैतिक आधार स्थापित करती है और टिकाऊ विकास की सुविधा प्रदान करती है। निवारक सतर्कता के अत्यधिक महत्व के प्रमुख कारणों में शामिल हैं:

- **अखंडता की संस्कृति का पोषण**

अखंडता संगठनात्मक सफलता की आधारशिला है। अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देकर, संगठन अपने कार्यों को अपने घोषित मूल्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं, विश्वास का निर्माण कर सकते हैं, और एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाए रख सकते हैं। निवारक सतर्कता शीर्ष से स्वर निर्धारित करती है, जिसमें नेता सक्रिय रूप से नैतिक आचरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देते हैं। यह कर्मचारियों के बीच गर्व और प्रतिबद्धता की भावना पैदा करता है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके कार्य न केवल उनके पेशेवर जीवन को प्रभावित करते हैं, बल्कि संगठन की अधिक से अधिक भलाई में भी योगदान करते हैं।

- **जोखिमों और धोखाधड़ी का शीघ्र पता लगाना और रोकथाम**

किसी भी संगठन की दीर्घकालिक सफलता के लिए जोखिम और धोखाधड़ी की पहचान और रोकथाम महत्वपूर्ण है। निवारक सतर्कता में विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में संभावित कमजोरियों की पहचान करने के लिए व्यापक जोखिम मूल्यांकन करना शामिल है। इन जोखिमों की जल्दी पहचान करके, संगठन धोखाधड़ी गतिविधियों की संभावना को कम करने के लिए निवारक उपायों और नियंत्रणों को लागू कर सकते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण संगठनों को वित्तीय नुकसान, प्रतिष्ठा क्षति और यहां तक कि संभावित कानूनी परिणामों से बचाता है।

- **संगठनात्मक प्रतिष्ठा और हितधारक हितों की रक्षा**

प्रतिष्ठा संगठनों के लिए एक अमूल्य संपत्ति है। निवारक सतर्कता उस प्रतिष्ठा के निर्माण और सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अखंडता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देकर, संगठन ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, कर्मचारियों और निवेशकों सहित हितधारकों के बीच विश्वास और विश्वास स्थापित करते हैं। यह विश्वास स्वस्थ व्यावसायिक संबंधों को बनाए रखने और नए अवसरों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। निवारक सतर्कता धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की घटनाओं से उत्पन्न होने वाली प्रतिष्ठा क्षति से संगठन की छवि और ब्रांड इक्विटी की रक्षा करती है।

- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना**

सूचित निर्णय लेने और हितधारक विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। निवारक सतर्कता यह सुनिश्चित करती है कि संगठनों के पास सटीक और विश्वसनीय जानकारी तक पहुंच हो, जिससे वे ठोस निर्णय ले सकें। इसके अलावा, यह जवाबदेही और जिम्मेदार शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निवारक सतर्कता उपायों को लागू करके, संगठन आंतरिक नीतियों, विनियमों और उद्योग मानकों का पालन कर सकते हैं, पारदर्शी प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत कर सकते हैं।

II. एक पुरस्कार विजेता निवारक सतर्कता कार्यक्रम के तत्व

एक पुरस्कार विजेता निवारक सतर्कता कार्यक्रम में कई अभिन्न तत्व शामिल हैं जो सामूहिक रूप से एक समग्र और मजबूत ढांचा बनाते हैं। इन तत्वों में शामिल हैं–

- **व्यापक जोखिम मूल्यांकन तकनीक**

एक प्रभावी निवारक सतर्कता कार्यक्रम एक व्यापक जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया के साथ शुरू होता है। संगठनों को संभावित जोखिमों, धोखाधड़ी और भ्रष्ट प्रथाओं की पहचान करने की आवश्यकता है जो उनके संचालन के भीतर मौजूद हो सकते हैं। इसमें विभिन्न व्यावसायिक प्रक्रियाओं, संचालन के क्षेत्रों और संभावित कमजोरियों का व्यवस्थित मूल्यांकन शामिल है। इन जोखिमों की पहचान और प्राथमिकता देकर, संगठन उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए संसाधनों को आवंटित कर सकते हैं। उभरते खतरों से आगे रहने के लिए जोखिम मूल्यांकन ढांचे की नियमित समीक्षा और अपडेट आवश्यक हैं।

- **आंतरिक नियंत्रण और जांच को मजबूत करना**

एक मजबूत आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का निर्माण निवारक सतर्कता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। संगठनों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं और जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप नियंत्रण तंत्र विकसित करने और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है। इन नियंत्रणों में कर्तव्यों का पृथक्करण, दोहरी नियंत्रण प्रक्रियाएं, पहुंच नियंत्रण और मजबूत अनुमोदन प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। उनकी निरंतर प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण प्रणालियों की नियमित निगरानी और मूल्यांकन आवश्यक है। नियंत्रण तंत्र का लगातार आकलन और सुधार करके, संगठन सक्रिय रूप से नियंत्रण कमजोरियों की पहचान और समाधान कर सकते हैं।

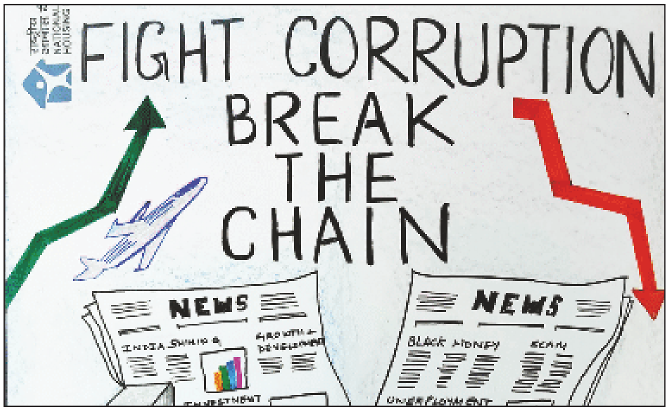

- **पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना**

संस्कृति एक संगठन के भीतर व्यवहार को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निवारक सतर्कता पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारी अपने सभी इंटरैक्शन में नैतिक व्यवहार के महत्व को समझते हैं और गले लगाते हैं। नैतिकता, धोखाधड़ी की रोकथाम और अनुपालन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से और व्यापक रूप से आयोजित किए जाने चाहिए। संगठनों को खुले और पारदर्शी संचार को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, जिससे कर्मचारियों को आत्मविश्वास से संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सुरक्षित और गोपनीय रिपोर्टिंग के लिए चौनल स्थापित करना, जैसे हॉटलाइन और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम, समय पर रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है।

- **सक्रिय सूचना साझाकरण और सहयोग**

धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने में सूचना साझा करण और सहयोग महत्वपूर्ण हैं। संगठनों को धोखाधड़ी से संबंधित ज्ञान और निवारक उपायों को साझा करने के लिए संचार चैनल स्थापित करना चाहिए। इसमें उद्योग मंच, कार्यशालाएं और सम्मेलन शामिल हो सकते हैं जहां संगठन एक–दूसरे के अनुभवों से सीख सकते हैं।

कानून प्रवर्तन एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों के साथ सहयोग भी महत्वपूर्ण है। प्रयासों को संरेखित करके और जानकारी साझा करके, संगठन जांच में सहायता कर सकते हैं और धोखाधड़ी गतिविधियों की समग्र रोकथाम में योगदान कर सकते हैं।

III. केस स्टडीः XYZ Inc. – निवारक सतर्कता उत्कृष्टता का उदाहरण

निवारक सतर्कता की परिवर्तनकारी शक्ति का एक व्यावहारिक चित्रण प्रदान करने के लिए, आइए XYZ Inc. के केस स्टडी की जांच करें, एक कंपनी जिसे व्यापक रूप से अपनी अनुकरणीय निवारक सतर्कता पहल के लिए मान्यता प्राप्त है। XYZ Inc. ने एक मजबूत कार्यक्रम लागू किया जिसने कई प्रभावी तत्वों का प्रदर्शन किया:

- **एक व्यापक धोखाधड़ी जोखिम मूल्यांकन ढांचे का कार्यान्वयन**

XYZ Inc. ने अपने संगठन के भीतर संभावित धोखाधड़ी जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण नियोजित किया। इस प्रक्रिया में विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में पूरी तरह से मूल्यांकन करना, आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना और रुझानों और पैटर्न की पहचान करने के लिए ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करना शामिल था। इस व्यापक दृष्टिकोण ने उन्हें अपने संभावित प्रभाव के आधार पर जोखिम और कमजोरियों को प्राथमिकता देने की अनुमति दी। संभावित जोखिमों की विस्तृत समझ के साथ, XYZ Inc. ने पहचाने गए जोखिमों और कमजोरियों को कम करने के लिए विशिष्ट उपाय विकसित किए।

- **धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए अनुकूलित तकनीकी उपकरण**

अपनी निवारक सतर्कता क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, XYZ Inc. ने धोखाधड़ी गतिविधियों का पता लगाने के लिए उन्नत तकनीकी उपकरण तैनात किए। इन उपकरणों में डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम शामिल थे जो विसंगतियों और संभावित धोखाधड़ी पैटर्न की पहचान करने के लिए एल्गोरिदम और डेटा पैटर्न मान्यता का लाभ उठाते थे। अपनी चल रही निगरानी प्रक्रियाओं में इन उपकरणों को एकीकृत करके, XYZ Inc. ने निरंतर जोखिम शमन और संभावित धोखाधड़ी गतिविधियों का शीघ्र पता लगाना सुनिश्चित किया।

- **नैतिकता, धोखाधड़ी की रोकथाम और व्हिसलब्लोइंग पर कर्मचारी प्रशिक्षण कार्यक्रम**

XYZ Inc. ने अखंडता की संस्कृति को बढ़ावा देने में कर्मचारी जागरूकता और जुड़ाव के महत्व को मान्यता दी। उन्होंने नैतिक

व्यवहार, धोखाधड़ी की रोकथाम और आंतरिक नीतियों और नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के बारे में कर्मचारियों को शिक्षित करने के लिए नियमित और व्यापक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने संभावित धोखाधड़ी जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, सामान्य धोखाधड़ी प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करने और कर्मचारियों को कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया। XYZ Inc. ने व्हिसलब्लोअर्स के लिए मजबूत सुरक्षा भी प्रदान की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कर्मचारी संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करते समय सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करें।

- **विश्वास और रिपोर्टिंग की संस्कृति को बढ़ावा देना**

XYZ Inc. ने कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण बनाकर विश्वास और रिपोर्टिंग की संस्कृति स्थापित की। उन्होंने एक समर्पित हॉटलाइन और एक ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित की, यह सुनिश्चित करते हुए कि कर्मचारी संदिग्ध गतिविधियों को गोपनीय और गुमनाम रूप से रिपोर्ट कर सकते हैं। XYZ Inc. ने रिपोर्ट की गई घटनाओं पर खुले संचार और समय पर कार्रवाई के महत्व पर जोर दिया, एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दिया जहां कर्मचारियों को संभावित धोखाधड़ी या कदाचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

- ### नियंत्रण को मजबूत करने में आंतरिक लेखा परीक्षकों की सक्रिय भागीदारी

XYZ Inc. ने अपने नियंत्रण वातावरण को मजबूत करने में आंतरिक लेखा परीक्षकों के मूल्य को मान्यता दी। उन्होंने नियंत्रण कमजोरियों की पहचान करने और सुधारों की सिफारिश करने के लिए अपने आंतरिक ऑडिट फंक्शन के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। निवारक सतर्कता प्रक्रिया में आंतरिक लेखा परीक्षकों को शामिल करके, XYZ Inc. ने संभावित नियंत्रण अंतराल और भेद्यता क्षेत्रों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त की। स्थापित निवारक सतर्कता ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए नियमित ऑडिट किए गए, जिससे उनके नियंत्रण वातावरण को और मजबूत किया जा सके।

- ### पुरस्कार विजेता कार्यक्रम का प्रभाव और परिणाम

XYZ Inc. द्वारा कार्यान्वित निवारक सतर्कता कार्यक्रम ने महत्वपूर्ण प्रभाव उत्पन्न किया और एक अच्छी तरह से निष्पादित कार्यक्रम के महत्व का प्रदर्शन करते हुए सकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला हासिल की। XYZ Inc. द्वारा अनुभव किए गए परिणामों में शामिल हैं–

- ### धोखाधड़ी की घटनाओं और वित्तीय नुकसान में काफी कमी

अपने सतर्कता कार्यक्रम के माध्यम से, XYZ Inc. ने धोखाधड़ी गतिविधियों की घटना में उल्लेखनीय कमी देखी। प्रारंभिक पहचान और रोकथाम उपायों ने उन्हें धोखाधड़ी की घटनाओं से जुड़े वित्तीय नुकसान को कम करने में सक्षम बनाया। संभावित कमजोरियों को सक्रिय रूप से संबोधित करके, XYZ Inc. ने संगठन के महत्वपूर्ण संसाधनों और परिसंपत्तियों की रक्षा की, जिससे कंपनी की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हुई।

- ### हितधारकों का बढ़ा हुआ आत्मविश्वास

XYZ Inc. की निवारक सतर्कता पहल ने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, निवेशकों और कर्मचारियों सहित अपने हितधारकों के बीच विश्वास को मजबूत किया। नैतिक प्रथाओं और पारदर्शी संचालन के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता ने ईमानदारी के साथ व्यापार करने की उनकी क्षमता में विश्वास पैदा किया। इससे बढ़े हुए आत्मविश्वास ने व्यावसायिक संबंधों में सुधार, ग्राहक वफादारी में वृद्धि और अधिक निवेश के अवसरों को जन्म दिया, जिससे कंपनी की वृद्धि और लाभप्रदता को बढ़ावा मिला।

- ### व्यापक धोखाधड़ी जांच प्रणाली

उन्नत तकनीकी उपकरणों और चल रही निगरानी प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के साथ, XYZ Inc. ने प्रभावी रूप से एक व्यापक धोखाधड़ी

का पता लगाने वाली प्रणाली स्थापित की। इस प्रणाली ने संगठन को संभावित धोखाधड़ी जोखिमों की तेजी से पहचान करने और तत्काल निवारक कार्रवाई करने में सक्षम बनाया। अपने पहचान तंत्र की लगातार निगरानी और उन्नयन करके, XYZ Inc. उभरते खतरों को संबोधित करने में सक्रिय रहा, यह सुनिश्चित करते हुए कि उनका निवारक सतर्कता कार्यक्रम प्रासंगिक और प्रभावी रहे।

IV. निष्कर्ष

निवारक सतर्कता उत्कृष्टता, अखंडता और स्थिरता प्राप्त करने का प्रयास करने वाले संगठनों के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है। पुरस्कार विजेता निवारक सतर्कता पहलों को अपनाने और कार्यान्वित करके, संगठन जोखिम, धोखाधड़ी और भ्रष्ट प्रथाओं से सक्रिय रूप से निपट सकते हैं, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को संरक्षित किया जा सकता है, हितधारक हितों की रक्षा की जा सकती है, और उनकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सकता है। XYZ Inc. के गहन मामले का अध्ययन एक अच्छी तरह से निष्पादित निवारक सतर्कता कार्यक्रम की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है। अखंडता, पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति का पोषण करके, संगठन अपनी स्थिति को मजबूत कर सकते हैं, दीर्घकालिक सफलता को बढ़ावा दे सकते हैं, और आज के लगातार विकसित कारोबारी माहौल में कामयाब हो सकते हैं।

इसी तरह की पहल को लागू करके, संगठन अखंडता, पारदर्शिता और नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं, दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं।

वैध बंधक का निर्माण

– दीपाली नंदन प्रसाद, प्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

प्रस्तावना

बंधक की अवधारणा प्राचीन काल से ही हमारे समाज का हिस्सा रही है और इसे प्रतिभूति का सबसे सुरक्षित और व्यापक रूप माना जाता है। बंधक ऋणदाता द्वारा दिए गए ऋणों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से ऋणदाता के पक्ष में अचल संपत्ति पर प्रतिभूति के रूपों में से एक है। हाल में, ऋण, विशेष रूप से आवास ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में अचल संपत्तियों पर बंधक के निर्माण की घटना तेजी से बढ़ रही है।

विधिक भाषा में, शब्द "बंधक" को संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 58 के तहत परिभाषित किया गया है, 'बन्धक किसी सुनिश्चित स्थावर सम्पत्ति में से किसी हित का वह अन्तरण है जो ऋण के तौर पर दिये गये या दिये जाने वाले धन के संदाय को या वर्तमान या भावी ऋण के संदाय को या ऐसे वचनबन्ध के पालन को, जिससे धन सम्बन्धी दायित्व पैदा हो सकता है, प्रतिभूत करने के उद्देश्य से किया जाता है।'

भारतीय विधि छह प्रकार के बंधकों को मान्यता देती है जैसे – सादा बंधक, सशर्त विक्रय द्वारा बंधक, भोग बंधक, इंग्लिश बंधक, स्वामित्व–विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक और विलक्षण बंधक। सभी बंधकों में से, स्वामित्व–विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक का उपयोग भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के बीच व्यवहार में अधिक प्रचलित है।

हालांकि बंधक को प्रतिभूति के सबसे सुरक्षित रूपों में से एक माना जाता है, हाल के दिनों में बंधक के संबंध में कदाचार में वृद्धि देखी गई है। बंधक संपत्ति के संबंध में जाली या नकली दस्तावेज प्रस्तुत करके बंधक द्वारा ऋण प्राप्त करना, बंधक से संबंधित कपट लेनदेन के लिए की जाने वाली आम कार्यप्रणाली बन गई है।

बंधक के निर्माण में महत्वपूर्ण पहलू

इस तरह के कपट की घटनाओं में वृद्धि के आलोक में, अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए, वैध बंधक बनाने के लिए, आवश्यक सावधानी बरतने और उचित परिश्रम करने की जिम्मेदारी ऋणदाताओं पर आती है। ऋणदाताओं को कपट की घटनाओं को रोकने और वैध एवं प्रवर्तनीय बंधक के निर्माण के लिए निम्नलिखित को ध्यान में रखने की आवश्यकता है–

(i) संपत्ति का स्वामित्व

- लेन–देन के मूल में संपत्ति निहित होती है। यह उक्त संपत्ति के संबंध में है कि बंधककर्ता ऋण राशि के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए बंधक पर ब्याज लगाता है। यदि संपत्ति का स्वामित्व दोषपूर्ण है, तो संपूर्ण लेनदेन विफल हो जाता है। इसलिए, ऋणदाताओं के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संपत्ति पर बंधककर्ता का स्वामित्व स्पष्ट, पूर्ण और विपणन योग्य है।
- बंधक रखी गई संपत्तियों के स्वामित्व के संबंध में कई मामले पाए गए हैं, जिन्हें निम्नानुसार संक्षेप में प्रस्तुत किया जा सकता है–

(क) **दोषपूर्ण स्वामित्व** – बंधककर्ता के पास संपत्ति को बंधक रखने का स्वामित्व या अधिकार नहीं है या स्वामित्व की श्रृंखला टूट गई है।

(ख) **जाली या नकली दस्तावेज** – बंधक द्वारा प्रस्तुत/प्रदान किए गए स्वामित्व के दस्तावेज नकली या जाली या फर्जी हैं।

(ग) **एक ही संपत्ति पर प्राप्त कई वित्तपोषण** – बंधककर्ता ने अन्य ऋणदाताओं की जानकारी के बिना, एक ही संपत्ति पर कई शुल्क या ऋणभार लिए हैं।

- स्वामित्व की पूर्णता के प्रति बरती जाने वाली सावधानियां/उचित परिश्रम

स्वामित्व सत्यापनः एक संपूर्ण स्वामित्व सत्यापन/जांच यह सत्यापित करने में सहायक है कि क्या बंधक रखी जाने वाली संपत्ति का

वास्तविक मालिक है और वह सभी ऋणभारों और दोषों से मुक्त संपत्ति पर स्पष्ट स्वामित्व रखता है। स्वामित्व सत्यापन में संपत्ति के विधिक स्वामित्व का पता लगाने के लिए संपत्ति के दस्तावेजों की जांच और सत्यापन, संपत्ति पर ऋणभार, यदि कोई हो, संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित अनुमोदन की उपलब्धता और लंबित मुकदमों, यदि कोई हो, और उप–पंजीयक कार्यालय में छानबीन करना आदि शामिल है। स्वामित्व जांच को उस क्षेत्र में अधिमान्य अभ्यास कर रहे विधिक पेशेवर/अधिवक्ता के माध्यम से किया जाना आवश्यक है जहां संपत्ति को बंधक रखा जाना है, जो इस तरह के सत्यापन के आधार पर "स्वामित्व जांच रिपोर्ट" नामक एक रिपोर्ट जारी करता है।

निम्नलिखित पहलू संपत्ति की बंधक योग्यता को प्रभावित करते हैं और इन्हें उचित स्वामित्व सत्यापन के माध्यम से संबोधित किया जा सकता है:

(क) **स्वामित्व अधिकारः** यह सुनिश्चित करना कि संपत्ति का स्वामित्व/बंधक बनाने का अधिकार बंधककर्ता/हस्तांतरणकर्ता के पास है, स्वामित्व और स्वामित्व के हस्तांतरण जैसे विक्रय विलेख, वाहन विलेख, उपहार विलेख, वसीयत दस्तावेजों के विलेख आदि के हस्तांतरण के साक्ष्य दस्तावेजों की जांच की आवश्यकता है। यदि पावर–अटॉर्नी धारक द्वारा बंधक निष्पादित किया जा रहा है, तो पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच/निरीक्षण करने की आवश्यकता है।

(ख) **स्वामित्व का प्रवाहः** संपत्ति पर स्वामित्व पहले भी कई बार बदला होगा, इसलिए, स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व स्थापित करने के लिए, स्वामित्व के प्रवाह को कुछ निश्चित वर्षों तक आम तौर पर, स्वामित्व की श्रृंखला का पता 30 साल तक लगाया जाता है, वापस पता लगाने की आवश्यकता है।

(ग) **संपत्ति और भूमि उपयोग की प्रकृतिः** एक और चीज जिसकी जांच करने की आवश्यकता है, वह है – बंधक रखी जाने वाली संपत्ति की प्रकृति अर्थात सरकारी स्वामित्व या निजीय पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधृतय और भूमि उपयोग की अनुमति अर्थात कृषि या गैर–कृषि और यदि गैर–कृषि तो आवासीय या वाणिज्यिक आदि। यह संपत्ति और भूमि उपयोग की प्रकृति के आधार पर संपत्ति के हस्तांतरण या अन्तरण के लिए संबंधित अधिकारियों से अनुमति, सहमति और अनुमोदन के रूप में अधिक महत्व रखता है। अपेक्षित अनुमतियों के अभाव में, ऐसा स्थानांतरण प्रारभ से ही अमान्य होगा।

(घ) **ऋणभारः** स्वामित्व सत्यापन में जांचा जाने वाला एक अन्य पहलू संपत्ति पर किसी भी पूर्व ऋणभार, शुल्क या बंधक का अस्तित्व है। ऐसी प्रकृति के दोष संपत्ति के स्वामित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यक्ति, बैंक या वित्तीय संस्थान के पक्ष में कोई पंजीकृत ऋणभार, शुल्क और बंधक नहीं है, उप–पंजीयक या संबंधित प्राधिकारी के कार्यालय में ऋणभार विवरण की जांच की आवश्यकता होती है। प्रासंगिक अवधि के लिए एक ऋणभार–मुक्ति प्रमाणपत्र उप–पंजीयक या अन्य प्रासंगिक प्राधिकारी से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(ङ) **दस्तावेजों की जांचः** बंधक से जुड़े जोखिम को कम करने के लिए, स्वामित्व के मूल दस्तावेजों को प्राप्त किया जाना चाहिए और जाली या नकली दस्तावेज के लिए सावधानीपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए और इसकी वास्तविकता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(च) **मुकदमेबाजीः** बंधक रखी जाने वाली संपत्ति से जुड़े किसी भी मुकदमे की जांच करने की आवश्यकता है। लंबित विधिक मामले बंधक की वैधता/प्रवर्तनीयता के लिए जोखिम उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बंधककर्ता का स्वामित्व और/या मालिकाना हक आदि मामले के परिणाम से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

(ii) बंधक के निर्माण का तरीका

यह सुनिश्चित करने के बाद कि बंधककर्ता के पास संपत्ति पर स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व है, यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बंधक के रूप में अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की जाएं, जैसा कि निम्न उल्लिखित हैं:

स्वामित्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक

- स्वामित्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक के मामले में, बंधक बनाने के लिए किसी लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि संपत्ति को ऋण/वित्तीय देयता के उद्देश्य से प्रतिभूति

के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में केवल स्वामित्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक बनाया गया है।

- ऋण के लिए प्रतिभूति का सबसे आसान तरीका होने के कारण, बंधक के ऐसे रूप में बेईमान उधारकर्ताओं द्वारा कपट का खतरा रहता है। स्वामित्व दस्तावेजों में जालसाजी और एक ही संपत्ति पर एकाधिक वित्तपोषण आमतौर पर इस तरह के कपट के लिए उपयोग किया जाता है।
- बंधक के निर्माण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए, ऋणदाताओं को सबसे पहले यह पता लगाने की आवश्यकता है कि प्रस्तुत किए जा रहे दस्तावेज बंधककर्ता को स्वामित्व प्रदान करने वाले मूल दस्तावेज हैं। एक अन्य पहलू जिसे सुनिश्चित करना आवश्यकता है कि प्रस्तुत किए गए दस्तावेज मूल हैं और नकली, जाली या फर्जी नहीं हैं।
- हाल ही में, महाराष्ट्र और गुजरात जैसी कुछ राज्य सरकारों ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 में संशोधन करके इस प्रकार के बंधक से संबंधित कपट को रोकने के लिए, स्वामित्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
- हालांकि कोई लिखित साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्यवहार में, स्वामित्व विलेख जमा करने के साथ आमतौर पर ऋणदाता के अधिकारियों द्वारा जमा किए गए विवरणों को दर्ज करने वाले स्वामित्व विलेख जमा करने का ज्ञापन होता है, या बाद में स्वामित्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक के निर्माण का तथ्य बंधककर्ता द्वारा पुष्ट किया जाता है।

बंधक के अन्य रूप:

- स्वामित्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक को छोड़कर, अन्य सभी बंधकों के मामले में, बंधक के नियमों एवं शर्तों को स्थापित करने वाले बंधककर्ता और बंधकदार के बीच एक लिखित दस्तावेज निष्पादित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें उधारकर्ता ऋण प्राप्त करने के लिए संपत्ति को प्रतिभूति के तौर पर बंधक रखता है।
- भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 धारा 17 (बी) के तहत निष्पादित बंधक विलेख के पंजीकरण को अनिवार्य करता है। बंधक विलेख की वैधता और प्रवर्तनीयता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त स्टाम्प शुल्क के भुगतान द्वारा पंजीकृत करना की आवश्यक है।

(iii) सीईआरएसएआई के साथ प्रभार का पंजीकरण:

सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार, बंधक के लेनदेन का विवरण भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ दायर किया जाएगा। सीईआरएसएआई के साथ दायर डेटा अन्य ऋणदाताओं और संभावित क्रेताओं के लिए सुलभ है। यदि ऋणदाता सीईआरएसएआई के साथ बंधक के प्रभार को पंजीकृत/दर्ज करने में विफल रहता है, तो ऋणदाता सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत बंधक को लागू नहीं कर सकता है। इसलिए, सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रवर्तन के अपने अधिकारों का प्रयोग करने के लिए ऋणदाताओं की ओर से सीईआरएसएआई के साथ बंधक के विवरण का पंजीकरण/दाखिल करना सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

निष्कर्ष

भारत में बंधक की अवधारणा ने वित्तीय लेनदेन को सुविधाजनक बनाने और सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेष रूप से आवास वित्त क्षेत्र में। संपत्ति बंधक लेनदेन का आधार बनाती है जिस पर संपूर्ण बंधक लेनदेन निर्मित होता है। बिना किसी ऋणभार के स्पष्ट और विपणन योग्य स्वामित्व विलेख के निक्षेप द्वारा बंधक ऋण देने के सबसे सुरक्षित रूपों में से एक है। इसलिए, संपत्ति के स्वामित्व की पूर्णता सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोषपूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है और इसे ऋणदाता के लिए विश्वसनीय प्रतिभूति के रूप में नहीं माना जा सकता है। इस प्रकार, ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि संपत्ति का स्वामित्व स्पष्ट, विपणन योग्य है और सभी अपेक्षित अनुमति और अनुमोदन लागू हैं, बंधक से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए पूर्ण स्वामित्व सत्यापन किया गया है।

परिवर्तन हेतु पारदर्शिता

– मंजू रथटा, उप प्रबंधक,
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

"यदि हमारे उच्चतम कार्यालयों को जांच से छूट दे दी जाए, तो सरकार पर कोई विश्वास नहीं रखेगा – उन्हें पारदर्शिता का उदाहरण स्थापित करना आवश्यक है।"
– एडवर्ड स्नोडेन

भारत अपने अमृत काल में प्रवेश कर चुका है जहाँ हर इक चीज नई होती जा रही है, नए नियम लिखे जा रहे हैं, इतिहास को एक अलग नजरिए से देखा जा रहा है और हर चीज के लिए 'नए' के संदर्भ में फिर से कल्पना की जा रही है। समय को फिर से परिभाषित किया जा रहा है, कुछ वर्षों के संदर्भ में नहीं, बल्कि पूरे युग के संदर्भ में। यह एक नए परिवर्तन, एक अमृत कल, एक नए भारत का उद्घाटन है।

परिवर्तन, अपने सबसे सरल अर्थ में, बदलाव है। यह रूप और स्वरूप में पूर्ण परिवर्तन है। यह आपके द्वारा आज किए गए कार्यों के माध्यम से अपना मनचाहा भविष्य बनाने के बारे में है। इससे नई प्रणालियाँ बनती है। यह उन कार्यों में से सबसे सूक्ष्म का समामेलन है जो भविष्य की छाप बनता हैं।

भारत का उद्देश्य स्वयं को एक समृद्ध और विकसित राष्ट्र में बदलना

है और उस प्रणाली और प्रक्रिया को नियम आधारित आदेश लागू करके तथा पारदर्शिता और जवाबदेही लाकर उन्नत करने की आवश्यकता है।

पारदर्शिता ईमानदारी और खुलापन है। यह सुशासन का मुख्य स्तंभ है और इसे होने वाले परिवर्तन के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। पारदर्शिता का अर्थ है जहां जनता द्वारा जांच के लिए चीजों को रखा गया है। कुछ भी छिपा न हो और चीजें नियम–आधारित व्यवस्था के अनुसार चलती हो। सब कुछ लिखित और संहिताबद्ध हो और विधि के अनुरूप हो। इसमें योग्यता को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है तथा सरकार और लोगों के बीच विश्वास बनाया जाता है। जवाबदेही सुनिश्चित करने और वास्तविक भागीदारी को सक्षम करने के लिए पारदर्शिता भी आवश्यक है। पारदर्शिता की डिग्री जितनी अधिक होगी, सुशासन का स्तर उतना ही उच्च होगा। वर्तमान में, इसे नीचे दिए गए पैराग्राफ में सूचीबद्ध कई उपायों द्वारा प्रयोग किया गया हैरू

भारत में पारदर्शिता बढ़ाने की पहल

वर्तमान में, विभिन्न पारदर्शिता नियम हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति को काफी हद तक बदल दिया है और उन सभी में सबसे बड़ा आरटीआई अधिनियम 2005 है। आरटीआई को भारतीय लोकतंत्र में लोगों के हाथों में सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। यह सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक कार्यालयों पर सर्वसम्मति से लागू होता है। भारत का कोई भी नागरिक किसी भी दस्तावेज की खोज कर सकता है और सरकार से कोई भी सार्वजनिक जानकारी मांग सकता है। इसके अतिरिक्त, अनिवार्य प्रकटीकरण हैं जिन्हें सार्वजनिक कार्यालयों को सार्वजनिक डोमेन में करना आवश्यक है। समय–समय पर, इसकी सफलता पर इसकी सराहना की गई है क्योंकि इसमें कई सफलता की कहानियां हैं जैसे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, 2जी घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, जेलों में भीड़ आदि।

पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देकर सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में भ्रष्टाचार को दूर करने में, उससे लड़ने के लिए एक सशक्त साधन के रूप में उभरा है। हालांकि, यह सुस्त अपील प्रक्रिया, आरटीआई कार्यकर्ताओं की रिक्तियों और कार्यकर्ताओं की हत्याओं के कारण धीरे–धीरे मर रहा है जो शासन में कुप्रशासन, भ्रष्टाचार को

उजागर करने में मदद करते हैं।

अधिनियम को सफल बनाने के लिए, नागरिकों के लिए बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाना, अधिनियम के तहत सूचना के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने के लिए उचित आधिकारिक रिकॉर्ड बनाए रखना, सूचना का स्वतः प्रकटीकरण सुनिश्चित करना और अधिनियम के कार्यान्वयन में सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग आवश्यक है। जहां तक लोकतंत्रों का संबंध है, सरकार के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सबसे पहले उन्हें चुनने वाले लोगों के बीच विश्वास का एक मजबूत आधार बनाया जाना चाहिए। इस विश्वास को तभी बनाया जा सकेगा जब शासन में पारदर्शिता हो और और सत्ताधारियों को इस बात के लिए जवाबदेह बनाया जाए कि वे अपनी शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरणों में से एक है जो नागरिकों को सशक्त बना सकता है और लोकतांत्रिक संस्थानों में अपना विश्वास बनाए रखने में मदद कर सकता है। महात्मा गांधी, यंग इंडिया में दिनांकित 7 मई 1931 को मार्मिक रूप से लिखते है – "संस्था जितनी बड़ी होगी, दुरुपयोग की संभावना उतनी ही अधिक होगी।" लोकतंत्र भी तो बड़ी संस्था ही है और इसलिए इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। अतः उपाय लोकतंत्र से बचना नहीं है, बल्कि दुरुपयोग की संभावना को कम से कम करना है। 'सूचना का अधिकार' सटीक रूप से "कम से कम दुरुपयोग की संभावना को न्यूनतम करने" में शामिल है। यदि हम सरकार के रूप में लोकतंत्र के अधिकार को अपने प्रिय अधिकारों में से एक मानते है तो हमें इस पावन अधिकार की रक्षा करने की आवश्यकता है।

नागरिक चार्टर : यह सेवा वितरण मानकों, गुणवत्ता, शिकायत निवारण प्रणाली, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए संगठनात्मक प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य अधिक उत्तरदायी और नागरिक अनुकूल प्रशासन बनाना है। विभिन्न मंचों पर अपने लक्ष्य और दूरदर्शिता की घोषणा करने वाले संगठन नागरिक चार्टर के दायरे में आते हैं।

ई–खरीद : यह एक सुरक्षित मंच है जो भारत सरकार, राज्यों और देश भर की स्थानीय सरकारों के लिए सार्वजनिक क्रय में पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करता है।

राष्ट्रीय ई–शासन योजना : इसका उद्देश्य नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने, व्यवसायों के साथ संपर्क करने और सरकारी विभागों के बीच समयबद्ध, कुशल और पारदर्शी तरीके से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का उपयोग करने से है।

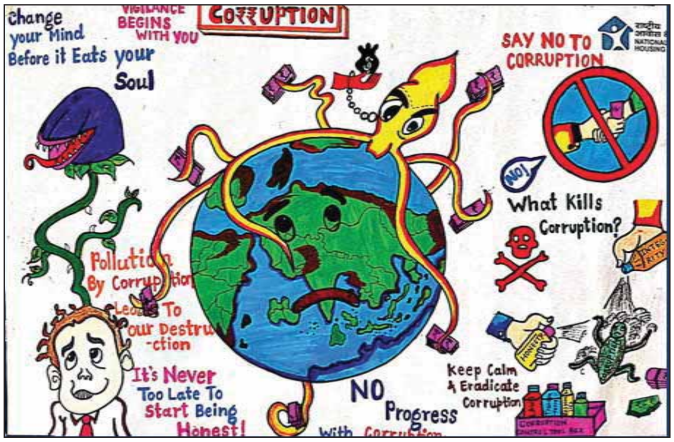

सत्यनिष्ठा संधि : यह 1990 के दशक में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल (टीआई) द्वारा सरकारों, व्यापार और नागरिक समाज को सार्वजनिक अनुबंध और क्रय में भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद करने के लिए विकसित किया गया उपकरण है। इसमें बोलीदाता के चुनाव, बोली, अनुबंध, कार्यान्वयन, समापन और संचालन से लेकर सभी अनुबंध संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। सत्यनिष्ठा संधि का उद्देश्य उच्च नैतिक आचरण की बोली लगाकर सार्वजनिक अनुबंध और क्रय को पारदर्शी बनाना है।

ई सेतु : यह नागरिकों और सरकार के बीच विशेष रूप से दूर बैठे लोगों के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेतु का निर्माण करता है। यह नागरिकों तक सूचना और सरकारी सेवाओं की पहुंच को पाटने का एक ईमानदार प्रयास है।

सरकार अपने व्यवसाय और प्रक्रियाओं में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए नई विधियां भी ला रही है और मौजूदा विधियों में संशोधन करने के लिए कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आईपीसी के दायरे का विस्तार, भ्रष्टाचार निरोधक विधि, चुनावी बांड, धन शोधन निवारण अधिनियम में संशोधन आदि इस दिशा में ही किए गए कुछ उपाय हैं।

संगठनों में पारदर्शिताः

पारदर्शिता दो–तरफा सड़क है जो प्रबंधक और कर्मचारियों दोनों के बीच काम करती है। यह सर्वोपरि गुण बन गया है जो आज संगठनों

के पास होना ही चाहिए। नेताओं को इसका एहसास होने लगा है कि एक पारदर्शी संस्कृति का निर्माण किसी संगठन के समग्र कर्मचारी अनुभव, उत्पादकता और विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है। पारदर्शी

कार्यस्थल व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देता है। यह कर्मचारियों और प्रबंधकों के बीच विश्वास के आधार को बनाता है। यह खुलेपन को बढ़ाता है जिसमें कर्मचारी अपनी चिंताओं/विचारों को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं।

पारदर्शी संस्कृति को बनाने में, सक्रिय संचार व्यवस्था स्थापित करना आवश्यक है जो बातचीत को सुविधाजनक बनाएगा। इसे बैठक आयोजित करके, सही समय पर कर्मचारीयों तक नई जानकारी साझा करके और कर्मचारियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए व्यवस्था बनाकर, विकसित किया जा सकता है। कर्मचारियों को सूचित करके, एक सुरक्षित वातावरण बनाकर और उनकी प्रतिक्रिया पर रचनात्मक तरीके से कार्य करके नींव को मजबूत किया जा सकता है।

समग्र परिवर्तन प्राप्त करने के लिए किसी भी देश के लिए आवश्यक प्रमुख क्षेत्र हैं :

1) डिजिटल परिवर्तन

2) अवसंरचना परिवर्तन

3) मानव संसाधन परिवर्तन

डिजिटल परिवर्तन : भारत ने स्वयं को डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए ई–आधार, ई–केवाईसी, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जन धन योजना, भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण, यूपीआई, भारत नेट, डिजिटल कॉमन सर्विस सेंटर जैसे कई पारदर्शी उपाय किए हैं। भारत के डिजिटल परिवर्तन की कहानी दूरदर्शी नेतृत्व और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके समावेशी विकास और परिवर्तन लाने के लिए लोगों की प्रतिबद्धता की कहानी है।

अवसंरचना परिवर्तन : सड़कें राष्ट्र के लिए उसी प्रकार हैं जिस प्रकार मानव शरीर के लिए धमनियां और शिराएँ हैं। यह पाया गया है कि अवसंरचना में निवेश का लगभग 10 – 30% भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन और अक्षमता के कारण नष्ट हो गया है। रिवर्स नीलामी, ई–बोली, पीपीपी मॉडल, पारदर्शी संघर्ष समाधान आदि जैसे पारदर्शी उपायों की शुरूआत से भारतीय रिजर्व बैंक और राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त संस्थान को तेजी से और प्रभावी परिवर्तन अध्ययन में मदद मिलेगी वही नीति का अनुमान है कि अवसंरचना पर किए गए व्यय से प्रत्येक रुपये के लिए, सकल घरेलू उत्पाद में 2.5 से 3.5 रुपये का लाभ है। लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी में सुधार से व्यापार में लाभ होता है और महत्वपूर्ण अवसंरचना में सुधार और प्रति व्यक्ति आय में समग्र वृद्धि के साथ जीवन की बेहतर गुणवत्ता से सार्वजनिक लाभ प्राप्त होता है।

मानव संसाधन परिवर्तन : भारत एक युवा राष्ट्र है। भारत की लगभग 65% आबादी 15 से 35 वर्ष की आयु के आयु वर्ग में आती है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। इसलिए, उनकी क्षमता का उपयोग करने के लिए, यह आवश्यक है कि हम उन्हें एक सुरक्षित, पारदर्शी और खुला वातावरण प्रदान करें। नवाचार और ज्ञान साझा करने को बढ़ाने के लिए उनका विश्वास और जुड़ाव आवश्यक है।

निष्कर्ष : देश में पारदर्शिता की संस्कृति बनाने की आवश्यकता है। भारत के अतिरिक्त कोई भी देश इस संस्कृति को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त नहीं है। जब से भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक एवं शांतिपूर्ण संघर्ष के माध्यम से उपनिवेशवाद का विरोध करके अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तब से लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों द्वारा नागरिकों से किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए गहरी आकांक्षा है। सरकार के भीतर पारदर्शिता की संस्कृति वह नींव व आधार है जिसके चारों ओर सरकार और उसके नागरिकों के बीच संबंध स्थापित किए जाने चाहिए।

निवारक सतर्कता

– विनय पाण्डेय, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी,
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

अनैतिक आचरण सामाजिक व राष्ट्रीय विकास की गति अवरुद्ध करने वाला सर्वाधिक बाधक इकाई होता है। मानवीय जीवन–वृत्त को उसके सम्पूर्ण विकास के लिए नियत व्यवस्थाओं के माध्यम से ही आबद्ध होकर व्यावहारिक आचरणों का अनुसरण करना होता है। सतर्कता व्यवस्थाओं का वह निरूपण है जो सामजिक चेतना को दुष्प्रभावित करने वाले आचरणों पर अंकुश लगाकर, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था को स्थापित करने में सहायक होती है। इन व्यवस्थाओं में आचरण की शुचिता की बारंबारता, जिन विधिविधान अथवा मापदंड से बढ़ाई जाती है अथवा व्यवस्था की त्रुटियों को समयपूर्व आकलित किया जाता है वे निवारक सतर्कता को निरूपित करते हैं। सार्वजनिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार के निवारण में निवारक सतर्कता सतर्कता के अन्य कर्यविधानों यथा खोजी सतर्कता और दंडात्मक सतर्कता की क्रियाविधियों के सहयोगी पूरक के रूप में कार्य करती है। सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने वाले लोग यदि अपने उत्तरदायित्वों से विमुख होकर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि की दिशा में जाने लगें तो यह आवश्यक हो जाता है कि मौलिक कारणों को पहचान कर निरोधात्मक उपाय किए जाएँ। दंडात्मक दृष्टिकोण से अधिक, समग्र निवारक और सहभागी दृष्टिकोण की ओर बढ़ना इस समस्या के उपयुक्त निदान की दिशा में प्रारम्भिक कदम है। प्रणालियों में सुधार के लिए तथा भ्रष्टाचार को कम करने व् पारदर्शिता और सहजता को बढ़ावा देने की प्रक्रियाएँ अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी सिद्ध होती हैं। निवारक सतर्कता इन उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति में एक अनिवार्य आवश्यकता है।

सामजिक प्रशासन तंत्र का अध्ययन करने पर यह दृष्टिगोचर होता है कि अत्यधिक नियम, उनकी जटिलता और कानूनी पेंच, सेवाओं और उत्पादों पर एकाधिकार, क्रियान्वयन में पारदर्शिता व उत्तरदायित्व की कमी, अत्यधिक केन्द्रीकृत शक्तियां, नियामक ढांचों व शिकायतों के निवारणतंत्र में कमी, अप्रभावी सतर्कता तंत्र, सामाजिक चेतना का अभाव, मूल्यों, नैतिकता और व्यक्तित्व की अखंडता को विकसित करने की औपचारिक प्रणाली का अभाव, कठोर या अप्रभावी नौकरशाही, अधिकारों व कर्तव्यों का ज्ञान न होना, अक्सरहाँ आचरण की शुचिता को प्रभावित करते हैं। निवारक सतर्कता का उद्देश्य संगठन के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, से संबंधित होते हैं। निरीक्षण, अनुमोदन व प्रक्रिया निर्माण के दौरान निरोधात्मक उपाय किए जा सकते हैं, जो भ्रष्टाचार को व्यावहारिक एवं प्रभावी तरीकों से नियंत्रित करने में उपयोगी हो सकते हैं। उदाहरण स्वरूप नियमों का सरलीकरण एवं मानकीकरण, प्रौद्योगिकीय तंत्रों का सम्यक उपयोग, कदाचार का शीघ्र पता लगाना, समुचित नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, समयबद्ध एवं प्रभावी दण्डात्मक कार्यवाही और सतर्कता अभियानों के माध्यम से जागरूकता उत्पन्न कर निवारक उपाय किए जा सकते हैं। ये निवारक सतर्कता के प्रमुख आधारस्तम्भ हैं।

बड़े एवं गंभीर मामलों में दंडात्मक व खोजी सतर्कता के उपाय प्रयुक्त हो सकते हैं लेकिन इन गंभीर मामलों में सार्वजानिक संसाधनों का उपयोग एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनकर उभरता है। अतएव, इन तरीकों का प्रयोग दीर्घकालिक रूप में किसी भी सार्वजानिक संगठन के लिए, जहां प्रक्रियाओं पर शिघ्राकालिक और सम्पूर्ण नियंत्रण नहीं है, बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं रह जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में दंडात्मक सतर्कता प्रारम्भिक तौर पर प्रभावी नहीं होती, जो कार्मिकों के मनोवैज्ञानिक हतोत्साह के रूप में उनके द्वारा आगे आने वाले समय में, बेहतर आचरण प्रस्तुत करने में बाधक हो जाती है। किसी भी संगठन के लिए यह आवश्यक होता है कि अपने कार्मिकों के मनोवैज्ञानिक परिस्थितॉयों के माकूल विषम संभावित खतरों के उन्मूलन के लिए प्रयास करें जो आर्थिक व व्यावहारिक रूप से प्रभावी हों। ऐसा माना जाता है कि अपराधी किसी भी बाह्य कारणों से परे स्वप्रेरित तरीके से ही भ्रष्टाचार के अनैतिक क्रियाकलापों को अंजाम देते हैं अतएव मौलिक कारणों की पहचान कर उनका उन्मूलन ही महत्तम प्रभावी उपयुक्त उपाय के रूप में परिलक्षित किया जा सकता है। कार्मिकों के श्रम का मानक जिन कारकों पर निर्धारित किए जाते हैं उनका उचित समन्वयन करना भी जरूरी है जिससे व्यक्तिगत विकास की परिस्थितियों और संगठन के हित में एक स्वस्थ पारितंत्र बना रह सके। इसके अभाव में कार्मिक अपने लाभ के

अवसरों को ही अधिक महत्वपूर्ण समझते हुए उत्तरदायित्वों के साथ समझौता कर लेते हैं निवारक सतर्कता मुख्यत:, कार्मिक एवं संगठानिक क्रियाकलापों पर कार्मिकों के अधिकार और नियंत्रण को संरचनात्मक

तरीके से कम करते हुए, ऐसी सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं का समावेश करती है, जिनसे कार्मिकों के द्वारा की जाने वाली अनावश्यक व् नकरात्मक क्रियाकलापों पर स्वत: नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त कर ने में सहयोगी होती है। समस्याओं के आगमन से पूर्व ही निरोधात्मक उपायों का प्रयोग करना, उनके उन्मूलन में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावी उपाय होता है। कुछ समय मानवीय गलतियाँ भी सांगठनिक क्रियाकलापों में कुछ त्रुटियाँ ले आती हैं जिन्हे संरचनात्मक प्रक्रियाओं के माध्यम से ही पहचाना जा सकता है। दंडात्मक प्रावधान व जटिल कारणों की तहकीकात इन परिस्थितयों में, त्रुटियों के उन्मूलन में ज्यादा सहायक नहीं बन पाते। किसी भी संस्था को यह विचार जरुर आकर्षक लग सकता है कि आंख मूंदकर दण्डात्मक सतर्कता के उपाय लागू किए जाएं, भले ही उस स्तर पर उन्हें लागू करना अपेक्षित न भी हो ताकि कार्मिकों के समक्ष एक "उदाहरण" प्रस्ततु किया जा सके। अर्थात एक भय का वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो बल्कि उन पर अंकुश लगे और ऐसी छवि बनाई जाए या ऐसी विश्वसनीय कार्य–संस्कृति विकसित की जाए जिसमें बार–बार होने वाली गलतियों के प्रति सहिष्णुता शून्य या बहुत कम हो। व्यवहार में देखें तो कुशासन जनित परिणामों के पीछे निहित कारण केवल इष्टतम प्रोत्साहन आधारित व्यवहार नहीं होता, अपितु आदतन गलतियां करने वालों कि उपस्थिति भी एक कारण हो सकती है जो कतिपय समय के उपरांत ही आचरणों से परिलक्षित हो पाती है। अतएव संस्थानों में निवारक सतर्कता प्रमुख भूमिका में आ जाती है और यह शासन का एक प्रमुख और प्रभावी उपकरण बन जाती है जहां एक ओर संभव है कि गड़बड़ी किसी अन्य कारण से हुई हो जो कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर हो, जैसा कि सरकारी क्षेत्र में प्राय: होता है क्योंकि सरकारी संस्थाओं को बहुत सारी दूसरी सरकारी ससंथाओं के साथ आदान–प्रदान की जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।

एक उदाहरण का प्रयोग करते हुए इस व्यवस्था को अधिक स्पष्ट तरीके से समझने का प्रयास किया जा सकता है। जैसे किसी उपक्रम के निविदा प्रक्रिया में सस्ता खरीद, उपक्रम के लिए अधिक उपयोगी होगी क्योंकि इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि न्यूनतम लागत पर उपक्रम को उच्च स्तर की गुणवता का प्रस्ताव मिले। निविदा की प्रक्रिया में कर्मचारी का आत्मविवेक, जहाँ विकल्पों के साथ समझौता करने की काफी संभावना होती है, की भूमिक को न्यूनतम करते हुए निवारक सतर्कता के तहत निविदा की प्रक्रिया निर्धारित है जिसमें निविदा कुछ विशेष माध्यमों जैसे इलेक्ट्रॉनिक निविदा प्रक्रिया के जरिए ही करनी अपेक्षित होती है। इसके अलावा उपक्रम के हर विभाग में समवर्ती /आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में खोजी सतर्कता की व्यवस्था भी की जाती है जिसके तहत यह प्रयास किया जाता है कि खरीद का अंतिम निर्णय लिए जाने के पहले ही गड़बड़ियों को पकड़ लिया जाए और उनका निदान कर लिया जाए। अंत में, यदि खरीद कर लिए जाने के बाद पाया जाता है कि अन्य सभी सतर्क ता उपायों के मौजूद होने के उपरान्त भी खरीद संबंधित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन हुआ है, तो उक्त उपक्रम का केन्द्रीय सतर्कता कार्यालय, इसमें लिप्त कर्म चारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सतर्कता व्यवस्था निवारक सतर्कता उपायों पर केन्द्रित है जो अपने कर्मचारियों में ईमानदारी और सम्पूर्ण निष्ठां का भाव जागृत करते हुए तथा ऐसी मजबूत आंतरिक प्रणालियां और नियंत्रण व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए जो कि किसी भी कर्मचारी द्वारा किए जाने वाले दुर्भावना प्रेरित कार्यों के प्रति एक प्रतिरक्षा उपाय की भांति कार्य करेगी, सुनिश्चित करती है।

अंतत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक स्वस्थ सामाजिक व प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन में सैद्धांतिक रूप से निवारक सतर्कता के उपाय एक प्रभावी शासनव्यवस्था का महत्वपूर्ण कारक बन सकते हैं।

भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें

– सुशील हेंद्रे, समूह कार्यकारी,
जी आई सी हाउसिंग फाइनेंस, पुणे

परिचय

भ्रष्टाचार एक वैश्विक महामारी है जो विश्व भर के देशों और समाजों को प्रभावित करता है। इसकी पैठ बहुत गहरी है जो सुशासन, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की नींव को कमजोर करती है। भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप है, जैसे रिश्वत, गबन, भाई–भतीजावाद, और सत्ता का दुरुपयोग, और यह ऐसे वातावरण में पनपता है जहां पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। इस समस्या का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए, प्रत्येक नागरिक का राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना और भ्रष्टाचार का विरोध करना अनिवार्य है। ऐसा करके हम सामूहिक रूप से अपने राष्ट्र के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। इस निबंध में, हम भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं, समाज पर इसके प्रभाव और कैसे नागरिक भ्रष्टाचार–मुक्त राष्ट्र के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान कर सकते हैं, इस पर प्रकाश डालेंगे।

भ्रष्टाचार की प्रकृति

भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लाभ या कुछ चुनिंदा लोगों के लाभ के लिए सार्वजनिक पद या शक्ति का दुरुपयोग है। यह सरकार के विभिन्न स्तरों पर, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में और यहां तक कि दैनिक जीवन में भी हो सकता है। भ्रष्टाचार के अनेक रूप हैं, और उनमें शामिल हैं:

1. **रिश्वतखोरी:** अधिमान्य व्यवहार के बदले या निर्णयों को प्रभावित करने के लिए धन, उपहार, या पक्षपात की पेशकश या स्वीकार **करना।**
2. **गबन :** निजी उपयोग के लिए सार्वजनिक धन या संसाधनों का दुर्विनियोग।
3. **भाई–भतीजावाद:** नियुक्तियों या अनुबंधों में परिवार के सदस्यों या करीबी सहयोगियों को उनकी योग्यता न होते हुए भी उनका पक्ष लेना।
4. **शक्ति का दुरुपयोग:** व्यक्तिगत लाभ के लिए या दूसरों को पीड़ित करने के लिए किसी के अधिकार की स्थिति का उपयोग करना।
5. **जबरन वसूली:** दबाव या खतरा दिखाकर व्यक्तियों या व्यवसायों को धन का भुगतान करने या सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर करना।

भ्रष्टाचार की लागत

भ्रष्टाचार की लागत आर्थिक और सामाजिक दोनों शब्दों में चौंका देने वाली है। यह कानून के शासन को कमजोर करता है, आर्थिक प्रणालियों को विकृत करता है, और विकास में बाधा डालता है। भ्रष्टाचार की कुछ महत्वपूर्ण लागतों में शामिल हैं:

1. **आर्थिक प्रभाव:** भ्रष्टाचार संसाधनों को आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अवसंरचना से दूर करता है। इन विपथित संसाधनों का उपयोग अन्यथा सभी नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए किया जा सकता है।
2. **असमानता:** भ्रष्टाचार आय असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि जिनके पास शक्ति और संसाधन है वे अपने हित के लिए प्रणाली में हेरफेर कर सकते हैं, जिसका नुकसान बाकि नागरिक को उठाना पड़ता है।
3. **विश्वास का क्षरण:** भ्रष्टाचार सरकार और संस्थानों पर विश्वास को खत्म कर देता है, जिससे व्यापक संशयवाद और नागरिक जीवन से निराशा होती है।
4. **अक्षमता:** जब निर्णय सार्वजनिक हित के बजाय व्यक्तिगत लाभ पर आधारित होते हैं, तो अक्षमता और बर्बादी बड़े पैमाने पर हो जाती है, जिससे खराब सेवा वितरण और इष्टतम अवसंरचना की कमी हो जाती है।

5. **सामाजिक अन्याय:** भ्रष्टाचार सामाजिक अन्याय का कारण बन सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जिन्हें अपने कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, वे अक्सर सजा से बच जाते हैं।

6. **दंड :** भ्रष्टाचार प्रायः अदंडित हो जाता है जिससे दंड की ऐसी संस्कृति पैदा होती है जो आगे भ्रष्टाचार को कायम रखती है।

मैं अपने समाज में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए क्या कर सकता हूं?

आपके समाज में भ्रष्टाचार का मुकाबला करना एक नेक प्रयास है जो सकारात्मक बदलाव ला सकता है और आपके समाज की समग्र भलाई में योगदान दे सकता है। आप अपने समाज में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए कई कार्रवाई योग्य कदम उठा सकते हैं:

1. **जागरूकता बढ़ाएं:**
   - भ्रष्टाचार के विभिन्न रूपों, इसके परिणामों, और इससे निपटने के लिए मौजूद विधि के बारे में स्वयं को शिक्षित करें।
   - भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के बारे में अपने समाज में दूसरों को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं, संगोष्ठियों या जागरूकता अभियानों का आयोजन करें।
   - भ्रष्टाचार के मुद्दों से संबंधित जानकारी और कहानियों को साझा करने के लिए सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया आउटलेट का उपयोग करें।

2. **उदाहरण के आधार पर नेतृत्व करें:**
   - अपने जीवन में व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा और नैतिकता का उच्च स्तर बनाए रखें। भ्रष्टाचार में शामिल होने या उसका समर्थन करने से बचें।
   - दोस्तों और परिवार को अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में भी नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करें।

3. **पारदर्शिता बनाए रखें:**
   - स्थानीय सरकार और सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता का पक्ष लें। सार्वजनिक बैठकों में भाग लें, और सरकारी जानकारी तक खुली पहुंच को प्रोत्साहित करें।

   - ओपन डेटा परियोजनाओं और सूचना अभियानों की स्वतंत्रता जैसे पारदर्शिता को बढ़ावा देने वाली पहलों का समर्थन करें।

4. **मुखबिरों का समर्थन करें:**
   - उन व्यक्तियों की सुरक्षा और समर्थन करें जो अपनी सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करके भ्रष्ट गतिविधियों को उजागर करते हैं।
   - अपने समाज में मजबूत मुखबिर सुरक्षा विधि और प्रणाली का पक्ष लें।

5. **विधिक सुधारों का समर्थन करें:**
   - अपने समाज में मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी विधिकों और विनियमों का समर्थन करने के लिए स्थानीय संगठनों और कार्यकर्ताओं के साथ सहयोग करें।
   - मौजूदा भ्रष्टाचार विरोधी विधिकों को कार्यांवित करने और भ्रष्ट अधिकारियों और व्यक्तियों के लिए दंड के पक्षधर बनें।

6. **जवाबदेही को बढ़ावा देना:**
   - सार्वजनिक अधिकारियों को उनके प्रदर्शन की निगरानी

करके उनके कार्यों के लिए जवाबदेह बनाए और सरकारी गतिविधियों में पारदर्शिता का समर्थन करें।

- सार्वजनिक व्यय की जांच के लिए निरीक्षण समितियों या नागरिक समीक्षा बोर्डों की स्थापना को प्रोत्साहित करें।

7. **सिविल सोसाइटी संगठनों में शामिल होना या उनका समर्थन करना:**

- अपने समाज में भ्रष्टाचार के निपटान के लिए समर्पित स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज संगठनों को स्वयंसेवक या आर्थिक रूप से समर्थन करना।
- उनकी गतिविधियों में भाग लें, जैसे भ्रष्टाचार विरोधी अभियान, अनुसंधान और वकालत।

8. **भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करें:**

- यदि आपके सामने भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, तो उन्हें उपयुक्त अधिकारियों या विधि प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करें।
- यदि आपको प्रतिशोध का डर हैं तो गुमनाम टिप लाइन या रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

9. **सामुदायिक निगरानी में भाग लें:**

- स्थानीय स्तर पर भ्रष्ट प्रथाओं की निगरानी और रिपोर्ट करने वाले सामुदायिक निगरानी समूहों में शामिल होना या उन्हें स्थापित करना।
- सामुदायिक सदस्यों को सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करें।

10. **चुनावी प्रक्रियाओं में संलग्न:**

- मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी मंच और ट्रैक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों के लिए मतदान करके चुनावों में सक्रिय रूप से भाग लें।
- चुनावी सुधारों के पक्षधर रहें जो चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं।

11. **सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देना:**

- अपने समाज के भीतर नैतिक व्यवहार और अखंडता को बढ़ावा दें। स्कूलों, कार्यस्थलों और स्थानीय व्यवसायों में नैतिक आचरण को प्रोत्साहित करें।
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने वाले व्यक्तियों और संगठनों को पहचानें और उन्हें प्रोत्साहित करें।

12. **विधिक कार्रवाइयों का समर्थन करें:**

- अपने समाज की विधिक प्रणाली में भ्रष्टाचार के मामलों के निष्पक्ष और कुशल न्यायनिर्णयन का समर्थन करें।
- भ्रष्टाचार विरोधी पहल और विधिक कार्यवाही के मुखर समर्थक बनें।

13. **स्थानीय मीडिया के साथ जुड़ें:**

- अपने समुदाय में भ्रष्ट प्रथाओं पर प्रकाश डालने के लिए स्थानीय पत्रकारों और मीडिया आउटलेट के साथ सहयोग करें।
- जांच रिपोर्टिंग के लिए मीडिया संगठनों को भ्रष्टाचार से संबंधित जानकारी और कहानियां प्रदान करें।

14. **नेटवर्क और सहयोग:**

- भ्रष्टाचार से निपटनें में आपके प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपने समाज और क्षेत्र के भीतर समान विचार वाले व्यक्तियों, संगठनों और कार्यकर्ताओं का सहयोग करें।

15. **सूचित एवं सतत रहें:**

- अपने समाज में भ्रष्टाचार से संबंधित नवीनतम घटनाओं के बारे में सूचित रहें।
- अपने प्रयासों में दृढ़ता से बने रहें, क्योंकि भ्रष्टाचार का मुकाबला अक्सर दीर्घकालिक प्रयास होता है जिसके लिए समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है।

यह याद रखें कि भ्रष्टाचार से निपटना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। इन कदमों को उठाकर और अपने समुदाय के साथ जुड़कर आप अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार–मुक्त समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं।

भ्रष्टाचार की वर्तमान वैश्विक स्थिति:

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक का परिचय:

भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालने और बेहतरी के लिए परिवर्तन लाने के प्रयास में, Transparency.org संगठन ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक बनाया है, जो भ्रष्टाचार के अपने कथित स्तरों के आधार पर देशों को रैंक करने के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन और सर्वेक्षणों का उपयोग करता है। प्रारंभ में 1995 में आरंभ की गई सीपीआई भ्रष्टाचार को "निजी लाभ के लिए सार्वजनिक शक्ति का दुरुपयोग" के रूप में परिभाषित किया था।

2022 सीपीआई (जनवरी 2023 जारी किया गया) ने 0 से 100 के पैमाने पर 180 देशों को रैंक किया। जितना कम अंक, उतना अधिक भ्रष्ट देश माना जाता है।

विश्व के शीर्ष 10 सबसे भ्रष्ट देश (2022 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक):

अधिकतम (0) से न्यूनतम (100) भ्रष्ट के पैमाने पर सीपीआई अंक

- सोमालिया – 12
- सीरिया – 13 (बराबरी)
- दक्षिण सूडान – 13 (बराबरी)
- वेनेजुएला – 14
- यमन – 16
- लीबिया – 17 (बराबरी)
- उत्तरी कोरिया – 17 (बराबरी)
- हैती – 17 (बराबरी)
- भूमध्यरेखीय गिनी – 17 (बराबरी)
- बुरुंडी – 17 (बराबरी)

सोमालिया, जिसे हाल के कई वर्षों में दुनिया में सबसे भ्रष्ट देश के रूप में रैंक किया गया है, 2019 (सीपीआई अंक 9) और 2021 (सीपीआई 13) के बीच बदलाव आया है, अंत में 2022 (सीपीआई 12) में भ्रष्टाचार के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। इस बीच, दक्षिण सूडान का अंक 2020 में 12 से गिरकर 2021 में 11 हो गया, अंततः 2022 में सीपीआई 13 के साथ दूसरे स्थान पर सीरिया के साथ बराबरी पर आ गया। वेनेजुएला ने सीपीआई अंक 14 के साथ 2021 और 2022 में सुरक्षित रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया।

अंततः, 2022 सीपीआई पर औसत अंक ग्यारहवें वर्ष तक लगातार 43/100 था, और 2/3 से अधिक देशों ने 50/100 से कम अंक प्राप्त किया। स्पष्ट रूप से, भ्रष्टाचार–या कम से कम इसकी छाप दुनिया भर में मुख्य समस्या बनी हुई है।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार एक विकट चुनौती है, लेकिन यह दुर्जेय नहीं है। प्रत्येक नागरिक के पास भ्रष्टाचार का विरोध करने और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रहने की शक्ति है। भ्रष्टाचार के सभी रूपों का विरोध करके, पारदर्शिता को बढ़ावा देकर और न्याय का पक्षधर होकर, नागरिक एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाता है। ऐसे समाज की विशेषता समृद्धि, समानता और विश्वास होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। भ्रष्टाचार का विरोध करना केवल एक विकल्प नहीं हैय यह सभी के लिए एक बेहतर राष्ट्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्धता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के लिए अपनी सामूहिक प्रतिबद्धता में, हम अपने राष्ट्र के लिए अधिक न्यायसंगत और समृद्ध भविष्य की दिशा में कदम उठा सकते है।

परिवर्तन हेतु पारदर्शिता

– पीयूष राजेंद्र साहू, मुख्य प्रबंधक,
महिन्द्रा होम फाइनेंस, क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर

मौर्य काल के दौरान, कौटिल्य प्रशासन था, जिसे खुफिया सभा की कुशल प्रणाली से केंद्रीकृत किया गया था, मुगल युग में भी केंद्रीकृत प्रशासन अधिक जोश के साथ जारी रहा। फिर औपनिवेशिक ब्रिटिश प्रशासन आया, जो ब्रिटिश युग में केंद्रीकृत सरकार भी थी, जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर प्रमुख व्यक्ति थे, जिनका काम विधि व्यवस्था बनाए रखना और राजस्व एकत्रित करना था। जबकि ये सभी प्रशासन कुशल थे, इसमें उत्तरदायी, जवाबदेह और पारदर्शी होने के लिए शायद ही कोई जगह थी। हालांकि, बाद के वर्षों में विभिन्न स्तरों पर लोगों की भागीदारी के साथ इन पारदर्शिता अवधारणाओं में व्यापक परिवर्तन आया। पारदर्शिता यह सुनिश्चित करती है कि लोग ठीक से जानते हैं कि क्या चल रहा है और सरकार या उसके पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न स्तरों पर लिए गए निर्णयों का औचित्य क्या है।

पारदर्शिता को मोटे तौर पर सुशासन के एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है। सुशासन का तात्पर्य लोकतांत्रिक राजनीति के नागरिकों के प्रति जवाबदेही और परियोजनाओं, कार्यक्रमों और सार्वजनिक नीतियों के निर्णय लेने, कार्यान्वयन और मूल्यांकन में उनकी भागीदारी से है। पारदर्शिता का अर्थ है कि निर्णय लेने के मानदंड, प्रक्रिया और प्रणालियां सार्वजनिक रूप से सभी को ज्ञात हों। संस्थागत व्यवस्था में पारदर्शिता के लिए नागरिक चार्टर एक महत्वपूर्ण उपाय बन गया है।

कार्यस्थल पर कर्मचारियों, उसके ग्राहकों के साथ व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए जाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार हम अपने घर में पारदर्शिता बनाए रखते हैं ताकि परिवार के प्रत्येक सदस्य की आंतरिक इच्छाओं और कामनाओं पर ध्यान दिया जा सके और संतुष्टि प्राप्त हो सके उसी प्रकार हमारा पूरा समाज हमारा परिवार है और सफलता प्राप्त करने तथा एक दूसरे से वांछित परिणाम और नतीजा प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि हम ऐसे स्थानों पर पारदर्शिता बनाए रखें।

कार्यस्थल की पारदर्शिता कार्यस्थल पर नेतृत्व और कर्मचारियों के बीच खुला संचार है, नेतृत्वकर्ता खुले तौर पर उम्मीदों, गलतियों, असफलताओं, प्रतिक्रिया और अन्य निष्कर्षों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है, बदले में कर्मचारी प्रश्न पूछने और प्रतिक्रिया, चुनौतियों और विचारों को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पारदर्शिता की कमी सहकर्मियों के बीच संबंध और सहयोग को नुकसान पहुंचा सकती है।

व्यावसायिक पारदर्शिता का अर्थ आम तौर पर आपके कर्मचारी को जानकारी रहना, अच्छे और बुरे को साझा करना और आपकी टीम के सदस्यों से ईमानदार प्रतिक्रिया का स्वागत करना है। एक सकारात्मक कंपनी संस्कृति बनाने और कर्मचारी की ईमानदारी और रोजगार की पहचान करने के लिए कार्यस्थल में पारदर्शिता स्थापित करना महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता आपके ग्राहकों और आपके कर्मचारियों के साथ मजबूत संबंध बनाने में मदद करती है।

पारदर्शिता को आम तौर पर दूसरों के सामने अपने को कुछ स्पष्ट रूप से दिखाने या व्यक्त करने के लिए संदर्भित किया जाता है। पारदर्शिता अक्सर एक से एक खुले समबंध के निर्माण के लिए उपकरण के रूप में कार्य करती है जिससे मन की अभिव्यक्ति तो होती ही है और साथ ही दूसरों का विश्वास प्राप्त हो जाता है। विश्वास का निर्माण और उसे प्राप्त करना कार्रवाई का एक सर्वोपरि पहलू है, विचारों को साझा करना, नवाचार करना, सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करना जो अंतिम परिणाम की ओर ले जाती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रिया का समग्र परिवर्तन होता है।

पारदर्शिता व्यक्ति के भीतर, देश के भीतर और संगठन के भीतर होने वाले भ्रष्टाचार और कपट से बचने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण कारकों में से एक है।

"सच बोलो। पारदर्शिता वैधता का निर्माण करती है।"

– जॉन सी मैक्सवेल

हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मानना है कि जवाबदेही और पारदर्शिता किसी भी जन समर्थक सरकार के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

जवाबदेही और पारदर्शिता न केवल नागरिकों को सरकार के करीब लाती है, बल्कि उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का समान और अभिन्न अंग भी बनाती है।

भारत सरकार ने दिन–प्रतिदिन के प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का सहारा लेकर विभिन्न उपायों को लागू किया है, जैसे कि ई–अवकाश प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन, स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (स्पैरो), कर्मचारी सूचना प्रणाली, ई–कार्यालय, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (एईबीएएस), केंद्रीय सार्वजनिक क्रय पोर्टल (सीपीपीपी), विदेशी यात्रा प्रबंधन प्रणाली (एफवीएमएस), पेंशनभोगियों के लिए वेब उत्तरदायी पेंशनभोगी सेवा, सरकारी ई–बाजार (जीईएम), पेंशन संस्वीकृति एवं भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली (भविष्य), आदि।

भारत सरकार द्वारा अपने कामकाज में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई पहल किए गए हैं जिनमें सूचना का अधिकार अधिनियम, लोक सेवा विधेयक, नागरिक चार्टर, ई–शासन, ई–भूमि, ई–चौपाल, ई–खरीद शामिल हैं। इन पहलों के तहत, सरकार ने आम जनता और इसमें शामिल संस्थानों के बीच पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश की है।

कंपनी और व्यक्ति दोनों का परिवर्तन एक दूसरे पर निर्भर करता है और दोनों में पारदर्शिता सर्वोपरि है। जब कोई कंपनी कर्मचारी किसी ग्राहक तक पहुंचता है और उसे कंपनी की नीति और उत्पाद के बारे में विस्तार से बताता है, जिसके लिए ग्राहक ऋण लेने पर सहमत होता है, और उसी नीति और उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है, तो न केवल कंपनी ग्राहक का विश्वास अर्जित करती है, बल्कि लंबे समय तक ग्राहक के साथ संबंध अच्छे पुनर्भुगतान रिकॉर्ड के साथ कायम करती है, बदले में ग्राहक का जीवन भी बदल जाता है क्योंकि उसने अपना नया आवास बनाया है, जो उसका सपना था, उसका जीवन स्तर नए स्तर तक बढ़ गया। इससे शिकायतें भी कम होती हैं।

भा.रि.बैंक के अनुसार, 31 मार्च 2023 को इसके साथ पंजीकृत एनबीएफसी की संख्या 9443 थी, लगभग हर कंपनी अपने अनूठे उत्पाद, नीति, दृष्टिकोण, शासन, ग्राहक खंड, भौगोलिक दृष्टिकोण आदि के साथ उद्योग का नेतृत्व करना चाहती है। कंपनी ग्राहक को कंपनी की वेबसाइट, विभिन्न विज्ञापनों में उल्लिखित अपने वादे को पूरा करके अपने संबंधित लक्ष्य को प्राप्त भी कर रही है। सभी चीजें कंपनी द्वारा प्राप्त की जाती हैं यदि यह पारदर्शिता के माध्यम से ग्राहक संबंधों के लिए प्रतिबद्ध रहता है।

भा.रि.बैंक ने कंपनी को शिकायत विभाग नियुक्त करने और लोकपाल की नियुक्ति करने और पोर्टल से शिकायतों की स्थिति के बारे में 3 स्तरों तक ग्राहकों को जानकारी देने का आदेश दिया है।

भा.रि.बैंक और रा.आ.बैंक ने ग्राहक को बकाया नीति के संग्रह के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, कि किन परिस्थितियों में सरफेसी अधिनियम लागू किया जा सकता है।

भा.रि.बैंक और रा.आ.बैंक, दोनों कार्यस्थल पर डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को तेजी से व पारदर्शिता लाने वाले उपकरण के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं।

रा.आ.बैंक द्वारा मुखबिर नीति और पीआईडीपीआई शिकायत नीति ने कंपनियों को अधिक पारदर्शी बनाया है और कपट व भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है।

अधिक पारदर्शिता लाने और सर्वोत्तम निगरानी प्रणाली बनाए रखने के लिए, रा.आ.बैंक ने विभिन्न प्रणाली/पोर्टल शुरू किए हैं, उदाहरण निम्नलिखित हैं:

1. आवास वित्त कोषः रा.आ.बैंक द्वारा पीएलआई को रा.आ.बैंक पर आवास वित्त पर डेटा साझा करने के लिए निर्बाध तरीका प्रदान करने के लिए इसका निर्माण किया गया है।
2. रा.आ.बैंक रेजीडेक्सः चयनित 50 शहरों में आवासीय संपत्तियों के मूल्य को जानने के लिए इसका निर्माण किया गया है।

3. जनता से जुड़ना– संपूर्ण भारत में आवास और आवास वित्त क्षेत्र।
4. ऑनलाइन निरीक्षण रिपोर्ट प्रणाली: इसे रिपोर्ट आति प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को कम करने और आसान बनाने के लिए शुरू किया गया है।

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, कंपनी ने अब चेक/आवेदन के विभिन्न तरीकों का उपयोग करना आरंभ कर दिया है, ताकि ग्राहक को कंपनी में अपने आवेदन या आवेदन की स्थिति के बारे में पता चल सके, आवेदन के ऐसे तरीके इस प्रकार हैं:

1. ओटीपी के आधार पर लॉगिन या लीड जनरेशन
2. लीड प्रबंधन प्रणाली
3. आधार आधारित लॉगिन
4. एनएसडीएल के साथ सी–केवाईसी जांच
5. कंपनी का मोबाइल एप्लिकेशन: जहां ऋण की स्थिति की जांच की जा सकती है।
6. मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? अनुभाग, जहां ग्राहक के साथ ऑटोबूट चौट में और उनके प्रश्नों को हल करने के लिए, वेबसाइट में भी हेल्प/प्रश्नोत्तर नामक अनुभाग है जहां ग्राहक की सभी शंकाओं का उत्तर दिया जाता है।

महिंद्रा होम फाइनेंस कंपनी (एमएचएफ) जो स्थापना के बाद से भारत में ग्रामीण जीवन के परिवर्तन की दिशा में काम कर रही है, उन्हें आवास ऋण के माध्यम से सेवा प्रदान कर रही है। एमआरएचएफएल 80000 से अधिक गांवों में पहुंच गया है। 'ग्रामीण जीवन को एक साथ बदलने' का एजेंडा लेकर एमआरएचएफएल ने 9.58 से अधिक ग्राहकों के कई जीवन को बदल दिया है, और यह सब एमएचआरएफएल द्वारा अपने ग्राहकों के साथ अपनी पहली बैठक से ही लगातार पारदर्शिता और जवाबदेही नीति के माध्यम से दिए गए विश्वास के कारण सफलतापूर्वक हुआ। एमआरएचएफएल द्वारा अपने विश्वास निर्माण संबंधों के माध्यम से ग्रामीण लोगों के जीवन को कैसे बदल दिया गया, इस विषय में सफलता की कहानियां हैं। ये कहानियाँ एमआरएचएफएल वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। एमआरएचएफएल ने स्थापना के बाद से अपने अनूठे उत्पाद के माध्यम से ग्रामीण जीवन को अगले स्तर पर बदलने का सबसे अच्छा उदाहरण स्थापित किया है। एमआरएचएफएल हमेशा ग्राहकों को वेबसाइट, पैम्फलेट या विज्ञापन के किसी अन्य तरीके के माध्यम से वादा करता है।

एमआरएचएफएल के पास किसी भी रूप में कपट और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति है और रा.आ.बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार मुखबिर और पीआईडीपीआई शिकायतों के लिए कुशलता से नीति निर्धारित की है।

यहां तक कि दर्पण जो आपको पारदर्शी दिखता है, वह भी पारदर्शी नहीं है, उसका दुसरा छोर स्तरित धातुओं से ढका है जिसके कारण वह हमें पारदर्शी दिखता है।

1. अत्यधिक पारदर्शिता का अर्थ है, गलत हाथ में वर्गीकृत डेटा प्राप्त करने की संभावना, जिसने अंततः कंपनी को कपट और भ्रष्टाचार की चपेट में आ गई और आम आदमी के साथ भी ऐसा हुआ है।
2. अत्यधिक पारदर्शिता का अर्थ कंपनी या आम आदमी को दिया गया कम महत्व भी है।
3. यदि बाजार में वर्गीकृत जानकारी आसानी से उपलब्ध है तो प्रतियोगी लाभ उठा सकता है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उपाय:

1. किसी व्यक्ति/कर्मचारियों की मानसिकता में परिवर्तन आवश्यक है क्योंकि यह भारत में शासन संरचनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन जाता है।
2. अपर्याप्त अवसंरचना और सरकारी व निजी कार्यालयों का सीमित डिजिटलीकरण प्रभावी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने में रुकावट रहा है।

मदर टेरेसा का कहना है कि ईमानदारी और पारदर्शिता सबसे आदरणीय बात है, भले ही हमें ईमानदार और पारदर्शी होना पड़े। पारदर्शिता आम आदमी के जीवन परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिसके परिणामस्वरूप किसी कंपनी का परिवर्तन होता और अंततः इससे देश का परिवर्तन होता है। परिवर्तन के लिए पारदर्शिता को तत्व की आवश्यकता होनी चाहिए लेकिन सीमा में, अन्यथा, यह और अधिक गंभीर कपट और भ्रष्टाचार को जन्म देगा।

भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें

– जयन्ती, कनिष्ठ कार्यकारी,
जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, पीतमपुरा, दिल्ली

प्रस्तावना:

भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है– भ्रष्ट + आचार! जिसका अर्थ है– बुरा आचरण ! अर्थात बुरी नियत या अनैतिक रूप से किया गया कोई भी कार्य भ्रष्टाचार कहलाता है! जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए गलत तरीके से अपना फायदा सोचता है, वह भ्रष्टाचारी होता है!

भ्रष्टाचार हमारे समाज के विकास और सुधार में एक मुख्य समस्या और बाधा है! जो हमारे राष्ट्र को विकसित होने से रोकती है! यह एक महामारी की तरह हमारे देश में फैला हुआ है! केवल बुरा आचरण ही नहीं बल्कि रिश्वत देना और लेना, काला बाजारी, पैसे लेकर गलत काम करना, सस्ता सामान खरीद कर उसे महंगा बेचना इत्यादि!

सत्ता और धन की लालसा अक्सर भ्रष्टाचार के सामान्य कारण होते हैं। भ्रष्टाचार एक व्यक्ति को उसके अच्छे चरित्र से दूर कर देता है, और इससे कर्तव्यों की क्षमता बिगड़ जाती है। विभिन्न देशों के कई राजनीतिक नेता इसमें शामिल होते हैं और यह तेजी से भी फैलता है। महाशक्तिशाली देश भी इससे अछूते नहीं हैं। भ्रष्टाचार का अर्थ होता है किसी भी काम को करने से पहले रिश्वत लेना या पैसे की मांग करना या किसी काम को करवाने के लिए आसान रास्ता अपनाना। यह भ्रष्टाचार कहलाता है कहीं कहीं तो लोग रिश्वत लेने के बाद भी काम नहीं करते।

भ्रष्टाचार का अर्थ:

वह कार्य जो धन के प्रति लालसा या लालच उत्पन्न करे! बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश को कई अन्य प्रकार की समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है जैसे भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और बेकारी आदि। और यही सब हमारे देश को विकास करने से रोकती है! क्योकि जब तक लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते रहेंगे तब तक किसी भी कार्य में पारदर्शिता नहीं आएगी! कुछ असामाजिक तत्त्व अपने स्वार्थ के लिए धन का उपयोग करके लोगो से गलत काम करवाते है, जिस कारण हमारे देश के युवाओ को सही मार्ग दर्शन नहीं मिल पा रहा है तथा पैसो की लालच में लोग भटक जाते है और गैरकानूनी काम करने लगते है!

हमारे देश में प्रत्येक सरकारी कार्यालय, गैर–सरकारी कार्यालय और राजनीति में भ्रष्टाचार कूट–कूट कर भरा हुआ है जिसके कारण आम आदमी बहुत परेशान है। इसके खिलाफ हमें जल्द ही आवाज उठाकर इसे कम करना होगा नहीं तो हमारा पूरा राष्ट्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। इसलिए सभी को यही नारा अपनाना चाहिए–

"आम जनता की यही गुहार,

अब बंद करो यह भ्रष्टाचार"!

जब तक हम सख्त कदम नहीं उठाएंगे, तब तक हम भारत से भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर सकते। हम सभी भ्रष्टाचार से अच्छे तरह वाकिफ है और ये अपने या किसी भी देश के लिए में नई बात नहीं है। इसने अपनी जड़ें गहराई से लोगों के दिमाग में बना ली है। ये एक धीमे जहर के रुप में प्राचीन काल से ही समाज में रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का भविष्य खतरे में जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार के चलते एक योग्य और शिक्षित व्यक्ति को रोजगार मिलने में काफी परेशानियां आ रही है।

भ्रष्टाचार के कारण :

भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है– 'लोगो में धन के प्रति लालच'! जिस वजह से लोग गलत काम करने पे उताः हो जाते है! और झूठी प्रतिष्ठा पाने के लिए भी गलत मार्ग अपनाते है!

भाई भतीजा वाद के कारण बड़े अफसर अपने पदों का दुरुपयोग करके अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी दिलवा देते हैं, चाहे वह व्यक्ति उस नौकरी के योग्य हो या न हो, जिससे काबिल लोग पीछे रह जाते है और जिसके कारण देश में बेरोजगारी भी फैलती जा रही है। लचीली कानून व्यवस्था के कारण भी असामाजिक तत्त्व को गलत काम करने का प्रोत्साहन मिलता है!

लोग अपने धर्म और भाषा के विवाद के चलते एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लोगो में शिक्षा और राष्ट्र एकता का अभाव भी कई तरह से भष्टाचार को बढ़ावा देता है! देश के बड़ी बड़ी कंपनियों के उद्योगपति अपना कर (टैक्स) बचाने के लिए बड़े अफसरों को रिश्वत देते है और राष्ट्र विकास योगदान में पीछे हट जाते है! भ्रष्टाचार को बढ़ाने में हम आम लोगों का ही हाथ है जो कि छोटे–छोटे कामों को जल्दी से कराने के लिए सरकारी दफ्तरों में काम कर रहे कर्मचारियों को रिश्वत देते हैं।

यह भ्रष्टाचार की गिनती में ही आता है, इस कारण यह सरकारी कर्मचारी रिश्वत के आदी हो जाते हैं और नियमित रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं।

लोगो में एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और घृणा की भावना नहीं भ्रष्टाचार को श्रेय देता है! आर्थिक स्थिति का ठीक न होने के कारण भी लोग गैरकानूनी काम करने लगते है, भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश का आर्थिक विकास रुक सा गया है।

भ्रष्टाचार के कारण ही आज भी हमारे गांव तक बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएँ नहीं पहुँच पाई है। सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाए जाने के कारण भ्रष्ट लोगों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं! व्यक्ति खुद की छोटी इच्छाओं की पूर्ति हेतु देश को संकट में डालने में तनिक भी देर नहीं करता है। इसके वजह से गरीब और गरीब होता जा रहा है। देश में बेरोजगारी, घूसखोरी, अपराध की मात्रा में दिन–प्रतिदन वृद्धि होती जा रही है!

भ्रष्टाचार रोकने के उपाय:

हमारे देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हमें एकजुट होना चाहिए और हमारे प्रयासों में ईमानदारी लानी चाहिए। केवल सरकार को ही नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और एक भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए। राजनीति में केवल उन्ही लोगों को भाग लेने देना चाहिए जिनका रिकॉर्ड साफ सुथरा हो तथा जिसपे कोई भी कोर्ट केस न हो और न ही आपराधिक रिकॉर्ड हो! और नेता बनने के लिए न्यूनतम शिक्षा और आयु भी तय होनी चाहिए!

भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त कानून बहुत जरूरी हैं। सबसे बढ़कर, दोषी व्यक्तियों को कड़ी सजा दिए जाने की आवश्यकता है। सभी लोगो को संस्कार और सदाचार का ज्ञान करना चाहिए ताकि समाज को सही मार्गदर्शन मिले और हमारा देश ईमानदारी की राह पर चल सके! सरकार को हमेशा उचित निर्णय लेने चाहिए जो की जनता की भलाई के लिए हो न की उनके खुद के स्वार्थ के लिए!

भाई भतीजेवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए और जो लोग योग्य हो उन्हें ही आगे अवसर देने चाहिए! हमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने की आवश्यकता है। हमें जरुरतमंदो की मदद करनी चाहिए और काला बाजारी नहीं चाहिए तथा जितनी आवश्यकता हो उतना ही सामन खरीदना चाहिए! हमे उन सब चीजो पर रोक लगानी चाहिए जो समाज के विकास को बाधित करती है! कार्यस्थलों पर कैमरे लगाना भ्रष्टाचार को रोकने का एक मुख्य तरीका है। कई व्यक्ति पकड़े जाने के डर से भ्रष्टाचार में शामिल होने से बचेंगे।

निष्कर्ष:

सभी लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जुट होकर राष्ट्र के प्रति एकता दिखानी चाहिए और हमेशा और देश के लिए समर्पित रहना चाहिए! ऐसे गलत काम करने वालो पर रोक लगानी लगानी चाहिए! सभी लोगो को ईमानदार बनने के लिए जागरूक करना चाहिए!

आम जनता को भी सदैव योग्य नेता को ही अपना वोट देना चाहिए और रिश्वतखोरी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए! देश के सभी नागरिको के अमूल्य योगदान से ही ये देश भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा और तभी एक विकासशील देश का निर्माण होगा! और यदि भ्रष्टाचार हमारे देश से खत्म हो गया तो उसके साथ साथ अन्य बाकि समस्याएं भी समाप्त हो जायेंगे जैसे– हिंसा, चोरी–डकैती, रिश्वतखोरी, काला बाजारी और बेरोजगारी!

सभी लोगों की एकजुटता के कारण ही देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जा सकता है, केवल सभी लोगों को अपना योगदान देने की आवश्यकता है! भ्रष्टाचार पर अंकुश कुछ प्रभावी कदम उठाकर लगाया जा सकता है।

भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें

– स्वप्निल मारुति लोंढे, कार्यपालक (सूचना प्रौद्योगिकी),
मुथूट होमफिन, कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई

भ्रष्टाचार भारत में दीर्घकालिक समस्या रहा है, जो दशकों से समाज और शासन के विभिन्न पहलुओं में प्रवेश कर चुका है। जबकि भारत ने कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, भ्रष्टाचार एक दुर्जेय चुनौती बनी हुई है जो विकास को बाधित करती है, विश्वास को कम करती है, और उन मूल्यों को नष्ट करती है जिन पर राष्ट्र का निर्माण किया गया था। भारत के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण के लिए, यह अनिवार्य है कि हम सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार का विरोध करें और अपने राष्ट्र की उन्नति हेतु प्रतिबद्ध रहें।

ऐतिहासिक संदर्भ

भ्रष्टाचार के विरुद्ध भारत का संघर्ष कोई नई बात नहीं है। इसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, प्राचीन ग्रंथों और शास्त्रों में भ्रष्टाचार के उदाहरण दर्ज हैं। तथापि, आधुनिक समय में, भ्रष्टाचार प्रणालीगत समस्या बन गया है, जो नौकरशाही, राजनीति और यहां तक कि दैनिक जीवन में घुसपैठ कर रही है। स्वतंत्रता के बाद के युग में भ्रष्टाचार ने विभिन्न सरकारी संस्थानों में जड़ें जमा लीं, जिससे जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी आई।

भारत में भ्रष्टाचार की प्रकृति

भारत में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप है, छोटी रिश्वतखोरी और लालफीताशाही से लेकर उच्च पदस्थ अधिकारियों और राजनेताओं से जुड़े बड़े भ्रष्टाचार तक। यह एक बहुआयामी समस्या है जो हर स्तर पर नागरिकों को प्रभावित करती है। कई भारतीयों के लिए, भ्रष्टाचार दैनिक जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा बन गया है, जहां बुनियादी सेवाओं, सरकारी अनुबंधों को सुरक्षित करने या यहां तक कि नौकरी पाने के लिए रिश्वत दी जाती है।

व्यापक स्तर पर, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार घोटालों ने सुर्खियां बनाई, जिसमें सार्वजनिक धन का बड़े पैमाने पर गबन, संदिग्ध भूमि सौदे और अरबों रुपये के घोटाले शामिल हैं। भ्रष्टाचार के ये उदाहरण न केवल देश के संसाधनों को नष्ट करते हैं बल्कि सरकार पर जनता के विश्वास को भी खत्म करते हैं।

भारत में भ्रष्टाचार की मानवीय लागत

भारत में भ्रष्टाचार की मानवीय लागत बहुत अधिक है। जब स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अवसंरचना के विकणस के लिए सार्वजनिक संसाधनों को भ्रष्ट प्रथाओं के माध्यम से हटा दिया जाता है, तो इसका सबसे अधिक नुकसान आम नागरिक को होता है। ग्रामीण समुदायों को धन के विचलन के कारण गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच का सामना करना पड़ता है, और रिश्वत और लालफीताशाही के कारण शहरी गरीबों को आवश्यक सेवाओं से वंचित किया जाता है।

भ्रष्टाचार असमानता को भी बढ़ाता है, क्योंकि जो लोग रिश्वत देने में सक्षम हैं, वे शिक्षा, रोजगार और व्यावसायिक अवसरों में अनुचित लाभ प्राप्त करते हैं। यह गरीबी के चक्र को कायम रखता है और समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालता है।

भारत में आर्थिक नुकसान

भ्रष्टाचार देश पर भारी आर्थिक प्रभाव डालता है। यह विदेशी निवेश को रोकता है, आर्थिक विकास को बाधित करता है, और संसाधनों के आवंटन को विकृत करता है। भ्रष्ट वातावरण में काम करने वाले व्यवसायों को अक्सर अनुचित प्रतिस्पर्धा, मनमाने नियमों और रिश्वत की मांगों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार के कारण संसाधनों के गलत आवंटन के परिणामस्वरूप अवसंरचना के विकास और सार्वजनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में उप–इष्टतम परिणाम होते हैं। यह न केवल आर्थिक प्रगति में बाधा डालता है बल्कि भारतीय नागरिकों के लिए जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी प्रभावित करता है।

भारत में सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव

भारत में भ्रष्टाचार के महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिणाम हैं। यह सरकार और संस्थानों की विश्वसनीयता और वैधता को नष्ट

कर देता है, जिससे सार्वजनिक विश्वास में कमी आती है। जब लोग अपने नेताओं और संस्थानों पर विश्वास खो देते हैं, तो इससे उदासीनता, मोहभंग और यहां तक कि राजनीतिक अस्थिरता भी हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, भ्रष्टाचार निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को विकृत करता है, जिससे सामान्य हित के बजाय व्यक्तिगत हितों के आधार पर संसाधनों का आवंटन होता है। यह गरीबी को बनाए रख सकता है, असमानता को बढ़ा सकता है, और सामाजिक प्रगति में बाधा डाल सकता है।

भारत में व्यक्तियों की भूमिका

भ्रष्टाचार का विरोध व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ आरंभ होता है। भारत में भ्रष्टाचार निपटने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका है। इसका अर्थ है रिश्वत का न देने, भ्रष्ट आचरण की रिपोर्ट करने और सार्वजनिक अधिकारियों से पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करने से है। इसमें ऐसे जनप्रतिनिधियों के लिए मतदान करना भी शामिल है जो भ्रष्टाचार विरोधी उपायों को प्राथमिकता देते हैं और सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक समाज की पहलों में भाग लेते हैं।

व्यक्ति अखंडता और नैतिक आचरण का व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित करके बदलाव ला सकते हैं। जब लोग ईमानदारी को प्राथमिकता देते हैं और भ्रष्ट आचरण में संलग्न होने से इनकार करते हैं, तो यह शक्तिशाली संदेश प्रदर्शित करता है और पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति में योगदान देता है।

भारत सरकार की भूमिका

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। भ्रष्टाचार निरोधी विधिकों और विनियमों को अधिनियमित और कार्यान्वित करना, स्वतंत्र भ्रष्टाचार निरोधी एजेंसियों की स्थापना करना और यह सुनिश्चित करना कि भ्रष्ट आचरण में संलग्न लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकारी लेनदेन, सार्वजनिक क्रय और संसाधनों के आवंटन में पारदर्शिता आवश्यक है।

सरकारी नेताओं को उदाहरण पेश करके नेतृत्व करना चाहिए। जब उच्च पदस्थ अधिकारी भ्रष्ट आचरण में शामिल होते हैं, तो यह संपूर्ण भ्रष्टाचार–विरोधी प्रयास को कमजोर करता है। नेताओं को अपने कार्यों और निर्णयों में अखंडता और नैतिक आचरण के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए।

भारत में नागरिक समाज की भूमिका

भारत में भ्रष्टाचार से निपटने में गैर सरकारी संगठनों, मीडिया और वकालत समूहों सहित नागरिक समाज संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे भ्रष्टाचार के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ा सकते हैं, पारदर्शिता और जवाबदेही के पक्षधर बन सकते है और मुखबिर और भ्रष्टाचार के पीड़ितों को सहायता प्रदान कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार को उजागर करने और उन लोगों को जिम्मेदार ठहराने में मीडिया की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। जांच पत्रकारिता भ्रष्टाचार घोटालों को उजागर कर सकती है और उन्हें जनता के ध्यान में ला सकती है, जिससे सरकार और संस्थानों पर कार्रवाई करने का दबाव बन सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत

भ्रष्टाचार वैश्विक समस्या है जिससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। कई भ्रष्ट प्रथाओं में सीमा पार लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध धन का प्रवाह शामिल है। भारत अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग से लाभान्वित हो सकता है।

भारत के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध

भ्रष्टाचार का विरोध केवल व्यक्तिगत नैतिकता का विषय नहीं हैय यह भारत के भविष्य के लिए प्रतिबद्धता है। भ्रष्टाचार की बेड़ियों से मुक्त राष्ट्र वह है जहां अवसर सभी के लिए सुलभ हों, जहां न्याय प्रबल हो, और जहां कुछ लोगों के स्वार्थ के कारण प्रगति में बाधित न हो। जब हम भारत की भलाई के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने की प्रतिज्ञा करते हैं जहां अखंडता और ईमानदारी को प्राथमिकता दी जाती है।

भारत में शिक्षा और जागरूकता

भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में शिक्षा और जागरूकता आवश्यक उपकरण हैं। लोगों को समाज पर भ्रष्टाचार के हानिकारक

प्रभावों को समझना चाहिए और इसे रोकने में उनकी भूमिका को पहचानना चाहिए। शैक्षिक संस्थान भ्रष्टाचार विरोधी शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं, छात्रों को निर्णय लेने के नैतिक आयामों और अखंडता के महत्व के बारे में शिक्षित कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति को बढ़ावा देने में जन जागरूकता अभियान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ये अभियान व्यक्तियों और व्यवसायों दोनों को लक्षित कर सकते हैं, उन्हें भ्रष्ट प्रथाओं को अस्वीकार करने और उनका सामना करने पर उन्हें रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भारत में मुखबिर की सुरक्षा

मुखबिर, ऐसे व्यक्ति जो संगठनों या सरकारी एजेंसियों के भीतर भ्रष्ट आचरण की रिपोर्ट करते हैं, अक्सर प्रतिशोध और व्यक्तिगत जोखिम का सामना करते हैं। भारत में मुखबिर को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, मजबूत मुखबिर सुरक्षा प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए। इन प्रणालीयों में प्रतिशोध के विरुद्ध विधिक सुरक्षा, गोपनीयता और अपने कार्यों के प्रतिकूल परिणामों का सामना करने वाले मुखबिरों के लिए समर्थन शामिल होना चाहिए।

भारत में पारदर्शिता और जवाबदेही

भारत में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में पारदर्शिता और जवाबदेही मौलिक सिद्धांत हैं। सरकारों, व्यवसायों और संगठनों को अपने कार्यों और निर्णयों में पारदर्शी होना चाहिए, जिससे जानकारी जनता के लिए सुलभ हो सके। इसमें वित्तीय लेनदेन, बजट और अनुबंधों का खुलासा करने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि निर्णय लेने की प्रक्रियाएं पारदर्शी और जवाबदेह हैं।

लेखापरीक्षा और निरीक्षण निकाय जैसे जवाबदेही प्रणाली, भारत में भ्रष्ट आचरण के लिए व्यक्तियों और संगठनों को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन प्रणालियों को स्वतंत्र रूप से संचालित करना चाहिए और भ्रष्ट गतिविधियों में संलग्न लोगों की जांच और संस्वीकृत करने का अधिकार होना चाहिए।

भारत में भ्रष्टाचार निरोधक विधि

भ्रष्टाचार निरोधक विधि भारत में किसी भी प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधी रणनीति की आधारशिला है। विधि और विनियमों को रिश्वतखोरी, गबन, धोखाधड़ी और अन्य भ्रष्ट प्रथाओं को अपराध घोषित करना चाहिए। भ्रष्टाचार के लिए दंड पर्याप्त कठोर होना चाहिए ताकि संभावित गलत काम करने वालों को रोका जा सके, और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के पास भ्रष्टाचार के मामलों की प्रभावी ढंग से जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए संसाधन और स्वतंत्रता होनी चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भारत

भ्रष्टाचार वैश्विक समस्या है जिससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता होती है। कई भ्रष्ट प्रथाओं में सीमा पार लेनदेन, मनी लॉन्ड्रिंग और राष्ट्रीय सीमाओं पर अवैध धन का प्रवाह शामिल है। भारत को अन्य देशों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ भ्रष्टाचार को रोकने, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और जांच और अभियोजन में सहयोग करने के लिए काम करना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय संगठन प्रभावी भ्रष्टाचार निरोधक रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन में भारत को तकनीकी सहायता और सहायता प्रदान कर सकते हैं।

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार भारत में महत्वपूर्ण चुनौती बनी हुई है, जो विकास में बाधा डालती है, विश्वास को खत्म करती है, और असमानता को बनाए रखती है। हालांकि, यह एक चुनौती है जिसे सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्धता से दूर किया जा सकता है। भ्रष्टाचार का विरोध करके और भारत की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध होकर, हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां अखंडता, ईमानदारी और पारदर्शिता प्रबल हो।

भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी, मजबूत सरकारी नेतृत्व और नागरिक समाज संगठनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में शिक्षा, जागरूकता और नैतिक आचरण के लिए प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

जब हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं, तो हम भारत के लिए अखंडता, पारदर्शिता और प्रगति का मार्ग चुनते हैं। यह मार्ग चुनौतियों से भरा हो सकता है, लेकिन यह वह मार्ग है जो सभी के लिए एक मजबूत, अधिक समृद्ध और अधिक न्यायसंगत राष्ट्र का निर्माण करता है। भारत के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध होकर हम आने वाली पीढ़ियों के लिए उज्ज्वल और अधिक न्यायसंगत देश का निर्माण कर सकते हैं।

भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समार्पित रहें

– दविंदर सिंह, ग्राहक संबंध कार्यकारी,
पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, संगरूर

भ्रष्टाचार : भ्रष्टाचार हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है, और भ्रष्टाचार के कारण हमारा समाज दिन पर दिन कंगाल व कमजोर होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार हमारे राष्ट्र की शान को बेरंग कर रहा है,

असल में भ्रष्टाचार के कारण क्या है? यह दिन पर दिन बढ़ता कैसे जा रहा है? और यह हमारे राष्ट्र के लिए कैसे खतरनाक बन रहा है? दरअसल यह हमारे राष्ट्र की उन्निति में बाधा बना हुआ है, यह हमारे लिए बहुत ही शरमनाक बात है। क्योंकि इसके लिए कुछ हद तक अपराधी हम है तो कुछ हद तक अपराधी सरकार भी हैं क्योकि सरकार को राष्ट्र का पहला नागरिक माना गया है। यदि हम इन गलतीयों को नजरअंदाज करते रहे तो कंगाल होने अथवा जिंदगी को बरबाद करने के दिन दूर नहीं, यदि हम ऐसे ही चलते रहे तो अपना और अपने आने वाले बच्चों का भविष्य खराब कर लेंगे। यह बहुत ही चिंताजनक बात है। इसके कारण भी कई प्रकार के है जो कि निम्नलिखित दिए गए है :–

अनपढ़ता : अनपढ़ता को अगर ध्यान से देखा जाए तो अनपढ़ता आज के समय में राष्ट्र के प्रति भष्ट्राचार की सबसे बड़ी समस्या है। क्योकि अनपढ़ता के कारण हमारा समाज विकास नहीं कर पा रहा है और दिन प्रतिदिन भष्टाचार को बढ़ाने में अपना योगदान दे रहा है। ऐसा आज से ही नहीं कई वर्षों से हो रहा है, जिसके कारण हमारा देश आगे बढ़ने की जगह पीछे की ओर जा रहा है, इसलिए सरकार को बच्चो की शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, अगर भारत पढ़ेगा ही नहीं तो तरक्की कैसे करेगा? यह हमारे लिए बहुत बड़ी पहेली है, जिसको हम तब ही सुलझा सकते हैं जब हम अपने बच्चों और परिवार की अनपढ़ता को दूर कर सके, इसलिए हमें सबसे पहले अनपढ़ता को दूर करना होगा, तब ही हमारे राष्ट्र का विकास अथवा उन्निति होगी।

बढ़ती जनसंख्या : अबादी : बढ़ती हुई अबादी भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए अथवा हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है, क्योकि बढ़ती हुए अबादी के कारण राष्ट्र में बहुत–सी मुश्किले आँ रही है। जिसके कारण हमारा राष्ट्र बिल्कुल ही कंगाल हो चूका है। आज के समय में कम से कम हर घर में दो – तीन बच्चे है, और उसके बाद भी अबादी बढ़ती ही जा रही है। जिसके लिए अनाज की खपत बहुत मात्र में हो रही है। और हमारी धरती का उपजाऊपन दिन–व–दिन कम होता जा रहा है जिससे धरती भी कमजोर होती जा रही है। और यह भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जो कि राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ी रुकावट हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को अपने घर में एक या दो ही बच्चे पैदा करने चाहिए। तांकि राष्ट्र के साथ–साथ भूमि को भी बचाया जा सके, साथ ही राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सके। इसलिए हमें ही राष्ट्र के विकास के लिए कदम उठाना पड़ेगा।

बेरोजगारी : बेरोजगारी भी भ्रष्टाचार का ही अंग है, और बेरोजगारी भी भ्रष्टाचार को पहल दे रही है. और जिसके कारण हमारे देश का विकास जिस तरह से सेना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रहा, क्योंकि पंजाब और पूरे भारत के युवक ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी के शिकार हो चुके है, जिसके कारण हमारा समाज दिन पर दिन कंगाल होता जा रहा है, और समाज में कई तरह की बुराईयाँ इसके कारण बढ़ रही है।

क्योकि बेरोजगारी के कारण आज के युवक ज्यादा से ज्यादा चोरी, कई तरह के अपराध, लूट, खूनी खेल आदि के शिकार हो रहे है क्योकि बेरोजगार होने के कारण वे अपनी जरूरते नही पूरी कर सकते। यदि उनके पास कोई रोजगार होगा तो वह क्योकि चोरी क्यों करेंगे। सरकार को भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए तांकि इस बढ़ते अपराध को रोका जाए और राष्ट्र की ओर उचित ध्यान दिया जा सके। तांकि हमारे राष्ट्र का विकास हो सके और हम उन्नति के यह पथ पर आगे बढ़ सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब अपराध के कारण लोग खुद ही एक–दूसरे को नोच डालेंगे। ऐसा होना ही हमारे समाज के लिए बहुत ही शरमनाक बात है। अतः एकजुट होकर ही इस समाज को संभाला जा सकता है।

महंगाई : भारत में महंगाई दिन–पर–दिन बढ़ती ही जा रही है, महंगाई के कारण हमारा राष्ट्र कंगाल हो रहा है। क्योकि आज का युग मशीनी युग है। महंगाई बढ़ने के कारण हर व्यक्ति को कई मुसिबतों का सामना करने को विवश है। आज व्यक्ति द्वारा होने वाले सब कामकाज मशीने कर रह रही है जिसके कारण आम जनता बहुत ही दुःखी व परेशान है। इसलिए मेरा सरकार से बस यही निवेदन है कि महंगाई को कम करने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाने चाहिए और रोजगार के अवसर प्रदान करने चाहिए। तांकि जो आम व्यक्ति है उसका घर चल सके।

रिश्वतखोरी : रिश्वत लेना व देना कानूनी अपराध है, और रिश्वत लेना भी और देना भी हमारे समाज पर बहुत बड़ा कलंक है, यह हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही बुरी बात है, असल में रिश्वत लेना कानूनी अपराध है इस बात का पता होते हुए भी कई लोग रिश्वत लेते हैं। ऐसा करके वे उन सभी लोगो को धोखा दे रहे है जो अपनी मेहनत और परिश्रम से अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सरकार को रिश्वतखोरी जैसा काला अपराध रोकना चाहिए ताकि मेहनती युवा को उनका हक मिल सके।

अंततः भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है, इसे केवल हम सब एक जुट होकर ही खत्म कर सकते है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के दौरान अधिकारियों हेतु आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कृत चित्र

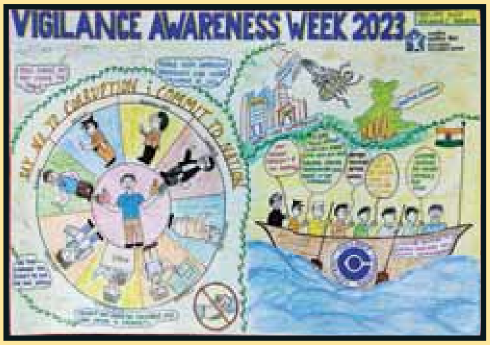

प्रथम पुरस्कार – सुश्री नीलम पत्नी श्री कृष्ण चंद्र मौर्य, उप प्रबंधक

द्वितीय पुरस्कार – सुश्री मेनका राणा, उप प्रबंधक

तृतीय पुरस्कार – सुश्री शिल्पा पांडेय बहन सुश्री स्वाति भट्ट, उप प्रबंधक

सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2023 के दौरान आवास वित्त कंपनियों हेतु आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कृत चित्र

प्रथम पुरस्कार – सुश्री श्वेता संभाजी पवार,
मानव संसाधन कार्यकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

द्वितीय पुरस्कार – श्री पीयूष राजेंद्र साहू,
मुख्य प्रबंधक, महिंद्रा होम फाइनेंस लिमिटेड

श्री अंकित अग्निहोत्री, फाइनेंस हेड, मेंटर होम लोन इंडिया लिमिटेड

पंजी. सं. दिल्ली इन/2001/6138

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

लोकहित प्रकटीकरण और मुखबिर संरक्षण संकल्प, 2004 (पिडपी)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

पिडपी क्या है

- पिडपी भारत सरकार का एक संकल्प है।
- इसके अंतर्गत दर्ज की गई सभी शिकायतों के शिकायतकर्ताओं की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

पिडपी शिकायत कैसे की जाती है

- सचिव, केन्द्रीय सतर्कता आयोग को शिकायत भेजी जाए और लिफ़ाफ़े पर ''पिडपी'' लिखा होना चाहिए।
- शिकायतकर्ता का नाम और पता लिफ़ाफ़े पर नहीं लिखा होना चाहिए अपितु बंद लिफाफे के अंदर पत्र में होना चाहिए।

शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रहे, ऐसा सुनिश्चित करने के लिए दिशानिर्देश

- जो शिकायतें व्यक्तिगत रूप से शिकायतकर्ता से संबंधित है या अन्य अधिकारियों को संबोधित हैं, उनमें पहचान प्रकट हो सकती है।
- शिकायतें खुली स्थिति में या सार्वजनिक पोर्टल पर नहीं भेजी जानी चाहिए।
- शिकायत में पहचान प्रकट करने वाले दस्तावेज़ संलग्न नहीं करने चाहिए अथवा उनका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए जैसे: आर.टी.आई. के अंतर्गत प्राप्त दस्तावेज।
- लिफाफे के अंदर पत्र पर नाम और पता पुष्टि के प्रयोजन से लिखा होना चाहिए।
- जिन शिकायतों की पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, उन्हें बंद कर दिया जाता है।
- अनाम/छद्मनाम पत्रों पर विचार नहीं किया जाता है।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2023

अधिक जानकारी के लिए https://www.cvc.gov.in को देख सकते हैं

Follow us on /nhb https://nhb.org.in

पृष्ठ सज्जा एवं प्रिंटिंग: जे.के. ऑफसेट ग्राफिक्स प्रा.लि., नई दिल्ली–110020

प्रधान कार्यालय
राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर 5–ए, इंडिया हैबीटेट सेन्टर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
टेली : 011–3918 7000 वेबसाइट : http://www.nhb.org.in

राष्ट्रीय आवास बैंक
NATIONAL HOUSING BANK

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली, मुम्बई, अहमदाबाद, बैंगलूरू, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, चेन्नई, लखनऊ, गुवाहाटी, रायपुर, चंडीगढ़, जयपुर, पटना, भुवनेश्वर